#### CONTENTS

Fifteenth Series, Vol. XXV, Tenth Session, 2012/1934 (Saka) No. 29, Tuesday, May 15, 2012/ Vaisakha 25, 1934 (Saka)

S U B J E C T	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 541 to 543	3-30
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 544 to 560	31-115
Unstarred Question Nos. 6211 to 6440	116

<sup>\*</sup> The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE		
	VE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS HE HOUSE	560
	NDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE EMPOWERMENT Statement	561
STAT	TEMENT BY MINISTER	
conta on Ur (2011	s of implementation of the recommendations ined in the 15 <sup>th</sup> Report of the Standing Committee ban Development on Demands for Grants -12) pertaining to the Ministry of Housing Irban Poverty Alleviations  Kumari Selja	561-562
	TION RE: THIRTY-EIGHTH REPORT OF NESS ADVISORY COMMITTEE	562
	ERVATION BY THE SPEAKER ce of Question of Privilege	563
MAT	TERS UNDER RULE 377	575-594
(i)	Need to provide stoppage of superfast trains at Chalakudy in Kerala and expedite construction of Road Overbridges and Road Underbridges in Chalakudy Parliamentary Constituency	
	Shri K.P. Dhanapalan	575-577
(ii)	Need to take necessary steps for solid waste management in Thiruvananthapuram, Kerala.	
	Dr. Shashi Tharoor	578
(iii)	Need to accord classical language status to Malayalam.	
	Shri Kodikunnil Suresh	579

(iv)	Need to stop the illegal import of Chinese products swarming the markets in the country and posing serious threat to the domestic industry.	
	Shri Datta Meghe	580
(v)	Need to implement Student Police Cadet Project of Kerala all over the country.	
	Shri P.T. Thomas	581
(vi)	Need to recognize Eunuchs and provide them with proper identity in the country.	
	Shri Jaywant Gangaram Awale	582
(vii)	Need to provide facilities to the Gallantry Medal Awardees of armed forces at par with Medal Awardees of Para Military forces.	
	Shri A.T. Nana Patil	583
(viii)	Need to extend financial assistance to Cachar Cancer Hospital and Research Centre at Silchar, Assam.	
	Shri Kabindra Purkayastha	584
(ix)	Need to make revenue stamps available in post offices in the country.	
	Shri Rajendra Agarwal	585
(x)	Need to provide adequate honorarium to Grameen Dak Sevaks in the country.	
	Shrimati Jyoti Dhurve	586
(xi)	Need to streamline the management of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas in Hardoi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.	
	Shrimati Usha Verma	587

(xii)	Need to check illegal sand mining in river-bed of Ganga in Bhadohi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.		
	Shri Gorakh Nath Pandey	588	
(xiii)	Need to accord financial approval for construction of roads left wing extremism affected districts in Bihar.	in	
	Shri Sushil Kumar Singh	589	
(xiv)	Need to implement the rights of forest dwellers under the lar in the country particularly in Kanyakumari district of Tamil Nadu.	W	
	Shrimati J. Helen Davidson	590-591	
(xv)	Need to ensure the safety of dam under Hadagarh Medium Irrigation Project in Keonjhar district of Odisha.		
	Shri Arjun Charan Sethi	592	
(xvi)	Need for making adequate payment to the farmers for their agricultural produce in the country.		
	Shri Prataprao Ganpatrao Jadhav	593	
(xvii)	Need to provide share of water due to Bihar from the Bansagar Project in Madhya Pradesh.		
	Shri Jagadanand Singh	594	
(xviii)	Need to open a border check post at Hussainiwala in Ferozepur district, Punjab to facilitate border trade with Pakistan.		
	Shrimati Paramjit Kaur Gulshan	595	
	TITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER OND AMENDMENT) BILL, 2011	595-657	
•	Motion to consider	595-656	
	Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure	595-596	

Shri Lalu Prasad	597
Shrimati Jyoti Dhurve	598-599
Shri Adagooru H.Vishwanath	600-601
Shri Narahari Mahato	602-603
Shri Rewati Raman Singh	604-605
Shri Ramashankar Rajbhar	606-608
Shri Maheshwar Hazari	609
Shri S.D. Shariq	610-613
Shri Jayaram Pangi	614-615
Shri Hukmadeo Narayan Yadav	616-617
Shri Kodikkunnil Suresh	618-621
Dr. Monazir Hassan	622
Shri Ashok Argal	623
Dr. Prabha Kishor Taviad	624-627
Shri Basu Deb Acharia	628-629
Shri Virender Kashyap	630-631
Chaudhary Lal Singh	632
Dr. Prasanna Kumar Patasani	633-634
Shri Hemanand Biswal	635-636
Shri M. Anandan	637
Shri Dara Singh Chauhan	638
Yogi Aditya Nath	639-641
Shri Prabodh Panda	642-643
Shri Pulin Bihari Baske	644
Shri Bhismashankar alias Kushal Tiwari	645
Shri V. Kishore Chandra Deo	646-655
Clauses 2 and 1	656-657
Motion to Pass	657

DISCUSSION UNDER RULE 193	658-661
Need to bring Comprehensive Policy changes in Civil Aviation Sector and the problems being faced by Workforce	658-691
Shri Nishikant Dubey	662-666
Shri Sanjay Nirupam	667-673
Shri Anant Gangaram Geete	674-678
Shri R. Thamaraiselvan	679-680
Shri S. Semmalai	681-683
Shri Shatrughan Sinha	684-687
Shri Kodikkuknnil Suresh	688-689
Shri Nama Nageswara Rao	690-691
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	692-693
Shri Nripendra Nath Roy	694-695
Shri S.D. Shariq	696-700
Shri Ajay Kumar	701-702
Shri Madan Lal Sharma	703-704
Shri C. Sivasami	705-706
Shri Surendra Singh Nagar	707
Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary	709
Shri Ajit Singh	709-729, 734

#### ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 754

Member-wise Index to Unstarred Questions 755-759

#### <u>ANNEXURE – II</u>

Ministry-wise Index to Starred Questions 760

Ministry-wise Index to Unstarred Question 761-762

#### **OFFICERS OF LOK SABHA**

#### THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

#### THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

#### PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia
Shri P.C. Chacko
Shrimati Sumitra Mahajan
Shri Inder Singh Namdhari
Shri Francisco Cosme Sardinha
Shri Arjun Charan Sethi
Dr. Raghuvansh Prasad Singh
Dr. M. Thambidurai
Dr. Girija Vyas
Shri Satpal Maharaj

#### SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

T	OK	SA	RH	A DEE	l A '	CEC
	W)N	D/I		1 000		כועו


### LOK SABHA

-----

Tuesday, May 15, 2012/Vaisakha 25, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Question Hour; Q. No. 541.

... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I have given a notice for Adjournment.... (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आईपीएल में फिक्सिंग हो रहा है। ...(व्यवधान) यह बहुत गंभीर मामला है। ...(व्यवधान) देश में जो मैच चल रहा है उसमें काले धन को सफेद बनाया जा रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: इसे शून्य प्रहर में उठा लीजिएगा।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Sushmita Bauri; your first supplementary, please.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: The lady is standing; what are you doing? You are such a senior Member.

... (Interruptions)

#### (Q. 541)

SHRIMATI SUSMITA BAURI: Madam Speaker, before coming to my question, I want to express my strong outrage and protect against the commodification of women's bodies in advertisements in a most obscene and objectionable way. It is extremely unfortunate that we as law makers are unable to stop these ads or to set up any system to prevent their broadcasting. We feel ashamed to watch these ads on TV along with family members. Are women sex objects? Do women have no dignity? All over the country, women are angry and ask us what are you doing about it? In India we are dark skinned. Yet we have ads which are utterly racist and equate beauty with fairness. Are dalits, adivasis and working women of this country, who work day and night in the sun, do they not have their own beauty? Yet, our young men, young women are made to feel unwanted because they are dark and these ads strengthen such a bogus understanding. मैं इसके लिए पूछना चाहती हूं कि टीवी में फेयर/गोरी होने के लिए क्रीम का जो ऐड आता है उसे हम एक वीक यूज करेंगे तो गोरी हो जाएंगे। यह क्या मैसेज आ रहा है? केरल, तमीलनाडु या वेस्ट बंगाल में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा माहेलाएं डार्क हैं इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): Madam, it is absolutely true that the subject of the portrayal of women in advertisements has been attracting the attention of not only media critics, civil society, women group, NGOs, Members of Parliament and, in fact, the society as a whole. It is for this reason that the Government of India, ever since Independence, has formulated laws. I have at least 15 laws which have been formulated from time to time ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: That will not go in record.

(Interruptions)\*

SHRIMATI AMBIKA SONI: It is in order to check wrong products being sold or advertised; in order to stop the portrayal of women in a manner which is vulgar,

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

obscene and indecent. All these laws have been formulated. The Act relating to women decency was passed as the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, in 1986.

By saying all this, I am not taking away the importance of not having indecent ads, at least, on cable television. We, in the Ministry, are totally concerned. As you know that the advertisements are paid by the industry to popularise their products, we have a Cable T.V. Regulatory Act where we have put in an advertisement Code. We have a body of advertisers representing the industry and those who create these advertisements with a view to cooperate with us.

We have set up an Inter Ministerial Committee with the Women and Child Development, Consumer Affairs, Home Ministry and Law Ministry. These are all mechanisms which we have set up outside the purview of law, legal recourse, as to how to best stop these ads. My Ministry, in the recent past, has taken strong steps. If the ASCI, advertisers' council I just spoke of, is unable to sustain our complaints, we ask the cable television channels themselves that they are violating the Cable Regulatory Act. We have had success of over 85 per cent in removing such ads.

There is a legal recourse to go to Court but it is a very long process. It is very unfortunate. That is why Doordarshan has its own Code; the Press Council of India has its own Code; and the Cable Regulatory Act governs the television. I have all the figures as to how many advisories have been issued and how many times we have intervened to take indecent ads of the television. Some time the people take us to Courts. We are fighting court cases. But in nearly 80 per cent cases, they have agreed to us.

There was a recent ad to which the hon. Member referred, several people rang me up but I had assured them that the Ministry is monitoring about 300 channels day and night 24x7 on *suo motu* basis. We had already taken up this complaint. If the ASCI did not sustain our complaint then we wrote to all the

television channels — I am happy to report to the House — that the ad which provokes so much adverse comments is not being shown on any television channel. श्रीमती सुस्मिता बाउरी: अध्यक्ष महोदया, टीवी में एक ऐड आता था जिसके बारे में मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है that is about clean and dry intimate wash. मंत्री जी का ऐसा कुछ रिप्लाई आया है कि सरकार द्वारा एक्शन टेकन या शो कॉज़ नोटिस दिया है। उस ऐड को देश के लोगों ने देखा था। इसी प्रकार टीवी में कॉफी का एक ऐड आता है जिसमें एक लड़की डांस कर रही है और उसकी कमर हिल रही है। मैं जानना चाहती हूं कि कॉफी के साथ कमर का क्या रिलेशन है?...(व्यवधान) हमारे बच्चे घर में अकेले रहते हैं और टीवी देखते हैं। यह सब शोभा नहीं देता। है...(व्यवधान) ब्लेड, शेविंग क्रीम या कुछ भी हो, उससे महिला का क्या संबंध है? हमें सोचना चाहिए कि इसे बंद करना है, रोकना है।...(व्यवधान)

I want to ask the hon. Minister: 'When films go through the Censor Board why should gender insensitive and demeaning ads not be checked'? I also support self-regulation as the first choice. But when rogue elements ऐडवर्टाइजमैंट दिखा रहे हैं, उसमें रोकथाम करनी चाहिए। बाजार में अपना सामान कैसे बेचा जाएगा, इसके लिए सिर्फ महिलाओं को ऐडवर्टाइजमैंट में इनडिसैंट मैनर में दिखाया जाना, महिला की बॉडी ठीक नहीं है, हमें वुमैन डिगनिटी को प्रोटैक्ट करना है। इसलिए हमें पहले नोटिस ईशू करना होगा, फिर एक सैंसर बोर्ड बनाना चाहिए जहां कम से कम तीन वुमैन मैम्बर्स होनी चाहिए और टीवी के ऐडवर्टाइजमैंट को पहले चैक करना चाहिए।इसलिए आपको हाउस में एश्योर करना चाहिए कि हमें इसे करेंगे, क्योंकि यह महिला की बात है ... (व्यवधान) सारे देश की महिलाओं की बात है। ... (व्यवधान)

SHRIMATI AMBIKA SONI: Madam, this is not the first time, and in fact, it is unfortunate that whenever my Ministry is slated on the Question List it is always about content. I am happy to answer the questions. मेरी मिनिस्ट्री का दायरा कहां है, हम कहां तक अधिकृत हैं ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): संसद से ऊपर तो मंत्रालय नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी को आप उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except the hon. Minister's reply.

(Interruptions)\*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। पहले उत्तर पूरा होने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैडम, मैं इस संसद को सुप्रीम मानती हूं, जैसे हम सब मानते हैं। ...(<u>व्यवधान</u>) डॉ. मुरली मनोहर जोशी: उनका सारा जोर इस बात पर है कि महिला का शरीर दिखाया जा रहा है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All right, I will give you a chance later. It is not like this. Please sit down. It becomes a discussion.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : जोशी जी, हम आपको बोलने का समय देंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैं माननीय सदस्यों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं, चूंकि मैं एक महिला हूं, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से और अपने संविधान को मद्देनजर रखते हुए, जहां पुरुष और महिला को एक समान, एक बराबर अधिकार है, मैं उतनी ही उत्तेजित हूं, जितने हम सब आज यहां उत्तेजित हैं और हर दफा उत्तेजित रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाह रही हूं कि कहां तक मैं कर सकती हूं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि अपने दायरे को पार करूं। ...(व्यवधान)

मैडम, मैं चाहूंगी कि यह संसद, जो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, इसके सामने कई दफा रेगुलेशन की बात आयी, तब हम लोगों ने किसी कारणवश उसे पारित नहीं किया। यह बात बहुत अर्से से चल रही है। अभी भी मेरे मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक झुफ्ट बिल बनाया हुआ है, जहां हम कुछ रेगुलेटरी सेटअप करेंगे। यह वर्ष 2007 से चल रहा है, लेकिन संसद की मंजूरी अभी मिली नहीं है। ...(व्यवधान) मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि अपने दायरे के अंदर रहते हुए जब हम एडवाइजरी भेजते हैं, तो कई दफा माननीय सांसदों ने कहा कि आप एडवाइजरी भेज देती हैं। वे दो दिन चला लेते हैं, क्षमाप्रार्थी बन जाते हैं, उसके बात कुछ नहीं होता। हम लोगों ने एक नया रूल बनाया है कि जब उन्हें अपने चैनल के रिन्युअल की जरूरत होगी, तब अगर उनको पिछले समय में पांच दफा एडवाइजरी दी गयी होगी, तो वह उनके खिलाफ एक विपरीत प्वाइंट होगा। मैं क्षमा चाहती हूं, लेकिन जब हम लोगों ने यह कानून बनाया, मैं नाम

<sup>\*</sup> Not recorded

नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरे पास बड़े-बड़े माननीय नेताओं के वक्तव्य हैं, जिनमें मेरी पार्टी के भी हैं और दुसरी पार्टियों के भी हैं। उन्होंने मेरी सख्त आलोचना की कि आप कौन होती हैं कि पांच एडवाइजरीज को कानून में बदलने के लिए।मैं कानून नहीं बना रही हूं। मैंने सिर्फ उनके ऊपर कुछ डर बनाने की चेष्टा की थी। यह मैंने कुछ किया है। इस तरह से नियम 19(1) का उल्लंघन करने के अलावा जितना भी हम जोर डाल सकें, उसे मैं डालना चाह रही हूं। मैं आंकड़े भी लायी हूं। ...(व्यवधान) मैं वही जवाब दे रही हूं। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं बंद कर देतीं। मैं यही समझा रही हूं कि जिस हद तक मैं पाबंदी कर सकती हूं, जिस हद तक, सरकार के एक मंत्री होने के नाते मैं सीमा का भी उल्लंघन करके अपनी जोर-जबरदस्ती और नैतिक भाव के जरिये, मुझे बहुत से सांसदों का को-आपरेशन भी मिला है। हम इनकी मीटिंग करते रहते हैं। हमारी कोशिश यही है कि कानून अदालत में नहीं ...(व्यवधान) मैं माननीय सांसद को कहना चाहती हूं कि आज हमारे कानून में 15 ऐसे कानून अलग-अलग मंत्रालय के तहत हैं । वूमैन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो इंचार्ज हैं, में एक्ट है -- The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986. रंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ...(व्यवधान) हम सिर्फ केबल टेलीविजन या चैनल्स को कुछ हद तक रोक सकती हूं, जोर-जबर्दस्ती करके।...(व्यवधान) मैं आपको आंकड़े दे सकती हूं कि पिछले दो साल में हमने कितना किया है। मैं यह भी आपको बताना चाहती हूं कि जिन ऐड्स में हमें कदम उठाने पड़े थे, अन्य सालों के मुकाबले पिछले एक साल में हमें बहुत ज्यादा सफलता मिली है और इनडीसेंट ऐड्स की संख्या भी कम हुई है।

श्रीमती जयश्रीवेन पटेल: महोद मने संसद की 60वीं वर्षगांठ मनाई और उस समय सभी लोगों ने 60 महिला चुनकर आई, ऐसा कहकर मेज भी थपथपाई। सूचना और प्रसारण मंत्री भी एक महिला हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि आपने पेज नंबर दो पर कहा है कि विज्ञापन संहिता के नियम-7 में प्रावधान है कि किसी ऐसे विज्ञापन को अनुमित नहीं दी जाएगी, जिसमें महिलाओं की अपमानजनक छिव को दर्शाया गया हो। मगर आज हम परिवार के साथ बैठकर विज्ञापन भी नहीं देख सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि व्यापारिक विज्ञापनों के प्रोत्साहन से भारतीय संस्कृति विनाश के कगार पर है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अश्लील विज्ञापनों के कुछ मामले एएससीआई को भेजे हैं जिनमें से कुछ की कार्यवाही हेतु उत्तर भेजा है। बहुत से मामले आदेश के लिए लंबित हैं। मैं जानना चाहती हूं कि कब तक इन मामलों के उत्तर मिलेंगे और इन पर कार्यवाही होगी?

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैडम, जब हम लोग चैनल्स को नोटिस देते हैं, तो हमें जो कानून देश का है, उसके तहत सब कुछ रखना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कई केसेज में हम लोग शरीक हैं, जिनमें लोगों ने इन कानूनों के तहत हमारे ऊपर मुकदमा किया है कि हमने गलत नोटिस भेजा, गलत तरीके से एक प्राइवेट इंडस्ट्री का ऐड रोका। अलग-अलग तरीके से वह हमने किया है। मैं कहना चाहती हूं कि पिछले एक साल में ASCI ने 104 नोटिस भेजे हैं जिनमें से 84 नोटिसेज को यानि 84 दफा जहां ऐड में परिवर्तन किया गया या उनको विदझूँ कर लिया गया, सिर्फ 15 ऐसे केसेज हैं, जहां वे लोग हमारे से वाद-विवाद में लगे हैं। हम कोई एक फरमान जारी नहीं कर सकते हैं। जब मुझे संसद की तरफ से यह अधिकार मिलेगा कि आप एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनाइए कि 15 कानूनों को मद्देनजर न रखते हुए आप अपने ही तौर पर चैनल्स को बंद कर दीजिए, तब मेरे पास कम से कम वह अधिकार होगा। आज के दिन मैं उसी दायरे में काम कर सकती हूं जो संसद ने मुझे दिया है।

DR. RATNA DE: Of late, indecent, obscene and unpalatable contents in advertisements are being aired in the print and electronic media. We can even go to the extent of saying that it has become increasingly difficult or unbearable to watch any advertisements of personal care in the print media.

It is astonishing to find out that all this is happening in spite of having the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 apart from the Press Council of India.

Another important aspect of this whole episode is that I find it really demeaning to see the indecent depiction of women in advertisements or otherwise in the print media, which includes the magazines too.

Under such a disturbing trend, would the hon. Minister state why the Government is depending so much on self-regulation?

SHRIMATI AMBIKA SONI: Madam as far as the print media is concerned, the Press Council of India has issued its own Code of Conduct both for content and for advertisement. They have briefed me before this for this Question about the number of times they have taken strong action against indecent ads which have come out either in magazines or newspapers. Also, four times they have taken action against print media. The Press Council of India has been feeling for quite



some time that they do not have enough powers. The Press Council of India Act, 1978 does not give them enough teeth. This has been raised time and again by different Chairpersons of the Press Council and also by Justice Katju who is the present Chairperson of the Press Council of India.

This matter has come up in both the Houses again and again. The Government has formed a GoM to look at not only this but the question of paid news as well as empowering the Press Council so that whatever direction they give in the way of indecent ads in the print media or magazines, etc., they can follow it up with what they, the Press Council in its unanimous decision, feel needs to be given out as a measure of punishment.

As far as self-regulation is concerned, it is an experiment we are trying. The Ministry of Information and Broadcasting is responsible for television channels. It is responsible for advertisements and content code. But there was a big voice in civil society that they should give a chance to self-regulation in the twenty-first century of our country. There are two self-regulatory bodies which we have formed. I would like to specially mention the body, which is for content, programme and for advertisements. It does have very eminent members. Both the bodies are headed one by former Chief Justice of India and another by former Chief Justice of Delhi. But I would like to point out that four members of the Content Self-Regulatory Body are members of the statutory Commission like the hon. Member, Mr. Punia is a member. The Chairperson of the National Commission of Women is a member. The Chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights, Shantha Sinha, is a member. The Chairperson of the Minorities Commission is a member. These are four eminent people from among us who are also members of the self-regulatory mechanism.

The House would appreciate that these are the sections of people who are primarily vulnerable to either bad content or bad advertisement. So, the idea was that if we are on the self-regulatory bodies, sometimes that does not evoke the same kind of adverse comments from media and others and from political leaders when you act in a ham-handed way. So, while the Ministry retains the power to take a TV channel off the Regulatory Act, we are trying to give self-regulation a chance to succeed in this country.

श्रीमती मीना सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमित प्रदान की। अभी दो दिन पहले हमने संसद की 60वीं वर्षगांठ मनाई और उस मौके पर आपने इस सदन में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। नेता प्रतिपक्ष ने आपके रूप में एक महिला के लोक सभा अध्यक्ष होने पर संतोष व्यक्त किया था। हम सबको इस बात पर गर्व है कि देश की राष्ट्रपति, लोक सभा की अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और यूपीए की अध्यक्ष महिलाएं हैं।

मुझे दुःख होता है कि इन सबके बाद भी आज महिलाओं को बाज़ार में सामग्री की तरह टी.वी. चैनल्स पर 24 घंटे परोसा जाता है। आज भी 'क्लीन एंड ड्राई इंटिमेट वास' नामक एक विज्ञापन में महिलाओं के शरीर के ग्राफिक एवम् अंतरंग अंगों को टी.वी. चैनल और इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है। यह बड़े शर्म की बात है। अश्लील विज्ञापनों की शिकायत हमेशा होती रही है। इस सदन में और दूसरे सदन में भी इससे सम्बन्धित सवाल उठाए जाते हैं। मैंने इन अश्लील विज्ञापनों से संबंधित प्रश्न पूछने पर माननीय मंत्री जी का जवाब देखा तो अधिकांश मामलों में टीवी चैनलों को चेतावनी, क्षमा याचना का स्क्रॉल चलाया जाना या फिर विज्ञापनों को वापस करने का आदेश, कानूनी कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गयी है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से प्रश्न है कि क्या इन अश्लील विज्ञापनों को दिखाने वाले टीवी चैनलों, प्रिंट-मीडिया प्रांचंदरनेट के विरुद्ध सरकार का कोई कठोर दंड देने का विचार है या फिर महिलाएं इन अश्लील विज्ञापनों को देखकर इसी प्रकार समाज के सामने लज्जित होती रहेंगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप उत्तर सुनिये।

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैडम स्पीकर, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं चाहूंगी कि मैं उनसे जगह बदल लूं और जो प्रश्न उन्होंने पूछा है वह मैं व्यक्त कर सकूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइये। यह क्या कर रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए।

#### ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इतना नाराज क्यों होने लगे, बैठ जाइये। वे जवाब देंगी, आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैडम, मैंने उनके प्रश्न की सराहना की है...(<u>व्यवधान</u>) उनका जो प्रश्न है, मुझे पूरा यकीन है कि यहां भी जो महिलाएं बैठी हैं और मैंने उसमें अपने आप को भी शामिल करते हुए कहा है कि हमें भी यही चिंता है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप मंत्री जी का पूरा उत्तर सुन लीजिए।

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैं यह कहना चाह रही हूं कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और पूरा सदन इस पर चिंतित है।...(व्यवधान) आप मुझे जवाब तो देने दीजिए, शोर बहुत हो गया। ...(व्यवधान) जब से मैं मंत्री बनी हूं, मैंने प्रयास किये हैं इन सब चीजों पर रोक लगाने की। ...(व्यवधान) देखिये, मैंने प्रश्न सुना है, अब आप मुझे बोलने दीजिए...(व्यवधान) मैंने कानून के दायरे में रहते हुए इन चीजों पर रोक लगाने की कोशिश की है। कई दफा कानून का उल्लंघन हुआ है और हम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से हर टेलीविजन चैनल पर एक रनर जाता है जिसमें लोगों से कहा जाता है कि अगर आपको इस कंटेंट से कोई तकलीफ है तो आप शिकायत कीजिए। ...(व्यवधान) अगर सदन को समय है तो मैं बताना चाहूंगी कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में 777 शिकायतें रनर पड़ने के बाद आईं। हम लोगों ने 12 मीटिंग्स करके यह जो ए.एस.सी.आई. है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी इंडस्ट्री की तरफ से बनाई गयी है, हमारी तरफ से नहीं। इन्होंने 104 शिकायतों को अपहोल्ड किया है और उसमें से 84 शिकायतों का हल निकाल दिया है। यह एक हाई-रेट माना जाता है। कंटेंट के बारे में...(व्यवधान) वहां भी दो-तीन हजार से ऊपर शिकायतें और सुझाव आये हैं। वह रनर पढ़ने के बाद यह बात आई है और बकायदा मीटिंग्स में उन्हें हल करने के बारे में विचार किया जा रहा है। मैंने कहा है और फिर से दोहराना चाहती हूं कि केवल दिखावे के तौर पर या ढोंग के तौर पर हम एडवाजरी नहीं देते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि टीवी चैनल्स समझ जाएं कि अगर वे बार-बार नियमों का उल्लंघन करेंगे और अश्लील विज्ञापन दिखाएगें, तो हम लोगों के पास यह ताकत है कि हम उन्हें टेलीविजन केबल नेटवर्क से हटा दें।...(व्यवधान) सात टीवी चैनल्स को अलग-अलग समय के लिए टीवी नेटवर्क से हटा भी दिया गया है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। मैं आपसे सुरक्षा चाहती हूं कि जब हम टीवी चैनल्स को ह्यान्त के अंतर्गत इस तरह से हटाएं और जब रेग्युलेशन को लागू करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के  $\sqrt{100}$  नेताओं के जो वक्तव्य आते हैं, उस पर भी थोड़ी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उसे संसद की आवाज के तौर पर रखना चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने कहा कि यदि मैं प्रश्नकर्ता की जगह बैठी होती तो मैं भी यह प्रश्न स्वयं से पूछती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि आपका दायित्व उत्तर देने का है प्रश्न पूछने का नहीं है। अगर आप अपने आपको इतना असहाय समझ रही हैं, तो मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको सुझाव देना चाहती हूं कि आप इस विषय पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। हम आपको उपाय भी सुझाएंगे और आपको शक्ति भी देंगे कि आप इस प्रश्न का समाधान कर सकें, क्योंकि हमारे लिए यह बहुत दुख की बात है कि एक तरफ महिलाएं अपने संघर्ष और योग्यता के बल पर उन क्षेत्रों को भेद रही हैं, जो उनके लिए आज तक वर्जना के क्षेत्र थे और पुरुष वर्चस्व के क्षेत्र थे। वे पर्वतारोही बन रही हैं, वे अंतरिक्ष में जा रही हैं और दूसरी तरफ विज्ञापन वालों ने उन्हें केवल उपभोग की वस्तु बना कर रख दिया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, यह सदन आपको ताकत भी देगा और उपाय भी बताएगा, जिससे इस समस्या का सार्थक समाधान आप निकाल सकेंगी।

श्रीमती अम्बिका सोनी: अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगी। मैं लीडर आफ दि आपोजिशन की आभारी हूं और मैं समझती हूं कि मैं उनकी तरह सरल हिंदी में नहीं बोल सकती हूं। मैंने अपनी भावना एक महिला होने के नाते व्यक्त की थी। मैं न मंत्री के तौर पर असहाय समझती हूं और न हमारी सरकार असहाय है। अगर यह आपकी सोच है, तो यह आपकी गलतफहमी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाएं और मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: मुझे उत्तर देने का अधिकार है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए हैं? बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझ से पहले माननीय नेता विपक्ष आई एंड बी मिनिस्टर रह चुकी हैं, राज्य सभा से आई एंड बी मिनिस्टर रह चुकी हैं, राज्य सभा से आई एंड बी मिनिस्टर रह चुकी हैं। आडवाणी जी भी मिनिस्टर रह चुके थे, मैं सदैव उनको पढ़ती हूं, सीखने की कोशिश करती हूं। आडवाणी जी भी मिनिस्टर रह चुके

हैं।...(<u>व्यवधान</u>) मैं इनके द्वारा उठाए गए कदम और लिए गए निर्णयों को पढ़ती हूं जो इन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं।...(<u>व्यवधान</u>) मैं इनकी ही बात पर आ रही हूं, मेरा भी यही इरादा है कि कुछ करने से पहले संसद के राजनीतिक दल के नेताओं की मीटिंग बुलाएं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप उनकी बात सुन लीजिए। क्या हो गया है?

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: महिला मंत्री को नहीं बोलने दे रहे हैं। महिला विरोधी हैं।

अध्यक्ष महोदया : महिला विरोधी नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: माननीय अध्यक्ष महोदया, लीडर आफ अपोजिशन ने जो सुझाव दिया है, वहीं हम लोगों की सोच है। जीओएम मीटिंग बैठाई गई है, जब तक जीओएम काम पूरा नहीं कर होगा, एजेंडा पूरी तरह से तैयार नहीं होगा, उसके बाद मैं आल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ...(व्यवधान)

शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपकी तरफ से निर्देश आना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

#### (Q 542)

SHRI VARUN GANDHI: Madam, on an average farmers need to get their soil tested to check for the nutrient status of their soil every three years. Recent studies have shown that in terms of nutrient status, in terms of elements like phosphorous, potassium and nitrogen, soil status is depleting very rapidly. My question is very straightforward. It is just that it has been a longstanding demand of my Constituency and probably all over the country to increase the number of soil testing centres. I would like to ask through you the hon. Minister whether the Government has an account of the number of soil testing centres across the country. I would also like to ask about the funds that have been released by the Centre for setting them up.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD PAWAR): The Government has set up new soil testing laboratories totaling 155; new mobile soil testing laboratories numbering 118; strengthening the existing soil testing laboratories by 170. This is for 2008-09, 2009-10, 2110-11. The total number that has been set up is 412. These are all new laboratories. Secondly, the total money which has been released for the entire project is Rs.785 crore. Out of that, Rs.66 crore has been exclusively given for setting up these labs.

SHRI VARUN GANDHI: Madam, I would like to know through you whether the Government is taking any steps to promote the application of bio-solids to land as fertilizer. Bio-solids of course is a term that describes collective sewage waste which is being used as organic fertilizer in lots of developed countries.

SHRI SHARAD PAWAR: In fact, there are many schemes which have been implemented today in the country. In respect of the suggestion that has been made by the hon. Member we have to take into confidence the Municipal Corporation, Municipality and other local self bodies. With their help it is possible to look into these matters and I have no objection to go into details in this regard.

डॉ. ज्योति मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदया, जब पहला ग्रीन रिवाल्यूशन आया था उससे पहले हमारे देश में स्थिति यह थी की अनाज वास्तव में उपलब्ध नहीं होता था, लोगों के पास पैसे होते थे तब भी अनाज नहीं खरीद पाते थे। जब पहला ग्रीन रिवाल्यूशन आया, यह एक बहुत इमेरजेंसी से डील करने जैसा स्टैप था। कैमिकल, फर्टीलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आदि सारी ताकत झोंक दी गई। देश में हमने एक तरह से कन्वेंशनल विसंडम को दरिकनार करते हुए इमेरजेंसी से डील करने की पालिसी बना दी। हमने किसानों को अपनी रूट से हटा कर कहा कि यह नया तरीका है। अगर तुम इससे एग्रीकल्वर करते हो तो प्रोडिक्टिविटि बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि हमें उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स भी मिले थे। As a short term measure वह एक बहुत अच्छी एप्रोच थी। उसका जो लांग टर्म नतीजा हुआ है, जब हम आज देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यू.पी. के अंदर जो एक्सप्लाइटेशन हुआ है, चाहे वह पानी का हो, चाहे वह सॉइल क्वालिटी की डिटिरियोरेशन हो, चाहे वह वॉटर क्वालिटी की डिटिरियोरे हो, फार्मर्स के अंदर बढ़ती हुई कैंसर की संख्या हो। अब तो यह हालत है कि वहां पर जानवरों के अंदर कैंसर के जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, वे यह बताते हैं कि जानवरों के अंदर कैंसर इतना ज्यादा प्रिवलेंट हो गया है। अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि सेकेंड ग्रीन रिवोल्युशन, जिसको हम सस्टेनेबल टाइप का बनाना चाहेंगे, जिसको हम एवरग्रीन रिवोल्युशन टाइप का बनाना चाहते हैं। हम ईस्टर्न स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं और उसका मेन कारण यह बताया गया था कि वहां पर पानी बहुत ज्यादा है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहूंगी जो लेसन्स हमने पहले ग्रीन रिवोल्युशन से लिए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए इस दूसरे सो काल्ड ग्रीन रिवोल्युशन के लिए, हम हाइब्रिड्स यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पानी हमें ज्यादा काम में लेना पड़ेगा। पर वहां पर इस तरह की प्रेक्टिसज़ न आएं और यह कहीं उस लेवल तक नहीं चला जाए जो रिशयन्स वर्ल्ड वॉर के अंदर अपनी स्कॉर्चड लैण्ड वाली थी कि हमने यह लैण्ड ले ली, इसको हमने एक्सप्लाइट कर दिया अब हम आगे मूव कर गए हैं। कहीं दस-बीस साल बाद ईस्ट का भी यही हाल हो जाएगा जो आज हिरयाणा और पंजाब का हो रखा है। फिर हमें कहीं नई जगहों पर जाकर तीसरा ग्रीन रिवोल्युशन करना पड़े। उसके लिए मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं? इस बारे में मैं उनसे जानना चाहती हूँ।

15.05.2012 24

श्री शरद पवार: महोदया, यह बात सच है कि फर्स्ट ग्रीन रिवोल्युशन में हमारा टोटल एप्रोच था कि फर्टिलाइज़र का यूटिलाइज़ेशन ज्यादा कैसे हो जाएगा। फर्स्ट ग्रीन रिवोल्युशन में जो टोटल प्रोडिक्टिविटी बढी, इसकी रिपोर्ट ऐसे है कि प्रोडिक्टिविटी बढने में 50 पर्सेंट प्रोडिक्टिविटी, प्रोडिक्शन फर्टिलाइज़र के आधार से ही बढ़ गया था। मगर आज की स्थिति में बदलाव आ रहा है। आज जिस तरह से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है, इसका कुछ न कुछ बुरा असर जगह-जगह पर दिख रहा है। खास तौर पर यह जो नया ट्रेंड है कि बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। लोग क्या करते है, किसान क्या करते हैं कि जगह पर यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जब यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे जमीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर बुरा असर होता है। इसलिए सरकार ने दो साल पहले एक नई स्कीम चलाई जिसमें बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के लिए जो हमारी आज की सब्सिडी की पॉलिसी है, इस पॉलिसी में हमने बदलाव किया है। बैलेंस के लिए सब्सिडी ज्यादा मिलेगी। बाकी जो इस्तेमाल करते हैं, अलग-अलग इस पर आज नहीं तो कल हमें सब्सिडी कम करनी पड़ेगी क्योंकि उनको डिस्करेज करने की आवश्यकता है। यह बात सच है कि सरकार ने कांशियस डिसीज़न ले लिया है कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यू.पी. में पिछले कई सालों से हम बार-बार वीट एण्ड राइस, पैडी इनकी जो फसल ले रहे, इसका कुछ न कुछ बुरा असर जमीन के ऊपर हुआ है। इसीलिए यह कांशियस डिसीज़न ले लिया कि अभी इसके बाद हम इस्टर्न इण्डिया में कान्संट्रेट करेंगे और वहां खास तौर पर पैडी क्रॉप्स पर कान्संट्रेट करेंगे। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यू.पी. में हम पल्सेज़ और ऑयल सीडस पर ज्यादा ध्यान देंगे। इस बारे में कुछ कदम भी उठाए गए हैं। उसको अच्छे से अच्छा रिसपांस भी मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि अगले साल-दो साल में इस परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए यह नया कदम है। इसका फायदा देश को हो जाएगा।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसी क्षेत्र में हो रहे उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, उस ओर दिलाना चाहता हूँ। जिस तरह के कई रोग और खाद्य और पेय पदार्थों जैसे जल प्रदूषित हो रहा है, सिब्ज़ियां प्रदूषित हो रही हैं, विषैली हो रही हैं, उसके लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम मृदा परीक्षण के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। उसके लिए आपने बताया है कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में इतना धन मुहैया कराया है।



महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गांव का किसान जो मृदा परीक्षण कराना चाहता है, जो उर्वरक के प्रयोग को कम करके जैविक खाद, कंपोज्ड खाद और हरी खाद का प्रयोग करना चाहता है, लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं है। वह अपनी मिट्टी को मृदा परीक्षण के लिए भेजता है और रिपोर्ट आने में बहुत देर हो जाती है, उसको जानकारी नहीं मिल पाती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को जनपदवार व्यवस्थित करने के लिए और किसानों को अपनी मिट्टी की पहचान जानने के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं, तािक रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग बंद हो और जैविक खाद, कंपोज्ड खाद और हरी खाद जिसको लोग चाहते हैं, किसान भी चाहते हैं और देश में आज जो इतना अनाज पैदा हो रहा है, उसे रखने की जगह नहीं है, वह सड़ रहा है, किसान परेशान है तो क्या उस मृदा परीक्षण के लिए जनपदवार प्रयोगशाला खोलने की माननीय मंत्री जी कोई योजना बना रहे हैं?

श्री शरद पवार : मैंने कहा कि अभी तक पिछले दो-तीन सालों में 400-450 के आसपास इस तरह की प्रयोगशाला खोलने का काम किया है और इनके हाथ में एक जिम्मेदारी दी है। इसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा इनकी सॉयल का हेल्थ कार्ड बनाकर देने की आवश्यकता है। आज तक 41 मिलियन यानी 408 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड इस देश में बनाये गये और किसानों को देने का काम वर्ष 2010-11 के साल में किया गया। हम इसे अगले तीन-चार सालों तक कांटीन्यू करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि हर किसान के हाथ में उसकी जमीन की फर्शवारी क्या है, उसकी सॉयल की स्थिति क्या है, क्या किमयां हैं, उसे क्या देने की आवश्यकता है, इसका कार्ड उसको देंगे, जिसके आधार पर उनको खाद का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। साथ-साथ जो बाकी ग्रीन मैन्योर हो, चाहे वर्जली कंपोज्ड हो, ऐसे काम के लिए भी इनकरेज करने के लिए कुछ राशि का प्रबन्ध सरकार ने किया है और राज्य सरकार के माध्यम से हम इस पर अमल करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: महोदया, मैं लगातार आपसे प्रश्न पूछने की अनुमित चाह रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: उन्हें बोलने दीजिए, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शेख सैदुल हक़ जी खड़े हैं, मैं प्रश्न पूछने के लिए उनको बुला रही हूं। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

SK. SAIDUL HAQUE: Madam, the hon. Minister is talking about ecological farming. There is no doubt that there is a great demand for organic products in the export market. But what is needed for the organic products? It is bio-fertilizers. However, we find that the farmers are still dependent on chemical fertilizers, and they are using them indiscriminately damaging both the soil and the seed. The farmers are not conscious of this fact. At the same time, the bio-fertilizers are not available at affordable prices in the market.

The agricultural universities -- both Centre and State run -- have a great role to play here. Has the Ministry of Agriculture made an assessment of what role is played by these agriculture universities in creating awareness amongst the farmers about these organic products and also about the use of bio-fertilizers? What is the Ministry doing to make it available in the market in more quantity? This is my question to the hon. Minister.

SHRI SHARAD PAWAR: Madam, the Government is giving a lot of weightage for bio-fertilizers; vermicompost; use of green manure in the soil; and to improve the soil texture, soil productivity and soil quality. This job is not done at the national level, but we try to take help from all agricultural universities and all extension units of the State Government's Agriculture Departments. We provide funds for them; we organize campaigns through them; and we want to create awareness amongst the farmers.

My personal observation is that the attitude of the farmers is definitely changing, and they are going in for these types of fertilizers other than the said fertilizers.

श्री लालू प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य वरुण गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। यह जो कैमिकल फर्टिलाइज़र है, इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कृषि उत्पादन करने वाले अन्य राज्य जैसे बिहार की ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनाने का दाम देते-देते ज़मीन की जो छाली वाली परत है, वह खत्म हो रही है। फिर उसकी जुताई होने से, पलटाई होने से चार फीट ज़मीन ज़हरीली हो रही है। उसी को बैले करने के लिए जैविक खाद है। जैविक खाद का जन्मदाता कौन है? वह है पशुपालन। आप

कंपोस्ट की बात कर रहे हैं। कंपोस्ट के लिए मैटीरियल कहाँ से आएगा? कंबाइन्ड मशीन से धान और गेहूँ की कटाई हो रही है। वह मशीन ऊपर से ही काट लेती है, वहीं दवाई करके जो कंपोस्ट के लिए रहना चाहिए था, उसमें आग लगाकर किसान जला रहे हैं। साढ़े छः रुपये किलो भूसा मिल रहा है, पुआल मिल रही है। जब गाय का गोबर और भैंस का गोबर ही नहीं रहेगा तो फिर आपके ज़हरीले खेत को आप बैलेन्स कैसे करेंगे? आप पैसे देते हैं कि राज्यवार हमने कंपोस्ट के लिए पैसा दिया, इससे पैसे का दुरुपयोग हो जाएगा। जो ओरिजिन है, जब गोबर नहीं रहेगा, गोबर से चेरा पैदा होता है जो नीचे से मिट्टी लाकर फ्रैश करता है। तो हमारे देश की ज़मीन जो छाली है, वह ज़हरीली हो रही है। आने वाले दिनों में पंजाब के लोग, हिरयाणा के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग, जहाँ गेहूँ और धान ज्यादा पैदा होता है, यह इलाका बिल्कुल बंजर और जहरीली हो जाएगा। कैमिकल खाद के इस्तेमाल से तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं - डायबिटीज़ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, कई लोगों का हार्ट फेल हो चुका है। इससे लीवर में भी गड़बड़ी आ गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कंबाइन्ड मशीन की जगह पर जो कटाई करने वाला मज़दूर है, वह पलायन कर रहा है। आप बड़ी-बड़ी मशीनें लाकर हमारी खाद को पैदा नहीं होने दे रहे हैं। कहते हैं कि पैसा दे दिया। आप स्पष्ट रूप से बताइए कि यह जो कंबाइन्ड मशीन है, इसको बंद करने का इंतज़ाम कब तक करेंगे? ...(व्यवधान) आज मज़दूर भाग रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है।

श्री शरद पवार : महोदया, जब मैं राज्यों में जाता हूँ और राज्यों में किसानों के साथ बातचीत करने का मौका जब मुझे मिलता है तो आजकल जगह-जगह पर किसानों की तरफ से मेरे सामने सबसे पहले एक शिकायत आती है कि हमें खेती में काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। जगह जगह पर लोग नहीं मिल रहे हैं। हर गाँव के किसानों की डिमांड है, हर जगह यह डिमांड आ रही है और राज्य सरकारों की भी यह मांग है कि इसमें मैकेनाइज़ेशन के बारे में आपको कुछ सबसिडी देने की आवश्यकता है और जहाँ लोग उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ कम से कम मशीन के आधार पर हम फसल निकाल सकते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि एक दो राज्यों में आज सूखे की परिस्थिति पैदा हुई। वहाँ की सरकार ने सूखे की परिस्थिति पैदा हो गई है, इसका अंदाज लेकर चारा नहीं मिलेगा, फॉडर नहीं मिलेगा, इसलिए जहाँ पानी है, वहाँ की 10-10 हज़ार हैक्टेयर की क्रॉप को ले लिया, लेकिन आज वहाँ शिकायत यह आ रही है कि वहाँ फॉडर खड़ा है, फॉडर कटवाने के लिए लोग नहीं मिलते हैं और इसलिए वे जानवरों को फॉडर नहीं दे सकते, ऐसी शिकायतें आती हैं। ऐसी परिस्थिति में मैकेनाइज़ेशन के रास्ते से दूर जाना इस देश के हित की बात नहीं है, किसानों के हित की बात नहीं है। इसलिए हमें मदद करनी ही होगी, मगर साथ-साथ मैं इसको

स्वीकार करना चाहता हूँ कि ज़मीन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ और कदम उठाने होंगे और वह कदम हम उठाएँगे तो यह समस्या हल हो सकती है, इस रास्ते पर हमें जाना होगा।

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर सदन चर्चा कर रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी का उत्तर बहुत ध्यान से पढ़ा है। जहां तक जैविक खाद का प्रश्न है, आप उसका प्रचार और विस्तार कर रहे हैं, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन जैसा अभी एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि इसकी कीमत ज्यादा है। क्या आप इसके विषय में कोई सब्सिडी का प्रावधान करने पर विचार करेंगे तािक जैविक खाद की उत्पत्ति और ज्यादा हो सके? दूसरा, क्या पशुपालन विभाग जािपका विभाग मिलकर कुछ ऐसी भी नीितयां बनाएगा, जिससे भारत में पशुधन बरक़रार बना रहे? बजाय आपका जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, वह मीट एक्सपोर्ट के लिए पशुओं को काटने के लिए बराबर बोल रहा है। आप जैविक खाद की दृष्टि से उसकी आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं, जो कि सही है। इसलिए आपको, कृषि मंत्रालय को मिलकर इस संबंध मे एक समेकित नीित बनानी होगी। तीसरी बात इसमें यह है कि कृषि शिक्षा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि समय नहीं है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अभी बहुत समय है। कृषि शिक्षा के बारे में जब तक आप निम्न कक्षाओं से...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को भी तो उत्तर देना है! आप प्रश्न पूछिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: कृषि शिक्षा और कृषि की शिक्षा में जैविक खाद और इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाएंगे नहीं या बताएंगे नहीं तब तक आगे चलकर किसी को इस बारे में ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृषि विद्यालयों की बात को जानते हैं, क्योंकि वे आपके विभाग में हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अब प्रश्न पूछिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: लेकिन इनसे यह भी कहें कि कृषि कोर्सिज़ में कृषि के बारे में प्रशिक्षण ठीक से हो, जिसमें जैविक खाद और उसकी आवश्यकता के बारे में भी लोगों को ज्ञान दिया जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन तीनों विषयों पर आप क्या कहेंगे?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदया, मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि किसान स्टेट फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूरिया, डीएपी और एमओपी आती है। स्टेट फर्टिलाइज़र्स जमीन के लिए फायदेमंद नहीं है। इसका एक ही रास्ता है कि हम आज जो सब्सिडी देते हैं, वह दिन-ब-दिन हमें कम करनी होगी और वह सब्सिडी हमें बायो फर्टिलाइज़र और जैविक खाद की तरफ करनी होगी। यूरिया की सब्सिडी कम करने के लिए मुझे सदन का सहयोग चाहिए। मुझे एक ही चिंता है कि सदन इस इश्यू पर शायद एक अलग एटिट्यूड ले सकता है। लेकिन आज हमें ऐसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जमीन की क्वालिटी हमें मैंटेन करनी है। दूसरा, हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट हैं या स्कूल्स हैं, वहां जैविक खाद और बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। हो सका तो हम अलग से सबजैक्ट लेंगे और इसकी शिक्षा देने के लिए जो आवश्यकता हो, उसके लिए कदम उठाने की तैयारी सरकार की रहेगी।

(Q. 543)

**SHRI K. SUGUMAR**: My Parliamentary constituency is having a huge cultivation of coconut and the majority of the people in my constituency is fully dependent on coconut cultivation. Last year, the rate of copra was Rs. 75 per kilogram, but it has come down to Rs. 35 per kilogram now whereas cost towards labour, fertilizer, cost of land has been doubled as compared to last year.

**MADAM SPEAKER**: Hon. Member, you have very little time. Please ask your question quickly.

**SHRI K. SUGUMAR**: The Government procures copra at Rs. 51 per kilogram which is not sufficient to meet the expenses incurred. The coconut growers are demanding to fix the Minimum Support Price for Copra at Rs. 70 per kilogram. Therefore, I would like to know from the Hon. Minister whether the Government has any plan to increase the Minimum Support Price from Rs. 50 to Rs. 70 per kilogram to protect the interest of coconut growers.

PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD PAWAR): The hon. Member is suggesting that the price has gone below Rs. 35. I am not pretty aware of this. The Expert Committee which has been working and recommending price policy for the State Government, CACP has recommended for 2012 season Rs. 5100 per quintal for FAQ variety of milling copra and Rs. 5350 per quintal for FAQ variety of ball copra. So, if the prices have gone below Rs. 3000, the Government is ready to purchase at the rate of Rs. 5100. The hon. Member should communicate to me the places where the prices have gone below MSP. I will direct NAFED and other organisations to enter that village, start the purchase centre and give the Minimum Support Price, which has been announced by the Government, to the needy farmers.

#### 12.00 hrs

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now the Papers to be laid.

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF CULTURE (KUMARI SELJA): I beg to lay on the Table:

--

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Public Library, Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Delhi Public Library, Delhi, for the year 2010-2011.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6839/15/12)

- (3) A copy of the Review\* (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Science Museum, Kolkata, for the year 2010-2011.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 6840/15/12)

## THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI AJAY MAKEN): I beg to lay on the Table: --

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

<sup>\*</sup> Annual Report along with Audited Accounts were laid on 08.05.2012.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, New Delhi, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6841/15/12)

# THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): I beg to lay on the Table : --

- (1) A gapy and of the following
- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
  - (i) Review by the Government of the working of the i-land Informatics Limited, Kolkata, for the year 2009-2010.
  - (ii) Annual Report of the i-land Informatics Limited, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6842/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Limited and the Ministry of Development of North Eastern Region for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6843/15/12)

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN)**: I beg to lay on the Table a copy of the Foreigners Tribunal Amendment Order, 2012 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 317(E) in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> April, 2012 issued under Section 3 of the Foreigners Act, 1946.

(Placed in Library, See No. LT 6844/15/12)

## THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table :--

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-
  - (i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 3 of 2012-13)-Railways Finances, for the year ended March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 6845/15/12)

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 32 of 2011-12) for the year ended March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 6846/15/12)

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 4 of 2012-13) on hybrid satellite digital multimedia broadcasting service agreement with Devas, Department of Space, for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6847/15/12)

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
  - (i) Appropriation Accounts of Indian Railways (Part I-Review) for the year 2010-2011.
  - (ii) Appropriation Accounts of Indian Railways (Part II-Detailed Appropriation Accounts) for the year 2010-2011.
  - (iii) Appropriation Accounts of Indian Railways [Part II-Detailed Appropriation Accounts(Annexure-G)] for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 6848/15/12)

---

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): I beg to lay on the Table :--

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Haryana Agro Industries Corporation Limited, Panchkula, for the year 2010-2011.
  - (ii) Annual Report of the Haryana Agro Industries Corporation Limited, Panchkula, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 6849/15/12)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Andhra Pradesh State Agro Industries Corporation Limited, Hyderabad, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Andhra Pradesh State Agro Industries Corporation Limited, Hyderabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 6850/15/12)

- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
  - (i) Memorandum of Understanding between the State Farms Corporation of India Limited and the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6851/15/12)

(ii) Memorandum of Understanding between the National Seeds Corporation Limited and the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6852/15/12)

(4) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the National Council for Cooperative Training for the year 2010-2011 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

(Placed in Library, See No. LT 6853/15/12)

(5) A copy of the Notification S.O. 654(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> March, 2011, notifying that the Fertilizer (Control) Order, 1985 made under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1985 as special order for the purposes of the said Act issued under Section 12A of the Essential Commodities Act, 1985.

(Placed in Library, See No. LT 6854/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA): I beg to

lay on the Table a copy of the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in the Notification No. S.O. 940(E) in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> April, 2012 under sub-section (3) of Section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

(Placed in Library, See No. LT 6855/15/12)

#### 12.02 hrs

## LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House in their Sixth Report have recommended that leave of absence be granted to the following Members for the periods indicated against each:

1.	Shri A. Raja	23.12.2011 to 29.12.2011 12.03.2012 to 30.03.2012 and
		24.04.2012 to 22.05.2012
2.	Shri Madhu Kora	12.03.2012 to 30.03.2012 and
		24.04.2012 to 22.05.2012
3.	Shri Dilip Singh Judev	12.03.2012 to 30.03.2012 and
		24.04.2012 to 30.04.2012
4.	Shri Pratap Narayanrao	
	Sonawane	12.03.2012 to 30.03.2012
5.	Shri Dinish Trivedi	08.05.2012 to 22.05. 2012
6.	Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy	22.12.2011 to 29.12.2011
		12.03.2012 to 30.03.2012 and
		24.04.2012 to 09.05.2012

7. Shri Shibu Soren

22.12.2011 to 29.12.2011 12.03.2012 to 30.03.2012 and 24.04.2012 to 08.05.2012

Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee be granted?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

**MADAM SPEAKER**: Leave is granted. The Members will be informed accordingly.

#### 12.02 ½ hrs

### STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

#### Statement

SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA (KARIMGANJ): I beg to lay the Statement (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies in respect of recommendations contained in Chapter-V of the Thirteenth Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2010-2011) (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in Fourth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Demands for Grants, 2011-11 of the Ministry of Social Justice and Empowerment.

#### 12.03 hrs

#### STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the Fifteenth Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2011-12) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation \*

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF CULTURE (KUMARI SELJA): I beg to lay on the Table of the House a statement in pursuance of the direction 73A of the hon. Speaker, Lok Sabha which reads as under:

"The Minister concerned shall make once in six months a statement in the House regarding the status of implementation of recommendations contained in the Reports of Departmentally Related Standing Committees of Lok Sabha with regard to his Ministry"

I would like to inform the hon. Members of the House that the 15<sup>th</sup> Report of the Standing Committee of the 15<sup>th</sup> Lok Sabha on Urban Development was presented to Lok Sabha on 5<sup>th</sup> August, 2011. The Report contains 10 recommendations. Latest status of Action Taken by the Government has been indicated against each recommendation in the enclosed statement. Action Taken Notes on these recommendations as prevailing in October 2011 were sent to the Standing Committee on Urban Development on 21.10.2011.

I would like to inform the hon. Members that further follow up action wherever necessary will be taken, in respect of these recommendations.

The Annexure to this statement is placed on the Table of the House.

\_

<sup>\*</sup> Laid on the Table and also placed in Library, See No LT 6856/15/12

#### 12.04 hrs

### MOTION RE: THIRTY-EIGHTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

## THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move:

"That this House do agree with the Thirty-eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 14<sup>th</sup> May, 2012."

#### **MADAM SPEAKER**: The question is:

"That this House do agree with the Thirty-eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 14<sup>th</sup> May, 2012."

The motion was adopted.

#### 12.04 ½ hrs

#### **OBSERVATION BY THE SPEAKER**

#### **Notice Of Question Of Privilege**

MADAM SPEAKER: I have received the notice of Dr. Raghuvansh Prasad Singh on the question of privilege dated 11<sup>th</sup> May, 2012 against the Minister of Health and Family Welfare for allegedly giving incorrect reply to your unstarred question No. 5975 dated 11<sup>th</sup> May, 2012 regarding payment of monthly allowance to ASHA workers under the National Rural Health Mission. The matter is under my examination.

**डॉ**. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, मैं आशा कर्मचारियों के बारे में बोलना चाहता हूं।...(<u>व्यवधान</u>) अध्यक्ष महोदया: आपका यह मामला मेरे पास आया है। हम देख रहे हैं।

...(व्यवधान)



**MADAM SPEAKER**: Now we will take up 'Zero Hour' matters. Shri Basu Deb Acharia.

**SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA)**: Madam, I have given notice for Adjournment Motion on a very serious matter.

MADAM SPEAKER: I have rejected that and I am allowing you in Zero Hour.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): She has converted it into Zero Hour matter.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Okay.

Madam, the strike by the pilots of Air India is continuing for more than fifteen days. Former Civil Aviation Ministers are here. There was a discussion. The matter was raised by Comrade Gurudas Dasgupta during Zero Hour about ten or twelve days before, and then again under Rule 193. During this period, instead of having measures initiated to resolve the issues, to resolve the strike, to discuss with the Association and to address the problems, the Civil Aviation Minister is making statements outside this House, statements on policy matters. When the House is in session, Madam, how can a Minister make a statement outside on a policy matter?

I would like to know from the Government what efforts the Minister has taken to resolve the issue. Moreover, Madam, services of more than 80 pilots have been terminated so far and the number may increase further. ... (*Interruptions*) A large number of flights have been cancelled causing inconvenience to passengers. We discussed here in this House the problems that arose after the merger and how the national carrier, a Central public sector undertaking, was deliberately made sick by this Government, UPA-II Government, to serve the interest of the Minister.

We now have seen, Madam, that the Minister has made a statement that the national carrier Air India would be privatized. We have seen in the past a move to privatize Indian Airlines and Air India before their merger. Now without addressing the problems of the national carrier, a public sector undertaking, the

Minister's only motive is to discredit the national carrier and to sell it. He has made it very clear that the Government will not take the responsibility of running Air India.

I would like to know from the Government how the Minister, a policy-maker, can make such a statement outside this House on privatization of a particular public sector undertaking which is a policy matter. I would like to know from the Government the steps that have been taken to resolve the issue.

Instead of victimizing the workers, the pilots, why does the Government not sincerely try to resolve the issue by having discussions with the representatives of the unions or associations?

MADAM SPEAKER: Thank you. Please conclude now. There is a discussion under Rule 193 on this subject listed for today.

SHRI BASU DEB ACHARIA: The order of dismissal of pilots smould be terminated – the order of dismissal should be withdrawn forthwith; favourable conditions should be created and then, measures should be taken to revive the public sector undertaking, the national carrier.

MADAM SPEAKER: Thank you. There is a discussion under Rule 193 slated for discussion later in the day today.

SHRI BASU DEB ACHARIA: The Government should not resort to privatize Air India. The Government should take immediate action to save Air India. Thank you. MADAM SPEAKER: Shri M.B. Rajesh is allowed to associate with the issue raised by Shri Basu Deb Acharia.

Just wait. There is a discussion under Rule 193 slated for discussion later in the day today. So, please do not prolong this.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I am not on that. You may kindly remember that this House, on the 60<sup>th</sup> Anniversary of Parliament, had adopted a unanimous Resolution. The third point of the Resolution is "Accountability of the Government to the Parliament." It means the collective accountability and accountability of the Ministers. The point is that it is the

privilege of the House and the right of the House that when the House is in Session, any important policy statement has to be made on the floor of the House. That is the general tradition, that is the Parliamentary practice, and that is the accountability.

MADAM SPEAKER: Thank you.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: No. Please listen to me.

This is the statement. He made a statement on the 14<sup>th</sup> saying that merger had not worked. He made another statement saying that merger did not go as planned. Yesterday, I was looking at the TV. On NDTV, he was speaking eloquently. Everybody loves to speak on TV and there is nothing wrong. He said that there should not be a national carrier. Please understand the implications. Secondly he asked what does the Government do in the service sector.

Madam, please take the three statements – he is against merger, he is against national carrier, and he is against the Government entering the service sector. It is a policy decision. He is not competent to take a decision. The Cabinet has to take a decision.

MADAM SPEAKER: All right; you made your point. Thank you. Please sit down. SHRI GURUDAS DASGUPTA: Going beyond the Cabinet, he is making statements everywhere. Not only that. Please allow me two minutes.

MADAM SPEAKER: How can I do that? It is already listed for discussion this afternoon.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I am saying that he must be called to this House and made to explain. Otherwise, we shall collectively move a privilege motion against him. Please call him immediately to explain; otherwise, all of us together will move a privilege motion. ... (*Interruptions*) I hope that everyone will support me. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please send your slips.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Shri Virendra Kumar, Shri Rajendra Agrawal, Shri P. Lingam, Shri Bhoopendra Singh, Shri Jitendra Singh Bundela and Shrimati Jyoti Dhurve are allowed to associate with the issue raised by Shri Gurudas Dasgupta.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप इनके बाद बोलेंगे, अभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज पूरे देश में आईपीएल मैच हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसी सदन में कालेधन को लेकर बराबर चर्चा हुयी कि किस प्रकार से कालेधन को वापस लाया जाए और सरकार इस पर श्वेत-पत्र जारी करे। आज पूरे देश में जो आईपीएल मैच हो रहे हैं, वे फिक्सिंग के तहत हो रहे हैं, जिनमें कालेधन का दुरूपयोग पूरी तरीके से हो रहा है और उसे सफेद धन बनाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी एक साजिश है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसे संज्ञान में ले। इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान और अन्य देश के खिलाड़ियों के खिलाफ फिक्सिंग के लिए कार्रवाई हुयी है।

लेकिन अपने देश के खिलाड़ियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए। आईपीएल मैच के फिक्सिंग का जो मामला है यह दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसमें काला धन लगा कर सफेद धन किया जा रहा है। इसमें देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पैसे की रिकवरी कर के सरकार उसे सरकारी खजाने में डाले। मैं यही मांग कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी, श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा शून्य प्रहर में उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करते हैं।

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं और जब वर्ष 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था तो मैं उसका सदस्य था। स्पोर्ट फिक्सिंग का मामला आज का नहीं है। वर्ष 1999 में, मैं तेरहवीं लोकसभा का सदस्य था तब भी मैच फिक्सिंग का इश्यू उठा था। वर्ष 1996 के बाद बोर्ड में काफी पैसा आना शुरू हुआ। मुझे कोई आपित नहीं है कि राजनीतिक लोग उसमें आए हैं लेकिन खेद की बात यह है कि जब से राजनीतिक लोग आए हैं तब से, और किटेंग क्रॉस पार्टी लाइन्स मैं बात करता हूं, चाहे उधर हों या इधर के हों, चाहे उस सदन में हों या इस सदन में हों, किसी ने भी मैच फिक्सिंग से ले कर आज तक स्पोर्ट फिक्सिंग पर, बीच में आईपीएल का मुद्दा उठा था। हैन्सी क्रोनिए जो साउथ अफ्रिका के कप्तान थे उन्होंने अदालत के सामने माना था कि वे मैच फिक्सिंग करते थे, दिल्ली और हिन्दुस्तान से फिक्सर थे।

कोई जब कभी भी किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में इधर से उधर आक्षेप करते हैं तो सब खड़े होते हैं। उधर से कोई इधर करता है तो सब खड़े होते हैं लेकिन जब क्रिकेट का मामला आता है तो क्रिकेट के मामले के ऊपर जिस समय लोग आपित उठाते हैं तो सारे मौसेरे भाई बन जाते हैं उसके पहले की कहावत मैं नहीं कहूंगा। हर एक एसोशिएशन को तीस-तीस करोड़ रूपया प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वह पैसा कहां जाता है? इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है? खिलाड़ियों के ऊपर अवश्य आपित होती है, मैं समझ सकता हूं लेकिन भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक जाता है।

इसिलए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, यहां खेल मंत्री बैठे हुए थे, वे चले गए हैं। नेशनल स्पोर्ट फेडेरेशन में क्रिकेट नहीं है। इसमें दूसरे अन्य खेल हैं। इसिलए खेल मंत्रालय का इस पर कुछ प्रभाव नहीं आ पाता है। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जितने भी एशोसिएशन और बोर्ड्स हैं इनके ऊपर इंटरनल ऑडिट बैठा कर इसके अंदर हो रहे घोलमाल की जांच की जाए। आईपीएल यहां से उठ कर साउथ अफ्रिका चला गया। विदेशी मुद्रा का जो हमारा नियम है उसका उल्लंघन हुआ। वह मामला दब गया। स्टैंडिंग कमेटी में भी यह मामला गया। आईपीएल को कहा गया कि यह कॉमर्शियल है। ...(व्यवधान) जितने भी खेल के यहां बोर्ड्स बनें हैं और जितने भी यहां एशोसिएशंस हैं सब ने किसी समय में एक-एक रूपया पर साल के लिए जमीन को लिया था और उसके अंदर यह कहा गया था कि हम खेल को बढ़ाएंगे। यह नो-प्राफिट और नो-लॉस में होगा लेकिन उस मेमोरैण्डम ऑफ एशोसिएशंस को बेच कर लोगों ने कारपोरेट हाउसेज को तीन-तीन करोड़, चार-चार करोड़ और पांच-करोड़ रूपये में बेचा। आईपीएल एक कॉमर्शियल एन्टिटी है। मैं मानता हूं

कि उन्होंने अलग-अलग फ्रेन्चाइजीज रखे हैं। लेकिन उसमें जो ग्राउंड्स के अंदर मेमोरैण्डम ऑफ एशोसिएशन का उल्लंघन किया है, जो उद्देश्य था कि नॉन प्राफिट ऑर्गेनाइजैशन बना कर हम इस को करेंगे उसका क्या हुआ?

इसलिए मैं चाहता हूं कि आप के माध्यम से जानकारी होनी चाहिए और पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि पुलिस और प्रशासन इन सबों के साथ मिल कर गुलर्छरें उड़ा रही है। मैं दिल्ली पुलिस को एक साल से बारबार चिट्ठी लिख रहा हूं कि एशोसिएशन में अनियमितताएं हो रही हैं लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लोग बात करते हैं कि अलग-अलग सोशलिस्ट खड़े होते हैं या दूसरे एनजीओज खड़े होते हैं, लालू जी जिनको पसंद नहीं करते हैं, "एवं अन्य लोग ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया नाम न लें।

श्री कीर्ति आज़ाद: वे इसिलिए खड़े होते हैं कि साल-साल भर हमारे जैसा आदमी जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता हो, जो सबसे उच्च सदन में बैठा हो जब उनकी बातों को नहीं सुना जाता हो तो मैं समझ सकता हूं कि आम आदमी की चिटि्ठयों और उनकी आवाज का क्या होता होगा? ...(व्यवधान)

इसलिए मैं आप से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली पुलिस एवं अन्य प्रशासन के जो विभाग हैं उन सबों को टाइट किया जाए। हमारी जो लिखी गई चिट्ठियां हैं उनके ऊपर तुरन्त कार्रवाई हो। कार्रवाई हो कर दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसमें केवल खिलाड़ी ही नहीं, शैलेन्द्र जी ने मामला उठाया है या आज हमने इंडिया टीवी में देखा है, सिर्फ उस पर नहीं, मैं चाहता हूं कि खिलाड़ी ही बल्कि इन संस्थाओं को चलाने वाले राजनीतिक लोग जब से आए हैं तब से इसमें भ्रष्टाचार बढ़ता गया है। पैसा इतना ज्यादा आ गया है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कहां खर्च करें? एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे दुःख होता है, एक सांसद होने के नाते मैं समझता हूं, मैं यहां खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, अपने क्षेत्र का तो प्रतिनिधित्व करता ही हूं। इसलिए आपसे मेरा यह अनुरोध है कि आप गवनर्मेन्ट को यह डायरेक्शन देंगी कि इन सभी एशोसिएशंस का इंटरनल ऑडिट हो और हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जाए।

क्रिकेट का खेल धर्म की तरह अपने देश में माना जाता है। सचिन तेंदुलकर को भी हमने उनके खेल के कारण संसद सदस्य बनाया है। वह सरस्वती की मॉलैस्टेशन नहीं होनी चाहिए, हमने सरस्वती की पूजा की है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आदेश दें। यह सरकार इसे संज्ञान में लेगी और उचित कार्यवाही करेगी और जो गलत कर रहे हैं, उन्हें दंडित करेगी। (व्यवधान)



<sup>\*</sup> Not recorded

अध्यक्ष महोदया : श्री एम.बी. राजेश अपने आपको श्री कीर्ति आजाद के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री इज्यराज सिंह।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जो माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, वे टेबल पर स्लिप भेज दें।

...(व्यवधान

अध्यक्ष महोदया: मैंने इज्यराज सिंह जी को बुला लिया है।

...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: The Minister may be directed in this regard. It cannot be overlooked.

MADAM SPEAKER: Nothing will be overlooked.

श्री लालू प्रसाद: पॉयलेट हड़ताल पर हैं। वे बरखास्त हो गए हैं। मंत्री जी पॉयलटों से बात नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान) पॉयलट कभी न कभी नर्वस होकर...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आज दिन में इस पर चर्चा है। आप लोग उसमें हिस्सा लीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

(Interruptions) \*

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, गुरुदास दासगुप्ता जी, आपको मालूम है आज इस विषय पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं जान रही हूं कि आप लोगों को इसकी बहुत पीड़ा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइए और हाउस को चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: महोदया, मंत्री जी को पॉयलटों को बुलाकर बात करनी चाहिए।...(व्यवधान)

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: It is violation of the rights of the workers. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। मैं आप लोगों से इसिलए अनुरोध कर रही हूं कि इसी विषय पर आज नियम 193 के अंतर्गत चर्चा लगी हुई है। जितने मुद्दे हैं, उसमें उठेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : चर्चा हो रही है। It is in the list of business. आप उसमें अपनी बात कह लीजिए। अभी शून्यकाल चला लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, विषय यह नहीं है कि चर्चा हो रही है और वे आकर जवाब देंगे, सवाल यह है कि चर्चा हुई और चर्चा का उत्तर न आकर गंगा वाली दूसरी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन इस बीच सदन की अवमानना करते हुए मंत्री महोदय बाहर बोले। जो तीन चीजें अभी गुरुदास दासगुप्ता जी ने कहीं कि यहां नैशनल कैरियर की जरूरत नहीं है, सरकार को सर्विस सैक्टर में आना नहीं चाहिए। इतने बड़े नीतिगत मुद्दे और इतनी बड़ी नीतियों के ऊपर व्याख्यान, क्या कोई मंत्री सदन के चलते बाहर बयान दे सकता है, खास तौर पर उस विषय पर जिसका सदन में संज्ञान लिया जा चुका है, जिस पर सदन में चर्चा हो रही है, जिसमें उनका जवाब आना है? प्रश्न यह है, प्रश्न यह नहीं है कि वे नियम 193 के अंतर्गत उठाई गई चर्चा का जवाब देंगे। जो सवाल गुरुदास दासगुप्ता जी ने उठाया है, वह प्वाइंट ऑफ आर्डर और प्वाइंट ऑफ प्रॉपरायटी का उठाया है। ...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS D ASGUPTA: Madam, it is a privilege issue.

श्रीमती सुषमा स्वराज: प्वाइंट ऑफ प्रॉपरायटी है जिस पर प्रिविलेज बनेगा। एक चर्चा जो सदन में चल रही है, उस पर उन्हें अभी जवाब देना है। वह जवाब सदन में न देकर बाहर टीवी चैनलों पर दे रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं। यह प्रश्न प्रिविलेज का बनता है। इसमें सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। इसलिए

हंमारा आपसे अनुरोध है कि आप मंत्री जी को बुलाइए। चर्चा का नहीं, यह जो प्रश्न उठा है, इसका जवाब दें कि वे बाहर क्यों बोल रहे हैं, अंदर आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Please give the direction to the Government in this regard.

MADAM SPEAKER: How can I give a direction?

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I would like to say that it is the privilege of the House. You are the custodian. Please ask the Government to bring the Minister here.... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): He would answer all the questions raised by you during the course of his reply... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Can we proceed with the 'Zero Hour'?

... (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, Leader of the Opposition, Sushmaji, has raised a very important issue of propriety... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right. Let me receive a notice on this. If you think I should do something about it, let me first receive a notice about it. Then, I will take an action.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Let us proceed now.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया: लालू जी, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? क्या हुआ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: इज्यराज सिंह जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइये। अब हो गया। Let us proceed.

...(व्यवधान)

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): अध्यक्ष महोदया, मैं एक ऐसी समस्या को सदन के सामने रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: We are in the middle of 'Zero Hour'. As you know, during 'Zero Hour' there is no point of order. Everybody knows about it. He has raised some issue. Now if I receive a notice, I will look into it. That is what, I can do. Now, we are in the middle of 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. If you give me a notice, I will certainly look into it.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I have not given any notice. I would just request you to ask the Government to bring the Minister to the House to explain why he is issuing the statements. You please give a direction.

MADAM SPEAKER: How can I do that?

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)\*

SHRI ANANTH KUMAR ): Madam, the matter is listed here and the Minister is speaking outside... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go into the records.

(Interruptions)\*

MADAM SPEAKER: We are in the middle of 'Zero Hour'. You know the rules of 'Zero Hour'. You know how we conduct the 'Zero Hour'.

... (Interruptions)

श्री अनंत कुमार: अध्यक्ष महोदया, आप इस विषय के बारे में रूलिंग दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं क्या रूलिंग दूं?

...(व्यवधान)

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

श्री गुरुदास दासगुप्त: अध्यक्ष महोदया, आप डायरेक्शन दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: इज्यराज सिंह जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। आप सब जीरो ऑवर के बारे में जानते हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

### **12.28 hrs**

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

#### 14.02 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

#### **MATTERS UNDER RULE 377\***

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 will be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may lay them personally and send slips to the Table of the House within 20 minutes. Only those matters will be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time, rest will be treated as lapsed.

# (i) Need to provide stoppage of superfast trains at Chalakudy in Kerala and expedite construction of Road Over Bridges and Road Under Bridges in Chalakudy Parliamentary Constituency

SHRI K. P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): Aluva, Chalakudy and Angamaly are the three major Railway stations within my constituency area and are declared as Adarsh stations. Aluva is a pilgrim centre and Gateway of Munnar tourist centre as well as near to the Cochin International Air port. The Modernization of Angamaly Railway Station befitting its Status as the gateway for lakhs of pilgrims visiting Malayattoor, St. Thomas Church, Kalady (Birth place of Adhi shankaracharya) is long-awaited.

Chalakudy Railway Station in my constituency is already declared as Adarsh Station and is geographically situated in the Trichur district. Chalakudy is the Headquarters of my constituency. Chalakudy is the gateway to the famous waterfalls of Athirappilly, Vazhachal and Thoompoormoozhy which are important tourist

<sup>\*</sup> Treated as laid on the Table

destinations and location for many famous films. Muziris, which was considered to be the ancient port city of our country, is bagging tourists and scholars from different parts of the country. Besides, famous Christian retreat centre Devine Nagar at Muringoor is also near Chalakudy. Also Govt of India Press Koratty, industrial concerns like Appollo Tyres, Kerala Feeds, Infopark are all within the area of Chalakudy Railway station which is located between Emakulam and Trichur stations. The distance between Emakulam and Trichur is 75 Km and Ernakulam to Chalakudy is 44 Km and Chalakudy and Thrichur is 31 Km. Now the passengers from Chalakudy, western areas like Kodungallur, Mala, Irinjalakuda, Kaipamangalam and eastern areas like Malakkappara, Vettilappara and Kodassery have to reach Trichur for getting trains. For about 25 years, new trains already started and being announced each year is not considered for stoppage at Chalakudy. Approximately 12 lakhs people are the beneficiaries living in 2 Municipalities and about 25 Grama panchayats falling within Mukundapuram and Kodungallur taluks in Trichur District. Thousands of people who are employed outside the state and belonging to places around Chalakudy, Kodungallur and Kaipamangalam constituencies are fully depending on Trichur Railway Station for rail journey which is about 40 km away. Hence I request that, considering the above points, the Superfast trains passing through this route may be enlisted for stops at Chalakudy,

The foundation stone was already laid on 12.12.2010 for the construction of the Nedumbassery Railway station which is proposed near the International Airport at Nedumbassery. As no fund is seen allotted for the work in the Budget for the year 2012-13, I request to sanction sufficient fund for the construction of the Nedumbassery Railway station.

Sanction for the construction of Railway Over bridge at Purayar Gate No.64 B was already issued, but no budget allotment is seen in the Budget 2012-13. Hence I request to allot sufficient fund in the Budget 2012-13 for the completion of the ROB at Purayar.

Besides, funds were allotted in the Budget 2012-13 to the following Road

#### Over/Under Bridges.

(1) Ankamaly-Kalady- yard subway in lieu of level crossing No.61.(2) Karukutty-Angamaly ROB at Gate No.59 (3) Chalakudy-Angamaly(Divine Nagar) ROB at Gate No.52(4) Chalakudy-Karukutty ROB at Gate No.50 (5) Irinjalakuda-Chalakudy ROB at Gate No.45 (6) Irinjalakuda-Chalakudy-(Vellanchira) ROB at Gate No.46

I request that the construction works of the above projects in my constituency may be completed immediately, which were already sanctioned for construction.

### (ii) Need to take necessary steps for solid waste management in Thiruvananthapuram, Kerala

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thiruvananthapuram has been facing a severe solid waste management crisis since December last year due to the non-functioning of Vilappilsala garbage treatment plant. Garbage trucks are unable to transport waste to the plant due to severe opposition from the locals. The High Court has ordered the reopening of the plant and even the Supreme Court has rejected the plea of the Vilappilsala Panchayat for a stay on the High Court's order. The residents of Vilappilsala are vehemently opposed to the reopening of the plant.

This has led to garbage accumulating in public places and also spilling on to the streets. Waste collection has come to a standstill as there is no space to landfill or even burn the garbage.

Thiruvananthapuram is facing an epidemic like situation and the health of the people of the city cannot be taken lightly any longer. The city receives a large number of international visitors who are also being exposed to the unhygienic conditions. The situation will only worsen once the monsoon sets in. Vilappilsala itself is at risk if the garbage already dumped in the plant is not treated.

It is also of critical importance that the equipment for construction of a leachate treatment unit and sanitary landfill be transported to the Vilappilsala plant. The functioning of the garbage treatment plant is imperative till the plans for decentralisation of waste management in the city take shape which will at the earliest take 3 to 4 months.

I urge the government to intervene in the matter for the sake of the health of the residents of the city.

#### (iii) Need to accord classical language status to Malayalam

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I would like to speak here on a matter of utmost importance which has been agitating the sentiments of every Malayalam speaking person. The question of according classical language status to Malayalam has been pending with the Union Government for a long time. Though the Government of India has accorded classical language status to other Dravidian languages like Kannada, Tamil and Telugu, it has not yet recognized Malayalam as a Classical Language. Numerous scholars of eminence have written extensively in Malayalam language. The language is as old as the civilization in India. A committee headed by O.N.V. Kurup had found that Malayalam met all the parameters for getting the classical status such as antiquity, a literary tradition that has evolved through centuries and grammatical features.

It is learnt that the Government of India has formed a panel of linguistic experts to examine the issue of according classical language status to Malayalam. The matter is pending with the Sahitya Akademi for a decision.

If Malayalam is accorded the status of a classical language, it would be eligible for certain benefits like international awards for scholars and mandatory professional chairs at Central Universities.

I, therefore, request that the Malayalam language may be accorded the classical status at the earliest so that it is eligible for certain benefits which are accruing to languages which have been given this status.

### (iv) Need to stop the illegal import of Chinese products swarming the markets in the country and posing serious threat to the domestic industry

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे घरेलू बाजार में चीन का दिन ब दिन बढ़ता प्रभाव चिंता का विषय बन गया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर दिनों दिन बुरा असर पड़ रहा है, कुछ अखबारों में प्रकाशित खबरों के अनुसार सन 2014-15 में भारत का 75 प्रतिशत उत्पाद चीन से मंगाए गए सामान पर आश्रित होगा, वर्तमान समय में यह 26 प्रतिशत चीन पर निर्भर है।

भारत के कल-कारखानों में जो सालाना उत्पाद है उसका जीडीपी 304 अरब डॉलर है। इसमें से 80 अरब डॉलर का उत्पाद चीन से किए गए आयात पर निर्भर है। इसका मतलब है कि चीन के साथ व्यापार में भारत आज घाटा उठा रहा है। चीन से हम ज्यादा सामान आयात करते हैं और इसकी तुलना में चीन को निर्यात कम करते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो 2014-15 तक इसके घाटे के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने के आसार हैं।

अभी हाल ही में हमारी सरकार ने चीन के कई उत्पादों पर आयात करने पर पाबंदी लगाई है, किन्तु चीन के उत्पादों के अन्य देशों के उत्पादों से सस्ते होने के कारण देश में इनकी भारी मांग है जिस कारण अवैध रूप से यह सस्ता सामान हमारे बाजारों में खुले आम बिक रहा है। मुख्यतः यह सामान तीज त्यौहारों के समय पर हमारे पड़ोसी देशों से तस्करी के रास्ते पहुंचता है, जिस कारण घरेलू उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

मेरा सरकार से यह निवेदन है कि समय रहते देश के छोटे उद्योगों को बचाने के लिए तथा हमारे पड़ोसी देशों से हो रही तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं और साथ ही साथ चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए केन्द्र कोई ठोस रणनीति बनाएं, जिससे हमादे देश की औद्योगिक प्रगति में कोई बाधा न आये।

### (v) Need to implement Student Police Cadet Project of Kerala all over the country

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I request the attention of the Government towards the successful model of Student Police Cadet Project implemented in Kerala. Students are undergoing training in 128 schools across Kerala and the project is being extended to other 100 more schools. This novel project aims to provide training, interaction and exposure of police to the students and moulding a law-abiding society. The training is enabling students to work along with the police in ensuring internal security, eradicating crimes, maintaining law and order, traffic control and social service. The mission has been taken by the student cadets in this school vocation to create awareness about road safety was really appreciable. It is the need of the time to equip the students to react against social evils like terrorism, separatism, communalism and drug addiction. This project also helps for better police community relationship. I request the Government to consider for implementing this project in national level and to train the students in schools across the country.

### (vi) Need to recognize Eunuchs and provide them with proper identity in the country

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर) : भारत के निर्वाचन आयोग और जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में एक भी किन्नर नहीं है, यह सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन यह सच है। वोटर आई.डी.कार्ड में लिंग वाला कॉलम भरते समय मेल या फीमेल या पुरुष या महिला में से एक आप्शन चुनना पड़ेगा, यानी आयोग मानता है कि देश में एक भी किन्नर नहीं है। किन्नर समाज पहचान के इस दिकयानूसी तरीके से बेहद नाराज हैं। देश के किन्नरों का कहना है कि समाज जब हमें एक तीसरी जाति के तौर पर देखता है तो हमें अभी तक इस देश की कोई भी सरकार पहचान दिलाने के बारे में क्यों नहीं सोच पाई है। देश में आज तक किसी भी जनगणना में किन्नरों की गिनती नहीं की गयी है। 2001 की जनगणना के मुताबिक देश में या तो महिलाएं हैं या पुरुष, लेकिन किन्नर समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पहचान की इस लड़ाई में कई सवाल हैं। किन्नरों के लिए वोटर आई.डी. जैसे कार्ड में कोई पहचान नहीं दे रखी है, ऐसे में अगर इन्हें मोबाइल सिम लेना हो, किसी बैंक में खाता खुलवाना हो, तो वोटर आई.डी. की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन किन्नरों को इस आई.डी. के नाम पर एक झूठी पहचान ही अपने साथ ढोनी पड़ रही है। किन्नरों का कहना है कि हम हमारे असली घरों से इसलिए ही बेघर हो जाते हैं क्योंकि हम किन्नर हैं, लेकिन सरकार हमें वह पहचान ही नहीं दे रही है।

हाल ही में दिल्ली के नन्दनगरी में किन्नरों के एक सम्मेलन के दौरान आग लग जाने से कई किन्नरों की जान चली गयी। जब उन्हें मुआवजे की बात आई तो किन्नरों के वारिस तथाउनकी पहचान जैसे कई सवाल उठ खड़े हुए थे। ऐसी दुर्घटनाओं के समय में यह किन्नर आज भी कागजों पर केवल औरत या आदमी ही है।

सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि देश में किन्नर समाज को पहचान देने की पहल करें।

### (vii) Need to provide facilities to the Gallantry Medal Awardees of armed forces at par with Medal Awardees of Para Military forces

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) : आज मैं देश के एक ऐसे विषय पर मा. रक्षा मंत्री जी का ध्यान सशस्त्र सेना के सेना क्लास (सेना, नवसेना व वायुसेना मैडल) के गैलेन्ट्री मेडल व अर्धबल सेना के पुलिस गैलेन्ट्री मैडल में दी गई स्विधाओं की असमानता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वरीयता के आधार पर सशस्त सेना का सेना क्लास मैडल अर्धसैनिक बलों को मिले पुलिस मैडल से दो दर्जे ऊंचा है। ऐसा भारतीय सरकार के नोटिफिकेशन में दिया है। आज की स्थिति के अनुसार पुलिस गैलेन्ट्री अवार्डी को रेलवे, इंडियन एयर लाईन्स की यात्रा में छूट की सुविधा है जो कि सशस्त्र सेना के सेना क्लास मैडल अवार्डी को अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे कितने सशस्त्र सेना के सेना मैडल गैलेन्ट्री आवार्डी हैं और इन्हें कैसे दिया जाता है। यह सभी लोग अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। इन जवानों को उनके असाधारण साहस को देखते हुए ही महामहिम राष्ट्रपति द्वारा यह आवार्ड दिया जाता है। लाखों जवानों में कुछ एक जवानों को यह अवार्ड दिया जाता है। मेरा मा0 रक्षा मंत्री जी से यह कहना है कि आप लोग जो घोषणायें या नियम बनाते हैं तो उसका पालन हो रहा है या नहीं इसका जायजा कौन लेगा। हाल ही में विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सरकार व मीडिया द्वारा सशस्त्र सेना के कार्यो की खूब सराहना की गई। मैं मा0 रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस गैलेन्ट्री मैडल आवार्डी को और सशस्त्र सेना के सेना क्लास गैलेंट्री मैडल अवार्डी सुविधाओं में जो असमानता है उसे तुरन्त खत्म करें और इन सेना अवार्डियों को रेलवे एवं इंडियन एयर लाइंस की जो सुविधा मिलनी चाहिए उसे तत्काल दिलाने की कृपा करें। इस असमानता को दूर करने से सशस्त्र सेना के सदस्यों का यह विश्वास बढ़ेगा कि सरकार प्रशंसा करने के साथ-ही-साथ सशस्त्र सेनाओं की सुविधाओं में निरंतर बढोतरी कर रही है। इसलिए मैं मा0 रक्षा मंत्री जी से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे निवेदन का तत्काल संज्ञान लेकर दिशा निर्देश जारी कर इन लोगों को न्याय दिलायें।

### (viii) Need to extend financial assistance to Cachar Cancer Hospital and Research Centre at Silchar, Assam

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA (SILCHAR): The Cachar Cancer Hospital and Research Center (CCHRC) established in 1996 and administered by the Cachar Cancer Hospital Society, a non-profit NGO registered under the Societies Registration Act, is located in the outskirts of Silchar town in the Barak Valley of Assam in India. The Society consisting of about 70 socially conscious citizens of the valley from different walks of life came into existence in 1992 as a result of a desperately felt need for a cancer hospital since the only cancer hospital in the entire north east was in far away Guwahati. The society has three principal objectives, (i) to make people aware (ii) to establish a full-fledged cancer hospital to provide meaningful services to all suffering people and (iii) to set up a cancer research center.

Public philanthropy (from rickshaw pullers who contributed a day's earnings to leading citizens) helped the Society establish the Cachar Cancer Hospital & Research Center at Meherpur village, near Silchar town, on a plot of land (11 bigha) allotted so kindly by the Government of Assam thus truly symbolizing a people's project.

The hospital serves an extremely underserved and economically impoverished community of patients from the Barak Valley Districts of Assam state and from the states of Tripura, Manipur and Mizoram.

The hospital is sustained mainly through voluntary efforts and public charity. It is, therefore, extremely hard to raise resources to upgrade infrastructure and purchase equipment essential for standard cancer care. I urge upon the Government to come forward to extend financial assistance of Rs. 50.50 crore as prayed by the Society for rendering proper services to the patients of this very economically backward zone of the country.

### (ix) Need to make revenue stamps available in post offices in the country

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरट) : हमारे देश में अपने लेन देन को वैधानिक क्षेत्र में लाने के लिए हमें एक "रेवेन्यू स्टाम्प" का प्रयोग करना पड़ता है जिसकी कीमत एक रूपये है। लगभग तीन वर्ष पूर्व एक रूपये का यह टिकट डाकघर द्वारा बेचा जाता था, परन्तु उस समय कुछ कमीशन नहीं बढ़ाने के कारण डाकघर ने इसे बेचना बंद कर दिया। आज ये टिकट कोर्ट-कचहरी में "स्टाम्प वेंडरौँ द्वारा तीन रूपये में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। कई बार तो क्रेता को अपने स्थान से ऐसे स्टाम्प खरीदने के लिए पचास रूपये तक वाहन पर व्यय करने पड़ते हैं।

मेरा इस संबंध में वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी कीमत बढ़ाकर चाहें तो दो रूपये कर दें तथा डाकघर का कमीशन भी बढ़ा दें। ऐसा करने से क्रेता को लाभ होगा, आय के संकट से जूझ रहे डाकखानों को बिना अतिरिक्त व्यय किये कमीशन के रूप में धनराशि प्राप्त हो जायेगी तथा सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

### (x) Need to provide adequate honorarium to Grameen Dak Sevaks in the country

श्रीमती ज्योति धुर्वे (वेतूल) : मैं इस सरकार का ध्यान ग्रामीण सड़क डाक सेवकों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूं। डाक विभाग में लगभग पौने तीन लाख ग्रामीण डाक सवक कार्यरत हैं जो कि लगभग 8 घंटे कार्य करते हैं परन्तु उन्हें मानदेय 5 घंटे के हिसाब से मिलता है। यह ठीक नहीं है। शाखा डाकघरों के माध्यम से ग्राहकों को बचत बैंक, सावधि जमा, ग्रामीण डाक बीमा एवं महिला समृद्धि योजना इत्यादि सुविधायें उपलब्ध हैं। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि डाक विभाग का 80 प्रतिशत कार्य ग्रामीण डाक सेवकों पर ही निर्भर है। अतः ग्रामीण डाक सेवा को जीवंत बनाये रखने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि विभिन्न ग्रामों में स्थित शाखा डाकघरों के माध्यम से 'मनरेगा ' अंतर्गत देय राशि का भुगतान भी हो रहा है, लेकिन बैंकों की दूरी शाखा डाकघरों की अपेक्षा अधिक होती हैं जिससे मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी प्राप्त करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण डाक सेवकों को मिलने वाला समय संबद्ध निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) जो पाएंट सिस्टम से दिया जाता है उसे हटाकर उन्हें ग्रो-राटा आधार पर लगभग 8 घंटे का वेतन दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण तार विभाग के कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा एवं उनके अचानक दुर्घटनाग्रस्त होने पर विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है।

मशीनी मैनेजमेंट में पिछले 10 वर्षों की मशीनों को केवल रिपेयर करके ही काम चलाने की व्यवस्था की गई है। नयी मशीनें नहीं ली जाती हैं।

छीन्दवाड़ा और बैतूल संभाग में जिन 48 पदों में पिछली भर्ती नियुक्ति होनी थी जो आज भी केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कोर्ट में लंबित है जिस पर सुनवाई चल रही है। अतः इसका जल्द से जल्द फैसला कर जल्द ही उन पदों पर नियुक्ति की जाए।

### (xi) Need to streamline the management of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas in Hardoi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई) : मेरे संसदीय क्षेत्र हरदोई (उ०प्र०) में 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिससे इन विद्यालयों में पढ़ रहे बालिकाओं का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। वे शिक्षण में पिछड़ रही हैं क्योंकि इन विद्यालयों के संचालन में नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति कम रहती है, लेकिन 100 बालिकाओं पर व्यय दिखाकर उनके नाम पर संचालकों द्वारा बालिकाओं को मिलने वाली समस्त सुविधाओं को प्रयोग में दिखाया जा रहा है और इन विद्यालयों में जो बालिकाएं अध्ययनरत हैं, उन्हें कम गुणवत्ता वाला भोजन व अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं।

मेरी मांग है कि उपरोक्त कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के संचालन में हो रही अनियमितता को दूर करने हेतु अविलंब मंत्रालय अपने स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए जिससे बालिकाओं के अध्ययन पर कुप्रभाव न पड़े।

### (xii) Need to check illegal sand mining in river-bed of Ganga in Bhadohi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही) : हमारा संसदीय क्षेत्र भदोही गंगा व वरूणा नदी के बीच स्थित है, जहां गंगा नदी से अवैध रूप से बालू का खनन निर्बाध गित से चल रहा है। वर्तमान समय में कुछ गंगा घाटों पर जैसे इब्राहिमपुर तथा अन्य घाटों पर मशीनों द्वारा व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से रेती (बालू) निकाला जा रहा है। क्षेत्रीय जनता की शिकायत के बावजूद यह अवैध खनन जनपद के कई गंगा घाटों पर धड़ल्ले से चल रहा है। जो चर्चा का विषय बना हुआ है और नियम के विरुद्ध भी है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र भदोही में गंगा घाटों पर हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए तत्काल निर्देशित करें।

### (xiii) Need to accord financial approval for construction of roads in left wing extremism affected districts in Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : मैं सरकार का ध्यान एल.डब्ल्यू.ई. फेस-2 योजना की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। गृह मंत्रालय ने देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को चिन्हित कर इस योजना के अंतर्गत इन जिलों में सड़कों के निर्माण का बीड़ा उठाया है।

यह योजना वर्तमान में अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय के अधीन एक्सपेंडीचर फाइनेंस समिति के समक्ष लंबित है। इस योजना के संबंध में भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा योजना का प्रारूप भी वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है।

बिहार राज्य के औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, अरवल आदि जिलों का चयन इस योजना में किया गया है, किन्तु वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के अभाव में इन जिलों में सड़कों के निर्माण का कार्य बाधित हो रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि सरकार द्वारा इस योजना को वित्त मंत्रालय की एक्सपेंडीचर फाइनेंस समिति से अनुमोदित करवाया जाये, जिससे उग्रवाद प्रभावित इन जिलों में सड़कों के निर्माण का अवरूद्ध कार्य पुनः प्रारंभ हो सके एवं उग्रवाद की समस्या के निदान हेतु उपयोगी एवं प्रभावी कदम उठाया जा सके।

### (xiv) Need to implement the rights of forest dwellers under the law in the country particularly in Kanyakumari district of Tamil Nadu

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Kanyakumari District, the southernmost land area of mainland India, is an International Tourist and Spiritual destination. The district has a varied topography with sea on three sides and lush green mountains of the Western Ghats bordering the northern side. 52% of the district's forests are classified as dense forests. More than ten thousand people are living in forest area in Kanyakumari District. They are Scheduled Tribes, economically poor and under privileged and do not enjoy most of the government schemes. Government of India introduced the Recognition of Forest Rights Act, 2006 for the Scheduled Tribes and Traditional forest dwellers, which is yet to be implemented in Kanyakumari District of Tamil Nadu.

This Act gives the privileges to the Scheduled Tribes and traditional forest dwellers to get the Right for their Lands, where they live from the beginning. They depend on their traditional livelihoods like harvesting honey, Vegetation, Cattle Breeding and selling of minor forest produce. As the Recognition of Forest Rights Act, 2006 has not been implemented, these tribal people are living in hilly and forest areas without availing the opportunities of various Government Schemes., They are not eligible for getting assistance under IAY Scheme; they can't get any Agricultural loan etc. And the areas where these people live are not well connected with tar roads in Kanyakumari District.

I would like to add one more point that most of the agricultural crops are frequently damaged by forest pigs and monkeys, as a result these people suffer heavy loss of money, manpower and time. Especially these animals cause damage to Plantain, Rubber, Tapioca, Coconut trees, fruits and vegetables and no compensation is given to the forest dwellers. In order to save these crops from the forest animals, the forest department may put up a solar fence in such fields and maintain the fence.

I urge upon the Government for taking necessary action to implement the Recognition of Forest Rights Act, 2006 in Kanyakumari District and in other Districts of Tamil Nadu and other states, wherever the act is not implemented so that the poor, unprivileged tribal population can have the rights to live in their lands and improve their livelihoods.

### (xv) Need to ensure the safety of dam under Hadagarh Medium Irrigation Project in Keonjhar district of Odisha

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): The Hadagarh Medium Irrigation Project in the district of Keonjhar of Odisha State is in distress condition due to cracks developed in the main Dam of the Project. In the mid fifties of the last century this particular Irrigation project was constructed and in the early sixties it was completed. It provides irrigation for more than one lakh acres of land in Kharif and 20 thousand acres in Rabi season in the district of Bhadrak and Balasore. It appears now the Dam is not safe due to mining of quarries in the nearby areas.

I, therefore, urge upon the Government to send experts in the field of irrigation to help solve the problem developed due to cracks to save the people in the areas along with the livelihood of farmers.

### (xvi) Need for making adequate payment to the farmers for their agricultural produce in the country

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा) : भारत के कृषि प्रधान देश में किसानों की आत्महत्या घोर विंता का विषय है। भारत में आज भी 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। भारत के किसानों की दयनीय हालत आजादी के बाद भीषण रूप से गंभीर हो गई है। आज के किसानों पर कर्जा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनको कृषि करने के लिए बीज, खाद एवं सिंचाई के साधन महंगे मिल रहे हैं और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। किसानों को हर साल सूखे, बाढ़ एवं जंगली जानवरों से फसल का बड़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपनी दयनीय हालत और गरीबी के कारण देश में हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है। रोजाना 47 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केवल 2009 में 17,368 किसानों ने आत्महत्या की एवं मेरी जानकारी में हैंकि 2010 में 16000 किसानों ने आत्महत्या की। किसानों की समस्याओं का समाधान करने में महीनों लग जाते हैं और उद्योगपतियों की समस्याओं को कुछ क्षणों में दूर कर दिया जाता है। कुछ महीने पूर्व देश के अमीरों को कार खरीदने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा देते हैं और किसानों को 9 से 12 प्रतिशत का कर्जा दिया जाता है। क्या यह किसानों के हित में है ? सरकार द्वारा 55000 करोड़ से 60000 करोड़ के कर्ज अमीरों के माफ किये जाते हैं और जब किसानों के 10 हजार रूपये के माफ करने की बात आती है, तो हाय तौबा मच जाती है।

सरकार से अनुरोध है करना चाहता हूं कि अमीर एवं किसानों के बीच सुविधा दिये जाने के बारे में जो पक्षपात किया जाता है उसे रोका जाये और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले जिससे ये अपने कर्ज उतार सकें और विकास की धारा में शामिल हो सकें।

### (xvii) Need to provide share of water due to Bihar from the Bansagar Project in Madhya Pradesh

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर) : बाणसागर समझौता, सोन नदी के पानी तथा बाणसागर जलाशय का निर्माण और जलाशय में उपलब्ध पानी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार राज्यों के बीच बंटवारे के लिए किया गया था। समझौते का प्रमुख अंश था कि बिहार प्रदेश के सोन नहर प्रणाली के लिए इन्द्रपुरी बराज पर हर हालत में 5.75 मिलियन एकड़ फुट पानी उपलब्ध होगा अर्थात् पानी की उपलब्धता में प्राथमिकता पुरानी सिंचाई प्रणाली को देकर शेष उपलब्ध पानी का बंटवारा किया जायेगा। यह भी तय हुआ था कि जलाशय के निर्माण के बाद जलाशय में पानी भरने तथा संचालन के लिए समिति का गठन कर सभी बातें तय की जाएगी। जलाशय बनने के बाद पानी भरने तथा पानी के सही उपयोग के लिए बातें तय न कर मध्य प्रदेश राज्य ने एकतरफा उपयोग करना शुरू कर दिया है जिसका प्रभाव इन्द्रपुरी बराज पर पानी की उपलबधता पर हो रहा है।

सोन नहर सिंचाई प्रणाली में खरीफ के लिए पानी की आवश्यकता 21 मई से लेकर धान के पकने तक जरूरत होती है। इन्द्रपुरी बराज पर किसी भी समय हर हालत में जल प्रवाह बनाए रखना समझौते का हिस्सा है। 5.75 मिलियन एकड़ फुट पानी की मात्रा है, मगर प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं होना खेती को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।

सोन नदी के कैंचमेंट एरिया में वर्षा में जब पानी की कमी होती है उस समय खेती के लिए उचित मात्रा में जल प्रवाह चाहिए। ऐसे में प्राथमिकताप्राप्त सोन नहर प्रणाली को प्राप्त होने वाले जल प्रवाह में कमी पैदा होना खेती को प्रभावित करता है।

अतः बाणसागर समझौते के तहत इन्द्रपुरी बराज पर पानी का उचित प्रवाह तथा मात्रा को बनाए रखने एवं बाणसागर जलाशय को भरने तथा संचालित करने के लिए समझौते का पालन किया जाए साथ ही बिहार अपने लिए आवंटित पानी का कदवन जलाशय के निर्माण द्वारा प्रयोग कर सके, इसके लिए केन्द्र सरकार शीघ्र पहल करे।

### (xviii) Need to open a border check post at Hussainiwala in Ferozepur district, Punjab to facilitate border trade with Pakistan

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (FARIDKOT): The Government has opened up integrated check post at Attari-Wagah Border in Amritsar to facilitate trade between India and Pakistan. On the similar lines, Government should open up check post at Hussainiwala to facilitate trade between India and Pakistan through Fazilka and Abohar Borders. As our deputy Chief Minister has raised the demand with the Union Govt., the Government should adopt liberal visa policy for the traders for both the countries to facilitate easy movement of traders between these two countries. These steps will certainly give new impetus to the economic development of these backward border regions.

I hope immediate steps will be taken by the Union Government to open Hussainiwala Border with the objective of the economic development of the backward border regions of Punjab.

J

#### **14.03 hrs**

### CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (SECOND AMENDMENT) BILL,2011 – Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up item no. 15.

Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): महोदय, मै आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई जनजाति है जिसका अंतर्भाव अब तक दुर्गम इलाके में, पहाड़ी इलाके में अपना जीवन बहुत नीचे स्तर पर जी रही है। मेरी कांस्टीट्वेंसी और महाराष्ट्र में तलवार-कांगड़ी ऐसी एक जनजाति है। महाराष्ट्र में प्रमुख थी महादेवकोली, जो शिड्यूल्ड ट्राइब में आती है। उनके साथ रहने वाली, पहाड़ी इलाके में रहने वाली तलवार-कांगड़ी ऐसी एक जनजाति है जिसका रहन-सहन, संस्कृति, देव-देवता सब व्यवहार महादेवकोली शिड्यूल्ड ट्राइब वाले लोगों जैसी है। लेकिन उनका अंतरभाव जनजाति की सूची में नहीं है। सन् 1967 तक महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अन्य जनजातियों की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं, लेकिन उसके बाद तलवार कानड़ी जनजाति को दी जाने वाली सभी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। मैं सरकार से और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि तलवार कानड़ी को भी जनजाति सूची में शामिल किया जाए और उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिससे उन्हें भी जनजाति को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

महाराष्ट्र में धनगड का मतलब गडिरया है। उसे जनजाति सूची में शामिल करना चाहिए। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने दो बार प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है। तीसरी बार पोलिटिकल ग्राउंड पर जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे, उन्होंने नकारात्मक सिफारिश भेजी। धनगड जाति हिन्दुस्तान में अनेक राज्यों में है और उन्हें वहां जनजाति की सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में धनगड को कोई सुविधा नहीं मिलती है और वहां तो धनगड नाम की कोई जाति ही अस्तित्व में नहीं है, ऐसा कहा जाता है, धनगर जाति वहां है। आज भी पहाड़ी इलाके में वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं धनगड जाति को, जिसे देश के दूसरे राज्यों में धनगर कहा जाता है, जनजाति की लिस्ट में शामिल किया जाए।

भारत सरकार ने 2006 में रेनाके आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। हिन्दुस्तान में घुमंतू, विमुक्त जानजाति की स्थिति पर अभ्यास करने व सुझाव देने हेतु इस

आयोग का गठन किया था। यह एक ऐसी जाति है जो एस.सी. और एस.टी. से भी बदतर, भिखारी जीवन और गुलामी तथा गुनाहगारी का जीवन व्यतीत कर रही है। मैं सदन को वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में अनेक ऐसी जनजातियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में नंदिवाले, कोलाटी, वासुदेव आदि 750 जातियां घुमंतू, विमुक्त का जीवनयापन कर रही हैं। ये लोग गांवों में रहते हैं। इन जातियों को गुनाहगार समझा जाता है। भौगोलिक रचना के कारण इनका सम्बन्ध पहाड़ी इलाके से न होकर गांव से है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि इन्हें जनजाति की सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि अभी तक इन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। रेनाके आयोग की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर इनका समावेश जनजाति सूची में केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द करके इस जनजाति को न्याय देना चाहिए। इसलिए घुमंतू और विमुक्त समाज को पिछड़ी जाति और जनजाति का दर्जा देने के बारे में जल्द से जल्द कार्यवाही हो।

15.05.2012 74

श्री लालू प्रसाद (सारण): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक बिरादरी के लिए एक राज का जो बिल आया है, इस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मंत्री जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पूरे देश में और खासकर बिहार में सर्व-सम्मति प्रस्ताव बिहार असेम्बली से हमारी सरकार ने भेजा था, वह सूची में इन बिरादरियों को शामिल करके विधेयक को लाना चाहिए। लोहार, नोनिया, बढ़ई, गौंड, मल्लाह, कहार, कानू, ततमा, धानुक, वींद और वेलदार जातियां बिहार असेम्बली से पास होकर प्रस्ताव आपके विभाग को भेजा गया था। समय-समय पर बताया गया कि ये तमाम जातियां अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आती हैं, इसके लिए सर्वे भी हुआ। जो बिल आप लाए हैं यह कम्प्रीहैंसिव बिल आपको लाना चाहिए था। आप एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाकर के बिहार और अन्य राज्य में रहने वाले जो भी ऐसे लोग हैं, जैसे लोहार, नोनिया, मल्लाह, कहार, कानू, ततमा, धानुक, वींद, वेलदार, तुरहा गोढ़ी, केवट, दलित उथ्यिक आदि को ट्राइब्ज में शामिल करना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये तमाम जातियां आंदोलनरत हैं, संघर्ष के रास्ते पर हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमने बिहार असेम्बली से प्रस्ताव भेजा था उसके अलावा दलित मुस्लिम हैं उनके लिए भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा था कि ऐसे दलितों को भी दलितों की श्रेणी में जोड़ करके इन्हें भी एक-साथ लाइये। बिहार में इन जातियों द्वारा लगातार आंदोलन हो रहा है। ये जातियां आज भी चौराहे पर खड़ी हैं और प्रतीक्षा में हैं। संसद की 60वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं लेकिन इनके लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये सभी तरह की सुविधाओं से वंचित जातियां हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप एक कंप्रीहैंसिव बिल लाइये। इसी के साथ जो माननीय सदस्य यह बिल लाए हैं उसका समर्थन करते हुए आपसे आग्रह है कि एक कंप्रीहैंसिव बिल लाकर आप इन जातियों को नोटिफाई कीजिए।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (वेतूल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। यह विषय अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है जिसको संविधान बनने के बाद आरक्षण का लाभ पूरी तौर से नहीं मिला।

आज भी हम देखें तो आदिवासी जंगल में रहता है और अपना जीवनयापन करता है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है। उपाध्यक्ष जी, जिस जाति का मैं वर्णन करने जा रही हूं उनके बीच में मैं रह भी रही हूं। आज पठारी ऐसी अनुसूचित जनजाति है जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बनने के बाद अलग हो गयी। उनमें कुछ जातियां पठारी, सौरा, कोंड, कोंद और कोंध ऐसी जातियां हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में तो आरक्षण की सुविधा थी लेकिन आज छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इन अनुसूचित जनजातियों को जो गोंड जाति की उपजातियां हैं आज आरक्षण से वंचित होना पड़ रहा है।

महोदय, उन्हें इन कारणों से आज जाति प्रमाण पत्र बनकर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वर्ष 1950 में जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की थी, तब उन्होंने इस जाति को आरक्षण देने की बात रखी थी। इस राज्य के बनने से इस जाति को आरक्षण से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी कई जातियां हैं, जैसे मैं पठारी जाति की बात कह रही हूं, इस जाति को शायद महाराष्ट्र में आरक्षण प्राप्त हो रहा है। सौरा जाति को उड़ीसा में आज भी अनुसूचित जनजाति के अनुच्छेद में रखा गया माने लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जाति को सही ढंग से उच्चारित नहीं करता या उसे सही ढंग से नहीं लिखता, उस समय जो त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों की भरपाई इन गरीब आदिवासी को ही करनी पड़ती है और उसे आरक्षण का लाभ मिलने से वंचित रहना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी हमारी कम्यूनिटी से आते हैं। आप भी पांचवें शेड्यूल में हैं और मैं भी इसी में हूं और वहां रहती हूं। मुझे लगता है कि हमें इस जाति को आरक्षण देना चाहिए। अगर यह जाति उस समय आरक्षण प्राप्त करती थी और आज यदि इस जाति को आरक्षण से वंचित करते हैं, तो इनका विकास कैसे होगा?

में एक और महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहती हूं। कई राज्यों में जैसे हिमाचल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में इस जाति के लिए आरक्षण की सुविधा है। हम आज भी देख रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के आदिवासी लोगों को उनकी जमीन से हटाया जा रहा है। आज भी 765 ऐसे गांव हैं और 6022 वर्ग किलोमीटर जमीन उनसे छीन ली गई है, उसमें किसका दोष है? क्या उस आदिवासी का दोष है, जिसने उस जमीन की रक्षा की है? क्या उस आदिवासी का दोष है, जिसने उस जंगल की रक्षा की या उस आदिवासी का दोष है, जिसने वहां जल की रक्षा की है? मुझे उनका कोई दोष नजर नहीं आता है। यदि

हम इस गरीब की चिंता नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे यह जाति विलुप्त हो जाएगी। इसके लिए हम कहीं न कहीं दोषी जरूर होंगे। इसके लिए आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने एमओयूज साइन हो रहे हैं और जहां माइन्स में आज भी आदिवासी रहते हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। ये आदिवासी आंदोलन करने के लिए नक्सलवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं कलेक्टर को उठाते हैं, कहीं सरपंच को उठाते हैं। आए दिन हम मीडिया में देखते हैं कि यही आदिवासी जिन्होंने जल और जमीन की सुख्शा की है, आज उन्हें वहां से खदेड़ की विलुप्त कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इन्हें संरक्षण दें। जितनी जमीन से इन्हें हटाया गया है, उन्हें वापिस दी जाए। आज तक इन्हें जो आरक्षण प्राप्त हो रहा था, उस आरक्षण को पुनः दिया जाए तथा आदिवासियों को संरक्षण देते हुए, क्योंकि आदिकाल के ये मानव निश्चित ही इस दुनिया के सच्चे मानव हैं, इन्हें इनका हक मिलना चाहिए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं।

SHRI ADAGOORU H. VISHWANATH (MYSORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Bill.

Sir, at the outset, I must congratulate the Union Minister for Tribal Affairs taking cognisance of the request of the people of Karnataka and the representatives of Karnataka. It was a long pending request of the Karnataka State Medara community which was brought before this House by way of a Bill for amendment to the Constitution.

Sir, the Medara community in Karnataka is only 50,000. Their education percentage is only five per cent. Their main occupation is bamboo craft. They move to forest to procure the bamboos. They are alone in the forest. They do this craft and come to the city to sell. They do no have the assured market also to sell their products. They are even socially backward also. They used to live on the footpaths and in the slums.

Sir, I must, once again, congratulate the hon. Minister because he has toured Karnataka. He listened to the people's representatives, viz, Members of Parliament from Karnataka. He visited Chamrajnagar and Mysore also.

Sir, every year we are including many, many castes to the Scheduled Tribes list. The Central Government is giving money also for that, but the follow up action is not so proper and effective. Whatever money is funded to the State Government, because in the Federal system the State is the implementing agency, it is not satisfactory as far as my knowledge goes.

Sir, in Karnataka there are other communities also in the list like Gonda and Raja Gonda in Gulbarga District, Halumatha Kuruba in Coorg District. So, I would request the hon. Minister to take cognisance of these communities and to see that they must be listed in the Schedule Tribe list.

Sir, yesterday, one of our Karnataka Members, Shri Pralhad Joshi, welcomed the Bill and he supported the Bill and also spoke on the Bill. Sir, here one thing I would like to tell to this august House. On the one hand, our BJP people are supporting the Bill but in Karnataka, the Senior Vice-President of the State Unit and the sitting Rajya Sabha Member and the former Chief Justice of the State preferred an appeal before the High Court pleading that the reservation given to the local body should be withdrawn. What is this double standard? (*Interruptions*) He is a sitting Rajya Sabha Member. He preferred an appeal before the Karnataka High Court with a plea to withdraw the reservation policy in the local bodies. The judgment is reserved and it has not yet come out. I do not know why they are having these double standard speeches outside the House. They are following one policy inside the House and another policy outside the House. ... (*Interruptions*)

So, Sir, once again, I thank you and I thank the hon. Minister that within a short span of time he conceded our request and brought it before this august House to consider our demands.

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Deputy-Speaker, Sir thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion.

Sir, from yesterday till today, many hon. Members have participated in the discussion on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill of Karnataka. I support the Bill and it should be passed. But I would like to draw your kind attention that this Bill is not going to give greater benefit to all the people. A comprehensive Bill should be brought before this House because after Independence and before Independence, many castes were enjoying the facilities of Scheduled Tribe and are in the category of the Scheduled Tribe. They were enjoying the facilities of the Scheduled Tribe community. They were in the category of Scheduled Tribe. But it has been abolished and it has ended. After Independence, after 65 years, what have we seen? There are more than five lakh people living in Purulia, Bankura and West Midnapore in West Bengal. People belonging to the Deshwali Majhi caste till today are not getting the facilities of Scheduled Tribes. Why? They enjoyed the facilities of Scheduled Tribe community till 1950 but it has been ended. Many movements and agitations are being organised time and again and it is continuing. They are in the BPL category. Their educational percentage is very low.

The Central Government earlier constituted a Commission and tried to include this Deshwali Majhi community in the category of Scheduled Tribe but till today it has not been done. So, my humble submission to you is that the financial position, economic position, cultural position of the Deshwali Majhi community should be improved. I draw the attention of the hon. Minister to this and request him to include this category in the Scheduled Tribe category. The facilities meant for this community ended in 1950, as I said earlier. Why has it been abolished? I do not know. So, it should be done.

Secondly, there is one more caste, Kurmi, Kudmi having a population of more than one crore. This community enjoyed the facilities meant for the Scheduled Tribe people till 1932 in Purulia, Bankura and West Midnapore in West

Bengal, and in the Jharkhand, Chota Nagpur region and in some parts of Odisha – Mayurbanj and Keonjhar. They live near the forest, their financial position, economic position is very low. They are in the BPL category. Their children are not entitled to get education and the other facilities due to them. They could not get good education because of lack of finance. The Kudmi people were in the category of Scheduled Tribes till 1932. But it has been abolished. It should be included and a Bill should be introduced to this effect. So, a comprehensive Bill should be brought before the House. The Kudmi, Deshwali Majhi should be included in the Scheduled Tribe category to enable their participation in higher levels. Their economic, social and cultural conditions should improve.

As I said earlier, on the one hand, they live near the forest. On the other hand, till today they are not enjoying the forest facilities, the right to forest land. I repeat that they are not enjoying the forest land facility. Many administrative hurdles are there. They are coming in the way of improvement of these poor people. So, provision should be made so that these poor people also enjoy the right to forest land. Though the law has been enacted in our country, till today, the poor people are not enjoying the facilities.

Hence, my first point is that the Kudmi community should be included in the Scheduled Tribe category. The Deshwali Majhi tribe category should also be included in the Scheduled Tribe category. The forest dwellers rights should be given to these poor people.

With these words, I conclude.

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। लेकिन एक संयोग भी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी आदिवासी हैं और माननीय मंत्री जी भी आदिवासी हैं। हालांकि ये आंध्र प्रदेश में एक रियासत के राजा भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासी हैं।

मान्यवर, अंग्रेजों के आने के पहले कोल जाति के लोग कई रियासतों के राजा था और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे-धीरे तमाम लड़ाइयां हुयीं, जिनमें उनकी रियासतें चली गयीं। आज उत्तर प्रदेश में कोल जाति की हालत अत्यंत गंभीर और खराब है। मान्यवर, जैसे दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग हैं, उसी तरह उत्तर भारत में, पूर्वी राज्यों में और आंध्र प्रदेश से लेकर कई राज्यों तक जनजाति के लोग और कोल जाति के लोग निवास करते हैं। मान्यवर, इसको मैंने कई बार लोक सभा में नियम 377 हिन्द और शून्य काल में उठाया, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। मुलायम सिंह जी की सरकार वर्ष 2004-05 में थी। उन्होंने 2004-05 में उत्तर प्रदेश विधान सभा से और कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पारित करके यहां भेजा था कि कोल जाति को जनजाति का दर्जा जैसे अन्य राज्यों में मिला है, उसी तरह का दर्जा उत्तर प्रदेश की कोल जातियों को भी मिलना चाहिए।

मान्यवर, किन्हीं कारणों से उस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं हुआ और वह ठंडे बस्ते में ही पड़ा रह गया। कोल जाति को कई प्रदेशों में जनजाति का दर्जा मिला है, जैसे झारखंड, बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और संभवतः आंध्र प्रदेश में भी, मैं वहां के लिए दावे से नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारे ख्याल से आंध्र प्रदेश में भी उनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। जब हर जगह उनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है तो उत्तर प्रदेश में इनके साथ भेदभाव क्यों?

महोदय, इलाहाबाद में लगभग दो लाख कोल हैं, चित्रकूट में लगभग एक लाख कोल हैं, बांदा में सवा दो लाख कोल हैं, मिर्जापुर में तीन लाख कोल हैं, सोनभद्र में इनकी संख्या दो लाख है, चंदौली में लगभग एक लाख कोल हैं, वाराणसी में इनकी संख्या लगभग पचास हजार से एक लाख के बीच में है, तो मान्यवर, इतनी बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इनकी है। मंत्री जी, इनकी हालत इतनी दयनीय है कि अनुसूचित जाति से भी ज्यादा इनकी हालत खराब है। इनमें इतनी गरीबी है कि अगर बीपीएल का कार्ड ठीक से बना दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर कोल जाति के लोग ही उसके अंतर्गत आएंगे।

मान्यवर, हमारे सोनभद्र में और चंदौली में धीरे-धीरे ये कोल जाति के लोग नक्सलाइट बन गए और उन्होंने हथियार उठाना शुरू किया। मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारा भी क्षेत्र वहां से लगा हुआ है और चूंकि कोल जाति के इतने अधिक लोग हैं, कोल जाति के लोगों में बहुत असंतोष फैल रहा है। मैं नहीं चाहता कि वे भी उसी तरह से नक्सलाइट बनें। इसलिए मैं आपसे मांग करूंगा कि आज सदन में जब मंत्री जी अपने बिल पर बोलें तो कृपया आप इस पर जवाब देने की कृपा करें, आश्वासन देने की कृपा कीजिएगा कि इसे देखकर आप इसे जल्दी ही करायेंगे, जिससे इसका श्रेय आपको और आपकी सरकार को मिल सके। माननीय लालू प्रसाद जी ने जो कहा है, मैं इनकी बात पर बल देता हूं और आप उस पर भी विचार करिएगा।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपूर): महोदय, बाबा साहेब बी.आर.अम्बेडकर जी ने प्रजातंत्र में सबको मुख्यधारा में जोड़ने का जो प्रयास किया, उसी प्रयास की बदौलत एस.सी., एस.टी. रूप का निर्माण हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का तथा सदन का समय ज़ाया नहीं करूँगा। एस.टी. जातियों के बारे में मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। भारत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था। इस देश की मूल निवासी जातियों ने कभी गोंडवाना प्रदेश में राज किया और देश के विभिन्न छोटे-छोटे राज्यों में राज किया। विदेशी आक्रांताओं से तबाह होकर ये जातियाँ कभी जंगल-झाड़ी के किनारे किसी तरह अपना वंश बचा पाईं, मात्र इतना कर पाईं। अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1911 से लेकर 1924 तक इन सारी जातियों को क्रिमिनल एक्ट में रखा था और इनको जरायम-पेशा करने वाली जातियाँ कहा जाता था। जरायम-पेशा करने वाली जातियों को आज़ाद भारत में जब हमने पहली बार सदन में 1952 में क्रिमिनल एक्ट से मुक्त किया तो मुक्त करने के बाद विभिन्न प्रांतों में कहीं एस.सी. में और कहीं एस.टी. में इनक्लूड किया। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन जातियों को आज से पचास-साठ वर्ष पहले देश की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया गया, केवल शाब्दिक उच्चारण में, अंग्रेज़ी के उच्चारण में, प्रथम सैन्सस में जो शब्द अंग्रेज़ी में लिखे गए, उन शब्दों में उच्चारण की गलती के नाते आज साठ वर्ष से यह जो डीनोटिफाइड ट्राइब्ज़ जातियाँ थीं, एस.सी. जातियाँ थीं, एस.टी. जातियाँ थीं, आज वे मारी-मारी फिर रही हैं और देश के विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पा रही हैं। आज आपके पास समस्या क्या है? यह जो बिल आया है, यह तो बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था। कम से कम हम एक जाति को तो चार-पाँच वर्ष स्टैन्डिंग कमेटी में ले जाकर, जाँच कराकर, महारजिस्ट्रार की जाँच कराकर किसी तरह से सम्मान दे पाएँ। मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि महारजिस्ट्रार की रिपोर्ट आनी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट दी, विश्वास नहीं है। बिहार की सरकार ने रिपोर्ट दी, देश की कोई भी सरकार रिपोर्ट दे, उस पर विश्वास नहीं है। इन सारी जातियों को शामिल करने के लिए जब मांग आती है तो महारजिस्ट्रार के यहाँ रिपोर्ट जाती है।

में माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि 10.3.2004 और 29.3.2008 को उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारों ने तथा यहाँ तक कि बहन मायावती जी की सरकार के समय कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापित, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथन, तुरहा, गोंड, माझी, मछुआ, लुनिया, नुनिया तथा लुनिया चौहान - इन जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव आया। महारजिस्ट्रार की रिपोर्ट में तो एक शब्द आ रहा है कि यहाँ निर्जातीय सामग्री नहीं आई। निर्जातीय सामग्री का अर्थ महारजिस्ट्रार लगाता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत किन जातियों में है या नहीं। अगर आपको छुआछूत का सर्वे कराना है

तो सौ वर्ष पहले का कराइए कि इन् जातियों को मन्दिरों में घुसने से रोका जाता था या नहीं? सौ वर्ष पहले या पचास वर्ष पहले इन जातियों को चारपाई पर बैठने से मनाही थी। आज भी इनको रखा जाता है लेकिन जब आपने अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट बना लिया है, तब कौन अधिकारी यह रिपोर्ट देगा कि आज हमारे यहाँ अछूत व्यवहार हो रहा है या अस्पृश्यता है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि 2004 से लेकर आठ-आठ वर्षों तक रिपोर्ट नहीं आती। पाँच वर्ष में सदन का कार्यकाल समाप्त होता है, आठ वर्ष में रिपोर्ट आएगी, 16 वर्ष में रिपोर्ट आएगी। यह खाने बिना मरने वाली जातियाँ, बेटियों की शादी न कर पाने वाली जातियाँ, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली जातियाँ हैं। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि इसके लिए आयोग बना दिया जाए। कितने आयोग बने हैं? अय्यर कमेटी से लेकर, 1935 से लेकर, और आज़ादी की लड़ाई से लेकर इन जातियों के बारे में एक-दो नहीं दिसयों कमेटियाँ बनीं और सारी कमेटियों को झुठलाकर महारजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर आकर अटका दिया जाता है और जो प्रदेश सरकार भेजती है, फिर उसी को वापस कर दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इनको कब मुख्यधारा में जोड़ेंगे? नक्सलाइट्स की आपको चिन्ता है, लेकिन जिनके बच्चे भूख से मरेंगे, जिनको लूटा जाएगा, जिनकी ज़मीन और घर लूटा जाएगा, क्या उनकी चिन्ता नहीं है? आज चले जाइए पूर्वांचल में, वहाँ जो भर और राजभर जाति है, उसकी हालत जाकर देखिये। उसकी हालत जाकर देखिए। पीठ पर बोरा ढोने का काम, ताढ़ी उतारने का काम करते हैं। पासी और मुसहर जाति के आज तक घर नहीं बने हैं। ये लोग अपनी बेटियों की शादी तक नहीं कर पाते हैं। कब तक विलम्ब करेंगे? हम देश की मुख्य धारा में इन जातियों को लाएंगे या नहीं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके लिए एक टाइमबाउण्ड कार्यक्रम बनाइए। एक महालेखागार की रिपोर्ट आठ बरस में आती है। इस मामले को जो सांसद उठाए, जो सरकार इस मामले को उठाए, उसके तीन-चार बरस में इन जिस्मों को शामिल कर लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। श्री महेश्वर हजारी।

श्री रमाशंकर राजभर: मैं एक बात और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वे जातियां जो एससी और एसटी से भी खराब हालत में हैं उनको ओबीसी में डाल दिया जाता है, लेकिन ओबीसी से किसी जाति को निकाल कर एससी में डाल दिया जाए तो एससी जातियों के साथ न्याय होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की आरक्षण जनसंख्या है, 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा रहा है, जिनकी आबादी नौ प्रतिशत है। नौ प्रतिशत की आबादी को यदि ओबीसी कोटे से एससी कोटे में ला दिया जाए तो...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। ...(व्यवधान)\*

<sup>\*</sup> Not recorded

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को संशोधन विधेयक के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, आज जो स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति की है, यदि बाबा साहेब अम्बेडकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान में सीट आरक्षित नहीं करते तो मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का एक भी सदस्य इस लोक सभा में नहीं होता। उन्हीं की कृपा है कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट आरक्षित हुई है और वे लोग उस जाति का प्रतिनिधित्व इस सदन में करते हैं।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों को संविधान में जो भी अधिकार मिले हैं, क्या उनका पालन हो रहा है? हमारे बिहार, या दूसरे राज्यों में सर्विस का बैकलॉग पूरा नहीं किया गया है। जिस भी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो वह अनुसूचित जाति के लिए रोने रोती है, लेकिन उसका अधिकार दिलाने में अक्षम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उनकी दयनीय स्थिति है। अनुसूचित जनजाति के जो मूल लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, जिनके पास स्थायी वास्तविक पर्चे थे, वे तो घूम रहे हैं और जिनके पास वास्तविक पर्चा नहीं था, वे लोग राजपाट चला रहे हैं। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देकर, विशेष प्रोत्साहन देकर उनकी मूलभूत समस्याओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। हमारे राज्य बिहार में दुसाध अनुसूचित जाति में आती है, लेकिन दिल्ली में यह जाति अनुसूचित जाति में नहीं आती है, अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। मेरा आपसे आग्रह है कि जिस राज्य में जो जाति अनुसूचित जाति में आती है, उसे पूरे देश में अनुसूचित जाति माना जाना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग है कि दुसाध जाति को दिल्ली में भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।

## श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

मैं इस तरमीम-ए-बिल की हिमायत करने के लिए उठा हूं। लेकिन सिर्फ हमारे भाषण करने और सरकार के सुनने से ये मसले हल नहीं होंगे। ये मसले बहुत वक्त से पड़े हैं। हज़ार बार हम यहां झण्डा लहराएं, जन-गण-मन गाएं, जब तक उसकी भूख़ नहीं मिटेगी, जब तक उसको इज्जत नहीं मिलेगी, जो दूर जंगल में पड़ा हुआ है, उसे कोई अधिकार ही नहीं मिला है। उसे मालूम ही नहीं है कि देश कहां है और कहां पहुंच गया है। जब तक आप उसे मेनस्ट्रीम में नहीं लाएंगे, उसे वे सब चीज़ें नहीं दे देंगे जो हमें हासिल हैं, जो सब सोसायटीज को हासिल हैं, तब तक देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए तो देश की आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है जब तक न वह इक्तिसादी तौर पर खुशहाल हो, उसकी इज्ज़त बहाल हो जाए, उसको जिन्दगी के मखमसे में अपना रोल पूरी तरह अदा करने के लिए तैयार किया जाए, तब तक इसका कोई मक़सद नहीं है, यह मेरा कहना है।

में मंत्री जी से गुज़ारिश करूंगा कि आपके पास शायद जितनी नयी मांगे आ रही हैं, पचास साल, साठ साल गुजरने के बाद कई लोग ऐसे हैं जिन पर नज़र नहीं गयी। आज वे मुतालिबा कर रहे हैं कि हमें आप शिड्यूल्ड ट्राइब्स या शिड्यूल्ड कास्ट्स में दर्ज़ कर लें। इसलिए शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अज़ सरे नो एक सर्वे सारे मुल्क में करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितने लोग हैं, कितनी जातियां हैं जो हमारे आईन-ए-हकूक़ से अभी बाहर हैं, उनको लाना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल दे दूं। अटल जी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जम्मू-कश्मीर में चले गए और उन्होंने एक जनसभा में एलान किया कि गुर्जर भाषा बोलने वाले लोगों को जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, नाख्वांदा हैं, तिज़ारत नहीं हैं, कारोबार नहीं है, जंगलों में बस रहे हैं, जहां हमने उनको शिड्युल्ड ट्राइब किया, उन्हीं के साथ में पहाड़ी ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं जो उन्हीं हालात में, उन्हीं इक्तिसादी हालात से गुजर रहे हैं, उन्हीं मुश्किलात में हैं, उन्हीं पहाड़ों में हैं, उन्हें भी शिड्यूल्ड ट्राइब दिया जाएगा, लेकिन इतना अर्सा हुआ, नहीं मिला। मंत्री जी, you must be remembering that some two-three days back, a deputation from Jammu & Kashmir met you in your office. उनको अटल जी से लेकर आज तक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू-कश्मीर ने क्लियर कट रिकमंडेशेन किया है उनकी हालात को देखने के लिए। दोनों गुर्जरी ज़ुबान बोलने वाले और पहाड़ी जुबान बोलने वाले एक ही हालात में रहते हैं। एक को शिड्यूल ट्राइब का दर्ज़ा मिला है, दूसरे को नहीं मिला है। इस पर आपका हमदर्दाना ग़ौर होने के लिए हुकुमत-ए-हिन्दुस्तान का हमदर्दी से ग़ौर करने के लिए मैं उम्मीद रखूंगा। आइन्दा शायद आप मुझसे इत्तफाक़ कर लेंगे, वैसे मेरे साथ बहुत कम लोग

इत्तफाक़ करते हैं, कि शायद आपको सारे मुल्क़ में नए सिरे से सर्वे करके इन जातियों को ढूंढ़ कर इनको इस लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा।

SHRI JAYARAM PANGI (KORAPUT): Thank you Mr. Deputy-Speaker, Sir. This august House is considering the Scheduled Tribes (Amendment) Bill. Though it is exclusively relating to the State Karnataka, I support it and I wish to deliberate upon the plight of the Scheduled Tribes community of Odisha.

Sir, I am representing the Koraput (ST) Parliamentary Constituency of Odisha. The undivided Koraput District alone has more than 50 per cent of the Tribal population of the State. Many communities are not yet included in the Schedule.

As the entire country is aware, in the last Panchayat and Zila Parishad Elections, the entire Kashipur Block under Rayagada district boycotted the elections and not a single nomination was filed, nor was a vote cast. The Jhodia community had organized this mass movement. They have been demanding that the word "Paraja" was wrongly omitted by the Government. As a result, they were not treated as ST but were declared as OBC. There is no Jhodia Community at all but it is Jhodia Paraja since generations. They have been demanding addition of the word "Paraja" to Jhodia so that they may be declared as a Scheduled Tribe. Since it is not being done, they are being deprived of all the benefits in a particular Kashipur Block. I seek your indulgence for consideration of their plight.

Since 1978, more than 156 proposals were sent by the Odisha Government to the Centre. About 20 proposals were so far responded by the Centre. Sixteen proposals were submitted for inclusion in the ST List of Odisha as a separate or new entry; 136 proposals were submitted for inclusion in the ST list of Odisha as synonym of the existing communities in the ST list. In about four proposals, the Central Government wanted more justification. Some communities like Jhodia, SA-A-RA, Mani Dora/ Mana Dora/ Mane Dora, Sual Giri/Swalgiri (Shabar) were rejected without assigning any further study. The State Government submitted it after due and proper examination and justification. The cases of Dora Community, Nuka Dora, Anati Dora or Enati Dora are not being examined. Some time back

the matter was entrusted to the Registrar-General of India but it was only to kill time. Nothing positive was coming out of it.

Sir, although the hon. Prime Minister acknowledged my letter of 3<sup>rd</sup> February, 2011 *vide* his letter dated 08<sup>th</sup> February 2011, but he has not yet conveyed any decision. The tribal communities of Odisha are looking forward to be benefited by the decision of the hon. Prime Minister to include the Jhodia, Nuka Dora, Anati Dora/Enati Dora and the other communities as are pending with the Government to include in the Schedule.

Sir, hon. Minister Shri Deoji is well aware of the problems of Odisha. Public mind is very much agitated. People have not participated in the last Panchayat Elections also. Public agitation has taken place several times here. I request the hon. Minister to do justice with the tribal community of Odisha who are deprived of their due. एक बात मैं बोलता हूं, मैं बहुत आशा करता हूं कि हमारे मिनिस्टर उसी इलाके के हैं, हमारे फारवर्ड एरिया का रिप्रेजेण्टेशन करते हैं। वह एरिया जो हमारा टोटली नक्सलाइट एरिया है, आप सब लोगों को मालूम है कि कोरापुट...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री जयराम पांगी: मैं आशा करता हूं कि सब कुछ हमारे मिनिस्टर को मालूम है, हमारे एरिया के बारे में, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मेरी कांस्टीट्वेंसी के बारे में, टोटली हमारे जो एरिया में एस.सी. और ओ.बी.सी. हैं, उनको एस.टी. माना जाता है। जो मेरे पार्लियामेंट्री कंस्टिटएंसी कोरापुर में एस.सी. और ओ.बी.सी., वे मंत्री जी आरक कंस्टिटवेंसी में एस.टी. माने जाते हैं, ऐसा क्यों? मिनिस्टर जी के आरक कंस्टिटवेंसी और मेरी पार्लियामैंट्री कंस्टिटवेंसी कोरापुर पहले दंडकरण्य में थे, तो आज जो कम्युनिटी हमारे क्षेत्र में एस.सी. और ओ.बी.सी. है उसके एरिया में, एस.टी.कैसे हैं तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जो मंत्री जी हैं, यही मंत्री समस्या को दूर कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि जरूर ये समस्या दूर करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): उपाध्यक्ष महोदय, वनवासियों के रहन-सहन, आचार-विचार, खान-पान, रीति-रिवाज, शिक्षा-दीक्षा, शादी-विवाह, खेत, जंगल, जमीन के बारे में आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं होगा। आप उसी प्रदेश में थे, आप अलग हो गये, हम इधर रह गये, हमारे यहां कम बचे हैं, लेकिन ये जो समस्याएं उठती हैं, वे आप भी जानते हैं कि जब हम एक प्रदेश में थे तो झारखण्ड के इलाके में जो जातियां अनुसूचित जाति में थीं, वह उत्तर बिहार में पिछड़ा वर्ग में हो जाती थी। जो इधर अनुसूचित जनजाति में रहती थी, उधर उन जातियों का नाम पिछड़ा वर्ग में हो जाती थी। जो इधर अनुसूचित जनजाति में रहती थी, उधर उन जातियों का नाम पिछड़ा वर्ग में दे देते थे तो भारत सरकार की तरफ से यह खण्ड-खण्ड करने के बनिस्बत मंत्री जी से में प्रार्थना करूंगा कि जो वनवासी एक तरफ कहीं एक इलाके में जाकर बस गये, पहाड़ में चले गये, गिरिजन हो गये, जंगलवासी हो गये, वनवासी हो गये, उनका एक ठिकाना बन गया, लेकिन जो छुटपुट रूप से कहीं बस गये, उनकी सबसे ज्यादा दुर्दशा यह है कि उनको वह लाभ नहीं मिल पाता है। भारत सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था हो, केवल अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग नहीं, किसी तरह का आयोग बनाया जाये या कुछ और बनाया जाये, जो देश में एक बार नये सिरे से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की जो जातियां हैं, उन्हें सूचीबद्ध कर लें, जिससे इस समस्या का निदान हो जाये। एक ही बार में उन सभी समस्याओं का निदान हो जाये। अभी लालू प्रसाद जी बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ जातियों का नाम गिनाया, वे बिहार की अति पिछड़ी जातियों में हैं।

बिहार सरकार के द्वारा अति पिछड़े वर्गों को काफी मात्रा में सहूलियतें और सुविधायें दी गयी हैं। जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनके एनेग्जर वन और एनेग्जर टू बने हुए हैं, वे अति पिछड़ी जाति में हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ जातियां हैं, जैसे एक जाति है ततमा आपके इधर वह अनुसूचित जाति में है और बिहार के अंदर अति पिछड़ा वर्ग में है। एक जाति चौपाल है जो आपके इधर अनुसूचित जाति में है, बिहार में वह पिछड़ा वर्ग में हैं। उनके बच्चों के बीच शादी-विवाह भी होता है। गृह मंत्रालय इस पर एक बार सोचे और गृह मंत्रालय के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था एक बार में हो, जिससे नये सिरे से सबकी पहचान कर ली जाए और पहचान करने के बाद एक बार अनुसूचित जाति, जनजाति अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग प्रदेशों में, अलग-अलग इलाकों में, अलग-अलग नाम से हैं, लेकिन वह अलग-अलग श्रेणियों में रखी गयी हैं। उन सबको एक श्रेणीबद्ध और सूचीबद्ध कर दें, जिससे कि इस तरह खंड-खंड प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं रहे और उनमें किसी तरह का रोष नहीं रहे। उनकी जो सामाजिक स्थिति है, वह एक जैसी हो जाए और राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसा लाभ उनको मिल जाए, यही मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for having given me an opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2011.

First of all, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this Bill to include Medara community in the Scheduled Tribe List in the State of Karnataka.

There are hundreds of communities in our country which are still demanding inclusion of their communities in the Scheduled Tribe List which will entail them certain rights and reservations which are accruing to the Scheduled Tribes in the country. These communities are yet to be included in the List of Scheduled Tribes though the State Governments have recommended their inclusion in the Central List.

The Government of India has been bringing the Constitution (Amendment) Bills year after year in order to include certain communities in the List of Scheduled Tribes. Thus, the population of Scheduled Tribes in the country is increasing with the passing of such Bills. But it is a matter of concern that the Government of India has not increased the reservation quota meant for Scheduled Tribes from the present seven and a half per cent though the population of Scheduled Tribes has increased enormously.

From time to time, the Government of India has included many communities in the Tribal List. What is the employment opportunity given to these tribal communities? The employment opportunity is not increasing. What about the fund allocation? That is also not increasing. The present community that is included now will be cutting their facilities. Sir, I am not against inclusion of any community in the Scheduled Tribes List. At the same time the reservation quota and also the fund allocation must be increased, and only then the Scheduled Tribes will get justice. So, the reservation quota is not increasing and the fund allocation

is also not increasing but many communities have been included in the Tribal List. That is the biggest problem for Scheduled Tribes in the country.

Many of the educated tribal youth are not getting employment because the reservation percentage is very small and the number of applicants is more. So, this matter should be looked into by the Government.

Sir, many communities are now demanding their community to be included in the Scheduled Tribes List. Why? It is because they want to enjoy the facilities that are being given to Scheduled Tribes. Due to political pressure and also to increase their vote bank, the State Governments are recommending certain communities to be included in the List. So, the Government of India must ensure as to whether these communities recommended by the State Governments are eligible for inclusion in the Scheduled Tribes List.

## 15.00 hrs.

So, from the State Government's ruling alliance party, there may be a lot of pressure for inclusion of the communities of their choice in the list of Scheduled Tribes. They may do so as they require support from other parties to remain in Government. That is why the State Governments are recommending many of the communities for inclusion in the Scheduled Tribes List. That is why I say that the Government of India should ensure that the communities recommended by the State Governments are eligible or not to be included in the list of Scheduled Tribes.

Another important issue is regarding allocation of funds. It is most important for the Tribal Sub Plan. But the funds to the Tribal Sub Plan are not increasing. Even the funds allocated to the Tribal Sub Plan are getting diverted. They are not properly utilising it for the Scheduled Tribes. There is no mechanism for proper utilisation of Tribal Sub Plan. That is also a very important issue and needs to be looked into.

Now, Sir, I would like to invite the attention of the hon. Minister about the tribal communities living in the forests. They are connected with the forests. But the tribal youth is not getting any employment opportunities in the forests. I

would cite just one example of my State Kerala. During the time of Mr. A.K. Antony as the Chief Minister of Kerala, 300 tribal youths were appointed as Forest Guards. If it is continued everywhere, their problems will be solved. Now, every year, the Government of Kerala is appointing 300 to 400 tribal youths as the Forest Guards in the forests of Kerala. Why can this practice be not followed in the other States of the country where forests are there?

The unemployed youth from tribal community are joining naxalite movement and becoming naxals. Why? It is because they are not getting any employment; they are not getting any consideration from the Government. Therefore, the Government of India should consider providing sufficient number of employment opportunities to these tribal youths.

Finally, Sir, I come from Kerala. In Kerala, specially in the Southern Districts of Kerala, there is one community called as *Vetar* community. Somewhere they are called as *Gigi Vargas Malai Vetar* community. The proposal regarding including of this community in the Tribal List is already before the Government of India. Recently, I had raised this issue in the Lok Sabha. I had got a reply from the hon. Minister that 'the State Government is not recommending for inclusion of this community in the list of Scheduled Tribes.' But I think, the Minister is misleading because the Government of Kerala has recommended several time for inclusion of the *Vetar* community in the Scheduled Tribes List. But unfortunately, the hon. Minister has replied me saying that 'the State Government is not recommending for inclusion of the *Vetar* community in the List of Scheduled Tribes.' But that is not correct.

Therefore, I would like to request the hon. Minister to kindly again consider this issue of including the *Vetar* community in the Scheduled Tribes List. In the last Parliament Session, there were hundreds of tribal people from *Vetar* community who came to Delhi and had the march to the Parliament. The *Vetar* community in Kerala is cent per cent genuine; and it should be immediately considered for inclusion in the Scheduled Tribes List.

Therefore, the hon. Minister may consider *Vetar* community of Kerala in the list of Scheduled Tribes.

With these words, I conclude.

खॉ. मोनाज़िर हसन (बेगूसराय): सभापित महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है। समय कम है इसिलए बहुत ही मुख्तसर में ही मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा। मैं सबसे पहले बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तमाम लोगों को जमीन मुहैया कराने का काम किया है और कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका समावेश अनुसूचित जाति में होना चाहिए लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो सका जिसको हमारी सरकार ने यहां पर भेजने का काम किया है। उसमें चेरू, धानुक, नुनिया, लोहार, बढ़ई, केवट, गोहड़ी, निशाद, तेली, कमकार, नुनसार, बिंद और बेलदार आदि ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में शामिल करने की मुसतहक हैं, लेकिन इन्हें शामिल नहीं किया जा सका है। हम मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि वे इन जातियों को भी अनुसूचित जाति के दर्ज में शामिल करने की कृपा करेंगे।

संविधान के अंदर फंडामैंटल राइट्स हैं। 1950 में राषअट्रपित के अध्यादेश के माध्यम से उनके साथ छेड़छाड़ करना के काम किया है। संविधान किया है कि सबको बराबर जीने का अधिकार है। धारा 341 के मुताबिक राष्ट्रपित के अध्यादेश के जिरए प्रतिबंध लगाकर इसे धर्म और मजहब के साथ जोड़ने का काम किया गया। लेकिन 1956 में सिख जाति और 1990 में बुद्ध धर्म को इस अध्यादेश के अलग करने का काम किया गया। मैं अनुरोध करूंगा कि धारा 341 को शिथिल करते हुए संविधान की मूल धारा से जो छेड़छाड़ की गई है, उससे उसे मुक्त कराते हुए ऐसी जातियां जो वाकई में दिलतों से भी ज्यादा दिलत हैं, उनको शामिल किया जाए। ... (व्यवधान) जो दिलतों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं जैसे हलालखोर, बखोर, मदारी, धोबी, लालबेगी, मोमिन, राइन, धुनिया, साईशाह, कादर आदि जातियां वंचित हैं। राष्ट्रपित के अध्यादेश के जिएए इसकी रूह को जो चकनाचूर किया गया है, उसे सरकार वापिस लेने का काम करे और इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कृपा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे इन्हें शामिल करेंगे। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री अशोक अर्गल (भिंड): मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मध्य प्रदेश में कुछ रावत, मीणा मुरैना, श्योपुर, दितया, गुना, शिवपुरी में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के रावत मीणाओं को आरक्षण में अनूसूचित जनजाित का लाभ नहीं मिल रहा है जबिक मध्य प्रदेश से लगे राजस्थान में मीणाओं को आरक्षण है। दोनों की शादी-ब्याह भी वहां होती हैं। चम्बल नदी के इस पार राजस्थान है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मीणाओं को भी इसका लाभ मिले। उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। वे बहुत पिछड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की तरफ से कई बार यह मांग उठी है। यदि आप उन्हें वास्तव में ऊपर उठाना चाहते हैं तो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। भेदभाव कैसा? एक देश में दो विधान नहीं होते। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश के मीणाओं को भी अनुसूचित जनजाित का लाभ मिले।

DR. PRABHA KISHOR TAVIAD (DAHOD): Deputy Speaker, Sir, Thankyou very much for allowing me to speak on the very sensitive issue of Scheduled Tribes. ... (*Interruptions*) मुझे बोलने का मौका दीजिए क्योंकि मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्वाइंट है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: बोलने का मौका तो दिया है।

...(व्यवधान)

**डॉ**. प्रभा किशोर ताविआड: सबसे पहले मैं मंत्री जी को बहुत बधाई देती हूं कि ये बिल लेकर आए हैं और ट्राइबल्स की तकलीफों के बारे में हमें बोलने का मौका दिया।

Sir, I support the Bill. We have to see that the Scheduled Tribes, who are living in tribal areas, are also not getting the benefits of being Scheduled Tribe.

I am a tribal lady. My constituency is a seat reserved for Scheduled Tribes, having seven MLA segments. Only one of it is an open seat. According to the new delimitation, Santrampur MLA seat of Panchmahal district is converted into a Scheduled Tribe seat.

According to the Census of 2001, the total population of Kadana Block is more than 1,10,000 and the Scheduled Tribe population is more than 80,000. Similarly, the total population of Santrampur Block is more than 2,19,000, whereas the Scheduled Tribes population is more than 1,57,000.

I want to draw the attention of this august House and that of the hon. Minister towards the current situation of these MLA segments.

The MLA seat in the Block of Kadana and Santrampur is a Scheduled Tribe seat.

In respect of District Panchayat seats, all three seats of District Panchayats in Kadana Block are of Scheduled Tribes. Similarly, all five seats of District Panchayats in Santrampur Block are of Scheduled Tribes.

So far as Block Panchayats are concerned, Kadana is having 17 seats of which 12 seats are for Scheduled Tribes. In Santrampur, the total seats of Block Panchayats are 25 of which 21 are for Scheduled Tribes.

In case of Gram Panchayats also, there are 41 seats of Sarpanch in Kadana Block, of which 37 seats are for Scheduled Tribes. The total number of members of Gram Panchayat in Kadana is 324, of which 246 are Scheduled Tribes members. In Santrampur Block, the total number of Sarpanchs is 63, of which 60 seats are for Scheduled Tribes. Out of the total number of 541 members of Gram Panchayat in Santrampur Block, 489 members are of Scheduled Tribes. This is the prevailing situation in Kadana and Santrampur Blocks.

I would like to say that the students of these blocks are getting scholarships, school uniforms, bicycles and all other benefits of the Scheduled Tribes in primary as well as in secondary schools. Both the Blocks are getting Tribal Area Development Fund, that is, TASP grants. But, when they ask for the Tribal Caste Certificates, in spite of giving all the required documents, they are not getting these certificates.

While the grandfather and the father have Scheduled Tribe Certificates, their son or daughter is not getting this certificate. The mother is from the Scheduled Tribe and is elected as a Sarpanch; the father is from the Scheduled Tribe, but still their children are not getting the Scheduled Tribes Certificates. Even the officers of the community are harassed in the name of scrutiny of caste certificates; they are suspended from their services and on the retirement day, they are given notices in this regard.

These cases have gone to the Court and they have been confirmed as Scheduled Tribes. But, what about the mental stress that they are undergoing and the wastage of time?

I am not pleading for those who are non-tribal people and are trying to get the certificates, but I am pleading for those real Scheduled Tribes, who are not getting the caste certificates in time and are not able to go for further studies. They are deprived of all other tribal benefits.

I will urge upon the hon. Minister to instruct the State authorities to issue the caste certificate of Scheduled Tribes at the time of admission in primary school

so that one can prevent harassment to get other benefits meant for the Scheduled Tribes in future.

I am pleading for the people residing in the surrounding area of Kadana Dam, which was constructed in 1964-65 in Kadana Block. Most of these are poor tribal people, who have migrated there because of submersion of their land in the Kadana Dam. They are given nominal monetary compensation instead of land. We have all the records. These poor tribal people are staying in the nearby hilly area of Kadana Dam.

Though there are two GWSSB plants, namely, Kadana and Bhanasimal water supply schemes for providing drinking water to people staying in clusters, these poor Tribes are not getting drinking water even in the radius of 10 km. The GWSSB has declared this area as Red Zone from the point of view of drinking water. This Kadna Dam water is taken up to Mehsana, about 500 kms. by Sujalam Suflam Canal of Gujarat for which the approval was taken saying that they will take only the overflowing water of the river in the monsoon season. But, I am sorry to say that they are taking away the water from the baseline. I have got the record to show that they have released the dam water in the months of January to May. They are just wasting it in the road-side gutter to increase the ground water level of Mehsana and surrounding areas; but the people of Kadana and Santrampur are not getting the drinking water.

I would like to say one more word that the land of the poor Tribes are taken away; our water is taken away; now they have planned to take away the Scheduled Tribe Caste Certificate. Sir, through you I would like to draw the attention of the Minister and urge upon him to please look into the matter of Scheduled Caste Certificate; water for drinking and irrigation purposes and help the poor.

Thank you for having allowed me to raise these points pertaining to my Constituency.

## **15.16 hrs** (Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, the assurance given by the Government in the past, may be by UPA-I, that a comprehensive amendment Bill will be brought before the House to include some of the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes who have been left out, has not been considered. Now, there is one long-pending case in West Bengal, particularly in the Maoist affected three districts of south West Bengal – Purulia, Bankura and West Midnapore. There is one Deswali Majhi community. Prior to 1952 they were recognized as a Scheduled Tribe. But, that recognition was withdrawn in 1952. These Deswali Majhis are there in the neighbouring State of Jharkhand where they are recognized as Scheduled Tribe. But they are not so recognized in the State of West Bengal.

When the case was examined by the State of West Bengal, it was referred to the Cultural Institute, whose responsibility is to undertake study, visit the districts and submit the report to the State Government. The Cultural Institute undertook the study, visited the three districts. They even went to the villages and then submitted their report recommending that the Deswali Majhis whose population is only three lakhs, should be recognized as a Scheduled Tribe and included in the list of Scheduled Tribes in the State of West Bengal. The Government of West Bengal also recommended strongly and sent it to the Central Government, most probably in 2003, where it continued to be pending.

Then suddenly, I was told that the Registrar General of India had rejected the recommendation of the State Government. Once the State Government recommends to include any community as Scheduled Caste or Scheduled Tribe, it should not be rejected by the RGI. The RGI has rejected arbitrarily, without giving any reason, the recommendation of the State Government of West Bengal

I know that this community is socially, educationally and economically most backward and most of them are landless people. In spite of that and in spite of a favourable recommendation made by a Parliamentary Committee, the

Committee on Petitions, to include Deswali-Majhi community as ST, it has not been done. So, I would request the hon. Minister to consider to include Deswali-Majhis, who were recognised as ST prior to 1952 and who are in the three districts – Purulia, Bankura and West Midnapore – of West Bengal, as ST so that they would be able to get all the benefits which are being provided to ST people.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापित जी, आपकी अनुमित से मैं यहां से बोलना चाहता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कांस्टीट्यूशन (अनुसूचित जनजाित) आर्डर (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2011 पर बोलने का मौका दिया। इसमें दो राय नहीं हैं कि आज भी बहुत सी जाितयां और विभिन्न क्षेत्र ऐसे हैं इस देश में जो अनुसूचित जनजाित घोषित होने चािहए, लेकिन नहीं हुए हैं। वर्षों से ये जाितयां और विभिन्न क्षेत्र लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें ट्राइबल घोषित किया जाए, परंतु केन्द्र की तरफ से उसमें न जाने किस कारण विलम्ब होता रहा है।

में हिमाचल प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र शिमला के एक जिला सिरमौर की बात कहना चाहता हूं। वहां पर हाटी समुदाय है, उसने कई बार हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम केन्द्र सरकार तक इस बात को रखा कि उस क्षेत्र को ट्राइबल घोषित किया जाए। बहुत पहले जब राजाओं का राज था तो हिमाचल प्रदेश से एक कोंस नदी गुजरती थी। उस पार का क्षेत्र यू.पी. में चला गया और इस पार का एरिया हिमाचल प्रदेश में आ गया। लेकिन सिरमौर के राजा पूरे इलाके के हुक्मरान थे। बंटवारा होने पर जो क्षेत्र यू.पी. में चला गया, जो अब उत्तराखंड में आ गया है, उसे तो उस समय की यू.पी. सरकार ने ट्राइबल घोषित कर दिया, लेकिन जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में सिरमौर का है, वह ट्राइबल घोषित नहीं हुआ। जबिक दोनों क्षेत्रों के लोगों की आपस में रिश्तेदारी है, एक सा रहन-सहन और खान-पान वगैरह है। यह क्षेत्र भी ट्राइबल घोषित होना चाहिए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने और वहां की विधान सभा ने युनेनिमस रिजोल्यूसन भी पास करके यहां भेजा था। पिछले दिनों हमारा एक डेलीगेशन मंत्री जी से मिला था और फिर हम प्रधान मंत्री जी से भी मिले थे। हमें आश्वासन दिया गया था, उसके बाद हम भारत सरकार के रिजस्ट्रार से भी मिले। कई वर्षों से यह मांग हो रही है कि उस क्षेत्र को ट्राइबल घोषित किया जाए। अगर यह हो जाएगा तो वहां के लोगों को लाभ मिलेगा, नौजवानों, बच्चों को और किसानों को सुविधा होगी। इसलिए में आपसे आग्रह करता हूं कि सिरमौर जिले में जो हाटी समुदाय है, जिसकी डेढ़ लाख के करीब आबादी है, उस एरिया को ट्राइबल घोषित किया जाए।

मेरा एक अन्य पाइंट है कि मेरे क्षेत्र में डोडरा पार है। आज भी वहां बर्फ पड़ी हुई है और जून के अंत में जाकर वह पिघलेगी। तब जाकर लोग तीन-चार महीने तक सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएंगे। उस क्षेत्र को भी, डाडापार का क्षेत्र को भी ट्राइबल घोषित किया जाए। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं उनके ध्यान में और माननीय प्रधान मंत्री जी के भी ध्यान में आया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस क्षेत्र को ट्राइबल घोषित करेंगे ताकि वहां के नौजवान में जो अलगाववाद की भावना जाग रही है, वह समाप्त हो।



चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, माननीय किशोर जी जो हमारे मंत्री साहब हैं, इन्होंने जो बिल पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वर्ष 1947 के बाद, जो एससीएसटी जातियां हैं जो किसी कारण से पिछड़ गयी थीं हम राजनीतिज्ञों ने फैसला किया कि हम इन जातियों को उस लेवल पर लाएं जो जातियां आगे हैं। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि एक जाति से एक ऑफिसर बन जाता है, राजनेता बन जाती है जैसे मेरी बहन है या किसी और अच्छी जगह पहुंच जाती है। होता यह है कि उसके बाद उसी के बच्चे एससी के लिए आरक्षण का लाभ उठाते रहते हैं, उसी के बच्चे एसटी का लाभ उठाते रहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो भी फैमिली आरक्षण से आगे बढ़े, उसके बाद जो जातियां बच जाति हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इससे सारी एससी, एसटी जातियों का अच्छे ढंग से पालन-पोषण हो सकेगा। नहीं तो कोई फायदा नहीं हैं। आरक्षण से आगे बढ़ी हुई जातियां ही सारा फायदा ले जाएंगी। There is no chance for any community.

मुझे पता है कि हमारी कुछ गुज्जर फैमलीज आगे बढ़ गयीं और जो हमारी गुज्जर फैमलीज हैं वे 500-500 किलोमीटर पैदल भैंसे लेकर घूमती हैं। इसी तरह बक्करवाल हैं उनकी ...(व्यवधान) राजनैतिक होती तो उनके यहां से मिनिस्टर क्यों बनाए जाते, आप नहीं समझे हैं। इसी तरह से बक्करवाल हैं, गददी हैं लेकिन इन्हीं के बीच में से सिप्पी जाति थी। सिप्पी को आपने एसटी का दर्जा दे दिया और उसके साथ जो कोली जाति थी उसे छोड़ दिया। मैं हैरान हूं कि ये दोनों जातियां एक जगह रह रही हैं, एक ही मां के पेट से हैं, एक ही स्थान पर रहती हैं। इस कोली जाति के साथ बड़ी बेइंसाफी हुई है। जिस मकसद को लेकर हम चले थे वह पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि हम इन्हें सही ढंग से आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण प्राप्त कर जो आगे बढ़ जाए उसे आरक्षण की सुविधा से निकाल दिया जाए, चाहे किसी भी जाति में हो। होता यह है कि चाहे असेम्बली हो या पार्लियामेंट हो, वे ठेकेदार बन जाते हैं कि हम बैकवर्ड क्लॉस के शैड्यूल्ड क्लॉस के, शैड्यूल्ड ट्राइव्ज के लीडर हैं और यहां आकर लोगों को दिखाते हैं। इस तरह से सारा फायदा ऐसे लोग ही ले रहे हैं लेकिन जिन्हें फायदा मिलना चाहिए उन लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए जिन गरीब लोगों के लिए यह सारा कुछ किया गया है उनकी मदद की जाए।

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Hon. Chairman, Sir, I would like to participate in the discussion on the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka.

I would like to draw the kind attention of the hon. Minister, through you, to my Constituency where the biggest lake of Asia, namely, the Chilka Lake is there. Besides this, the Bangladeshi refugees have settled. There they are oustees, and they are devoid from getting all the facilities and constitutional rights. We have even failed to issue them certificates. They are *Pundra* and *Namasudras*; and there are more names also. Those people are debarred from getting all the certificates. They have already submitted one memorandum to the hon. Minister. That is about *Namasudras*.

I would like to inform the hon. Minister, through you, Sir, that there are seven lakh people belonging to the *Saara* Community, who are living in 11 coastal districts under the Odisha State. However, they have not yet been given facilities meant for the tribals either by the State Government or by the Central Government. Before 2000, the *Saara* Community was getting all the facilities meant for the tribals, as their community name was synonymous with *Shabar* Community. Actually, they belong to *Shabar* Community, but their name was wrongly written as *Saara* in the land records by the Revenue Department of Odisha.

Further, the ST & SC Development Department of Odisha *vide* letter No. 40728, dated 26.10.2010 submitted a fresh, broad-based ethnic status study report for inclusion of *Saara* Community in the ST list of Odisha State. The hon. Chief Minister of Odisha wrote a letter to the hon. Minister of Tribal Affairs, Government of India, *vide* D.O. letter No. UM33/2011-109/CM, dated 30.05.2011 recommending the inclusion of *Saara* Community in the ST list of Odisha through a Presidential Order.

The hon. Minister belongs to a high tradition and heritage, particularly your Kingship is honoured in the world by the title of 'Gajapati'. Nowhere in the world, be it in London or Japan, can you see this kind of title. You are a devotee of Lord Jagannath. Lord Jagannath is the Lord of the Universe. In the biggest temple that we have, there is the biggest flag announcing 'patitapavana bana', meaning 'the greatest tribal of the Globe'. When my Lord is an Adivasi or Adivasi Devata, we, in other words, are all tribals. When I announce that we have a sovereign tribal Devata and we are trying for sovereignty, let us make India vital by the inclusion of my appeal in regard to the inclusion of these Communities in the list.

श्री हेमानंद विसवाल (सुन्दरगढ़): सभापित महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए में आपका आभारी हूं। महोदय, केवल एक वार्ड के लिए यह अमेंडमेंट बिल आया है और यह कानून भी बनेगा। कर्नाटक की मैदा एक कम्यूनिटी है, वह आदिवासी है, लेकिन मेदरा सेम कम्यूनिटी है, लेकिन मैदा की जगह इसे मेदरा कहा जाता है। The 'Meda' Community has been accepted as Tribals. 'Medara' is another name of the same Community. In some places, they are called as 'Medara' and in some other places, they are called as 'Medara' are synonymous, they should be treated as Tribals is the gist of this Constitution (Amendment) Bill.

मुझे बोलने का जब मौका मिला है, तो मैं जरूर बोलूंगा कि आज एक ही ट्राइब के सेम नाम पर अमेंडमेंट आया है। जितने भी साथी बोले हैं, क्योंकि बहुत राज्यों से बहुत-से प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास आए हैं। अभी पाटसाणी जी से पहले माननीय सदस्य कह रहे थे। उड़ीसा से पांगी जी भी कह रहे थे। चीफ सैक्रेट्री ने चिट्ठी दी है उसमें नौ नाम हैं, कोंडा रेड्डी में एक में Reddy है और दूसरे में Reddi है। यह अंतर है। इस तरह से दोनों लोग बवाल कर रहे हैं। ऐसे ही मूका दोरा में है, एक में Mooka है और दूसरे में Muka है। इस तरह के अंतर से समस्या हो रही है और सैंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव आया है। इसी तरह पहारिया (कमार) का प्रस्ताव आया है। धुर्वा और दुरुआ, Dhurava और Durua है। मैं भुइंया 📻 निटी का हूं। भुइंया, भूमिया, गुमिया, उयांग, भुंजिया, बिंजाल के साथ एक-दो और जातियां हैं जिनकी ज्यादा आबादी नहीं है। अगर ज्यादा होंगे तो उड़ीसा में अरइया जाति के लोग 3000 होंगे। भुंइयर जाति के लोग और ज्यादा पिछड़े हैं लेकिन इनका नाम इसमें नहीं है। इन लोगों का नाम ट्राइबल लिस्ट में होना चाहिए। अन्य राज्यों से भी कहा गया है। मेरे साथी ट्राइबल भाई कह रहे हैं कि आजादी को मिले 65 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम यह सीने पर हाथ रखकर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमें पोलिटिकल फील्ड में इतने साल हो गए हैं, हम डिफेंस फोर्स से आए हैं। अगर दलितों और ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन नहीं होता तो हम इतनी बार मौका पाकर पार्लियामेंट या असेम्बली में नहीं आते। हम किसी को भी काम के बारे में पूछते हैं तो कहा जाता है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी के तहत उड़ीसा को 2000 करोड़ रुपए या 5000 करोड़ रुपया दे दिया है। लेकिन काम कौन करता है? आप उड़ीसा, झारखंड, बिहार के झारखंड बार्डर, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ बार्डर या छत्तीसगढ़ की तरफ देखिए, मंत्री जी स्वयं उड़ीसा बार्डर के हैं, आरापूर वैली की तरफ देखेंगे तो अंगरो है और इधर देखेंगे तो मलकानगिरी और कोरापुट है। यहां के ट्राइबल्स केवल मिट्टी ढोते हैं। क्या इन्होंने जन्म मिट्टी ढोहने के

लिए लिया है? हम लोग कहते हैं कि आपको 60 परसेंट लेबर इन्सेन्टिव नेशनल रूरल एम्पलाएमेंट गारंटी प्रोग्राम में दे दिया है। हम अपने दिल में सोचते हैं कि काम नहीं हो रहा है। क्यों काम नहीं हो रहा है? क्योंकि मिट्टी ढोहने के लिए लोग नहीं हैं। यह ठीक है कि वे मिट्टी सिर और कंधों पर ढोहते हैं। ट्राइबल लोगों ने इसलिए जन्म नहीं लिया कि कंधे पर मिट्टी ढोएं। क्या उसका कंधा बुफेलो के जैसे है? आज मीडिया और टीवी के बारे में चर्चा हो रही थी कि दिखाया जा रहा है कि बॉडी को चिकना करने के लिए क्रीम लगा रहे हैं। एक तरफ बॉडी को चिकना करने के लिए क्रीम लगाएंगे और दूसरी तरफ आदिवासी लोग मिट्टी कंधे पर ढो रहे हैं। यह किस तरह की मानसिकता है? आप इसे सोचिए। मेरा निवेदन है कि 60 और 40 के बारे में संसद को बोलना चाहिए और रिकमेंड करना चाहिए।

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें। अपना आसन ग्रहण कीजिए।

श्री हेमानंद विसवाल: आप झारखण्ड में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे और उड़ीसा में देखेंगे तो माओवादियों के बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं। माओवादी कौन हैं? इस इलाके में सबसे ज्यादा माओवादी हैं। ये पांच स्टेट जो बोले हैं। यूथ एण्ड ट्राइबल लेडीज़ इसमें 90 पर्सेंट शामिल हैं। जो थोड़ा-बहुत पढ़-लिख कर, आठ-नो क्लास तक लिट्रेट हो कर निकल रहे हैं, वे लोग इन्हें गुमराह कर के ले रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं। तुम्हारा गाय तुम्हारा घर के लिए आता है, तुम्हारा जमीन ऐसा हुआ है। जल, निम, जंगल के नाम पर तुम्हारा रिकार्ड नहीं हो रहा है, गांव में जो मुखिया है, उनके नाम पर रिकार्ड हो रहा है। इस तरह गुमराह कर के ले रहे हैं। इन चीजों के लिए एक ही चीज़ होगा। एंटायर, इस इलाके के लिए, जैसे डोगरा पांच फीट एक इंच होता है। पांच फीट होता है आपका हिमाचल वाले का, लेकिन इन लोगों का एक रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट क्यों है, आप शिमला से शुरू करेंगे ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपका एक मिनट भी समाप्त हो गया है। कृपा कर आसन ग्रहण करें। ...(व्यवधान)

श्री **हेमानंद बिसवाल:** सभापति जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इनकी बात प्रोसिडिंग में नहीं जाएगी। कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।श्री एम. आनंदन आप बोलिए।

## (Interruptions)\*

SHRI M. ANANDAN (VILUPPURAM): Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak. At the outset, I welcome the Bill for the inclusion of the Madera community in the List of Scheduled Tribes.

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

I draw the attention of the hon. Minister to the plight of the community by name 'Padugas' who are living in Ooty, Tamil Nadu. Padugas of Nilgiris District, Tamil Nadu are considered Hill people. Their devotion and tradition reflects the ancient tribal characteristics. Padugas have the ancient dialect called as 'Padugu'. They do not have any script for 'Padugu'. 'Padugu' dialect is the cultural identity of their community on the Hills. In the census of 1931, Padugas were classified as tribes. There is an urgent need to include them in the List of Scheduled Tribes.

The State Government of Tamil Nadu has written a letter to the Central Government in this regard in 2003. A letter has again been written on 28.07.2011 to the hon. Prime Minister for the inclusion of 'Padugas' in the List of Scheduled Tribes. This is an issue which has been pending for a long time. The views of the Tamil Nadu Government have also been obtained. Considering the representation of the said community and the request made by the hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Dr. Jaylalithaji, I appeal to the Central Government to take immediate action for the inclusion of this community.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापित जी, मैं केवल दो मिनट का सुझाव देना चाहता हूँ। आज जनजाति, आदिवासी खास कर मेदारा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए बिल लाया गया है। यह सही है कि इस जनजाति के खिलाफ आज नहीं पूरे अर्से से इनके साथ अन्याय और अत्याचार होता आ रहा है। हमारे साथियों को मैं सुन रहा था कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं, उन लोगों को इसमें से निकाल देना चाहिए। जहां तक मेरी सोच है, ऐसे समाज के जो तमाम लोग हैं, जो हजारों साल से सड़ी-गली सामाजिक व्यवस्था के शिकार थे, जिन्हें जाति के नाम पर सम्मान और अपमान मिलता रहा है। इस नाते बाबा साहब डॉ. अंबेडकर ने संविधान में लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है। मेदारा जाति का मामला काफी अर्से से पेंडिंग रहा है।

में माननीय मंत्री जी को तो बधाई दूंगा कि आप यह बिल लाए हैं लेकिन मेरा यह सुझाव है कि देश में ऐसे तमाम सूबे हैं, उनमें तमाम ऐसी जातियों का रिकमेंड हो कर वहां से सेंटर में आया है। यह कहीं न कहीं आरजीआई, एसटी कमीशन और मिनिस्ट्री में एक साल नहीं कई सालों तक, मैं समझता हूँ इसी जाति को कम से कम छह-सात साल हो गए होंगे। आरजीआई, ट्राइबल कमीशन और मिनस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसके कारण जो काम एक-दो साल के अंदर होना चाहिए, उसमें कम से कम 6 से लेकर 10 साल तक लग जाते हैं। जो उन्हें मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, वे बेचारे उसे गंवा देते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसके लिए एक समयबद्ध नीति बनानी चाहिए। खासकर अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि इस जाति के खिलाफ हमेशा अन्याय हुआ है। ये जो आदिवासी जातियां हैं, जनजातियां हैं, जो पहाड़ों में, जंगलों में बसती हैं, जो हमारे देश का फॉरेस्ट का कानून है, उसका उपयोग हो के बजाय दुरूपयोग हो रहा है। ऐसे आदिवासी लोग आज अपना जंगल, घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी को ऐसे कानून में भी संशोधन करना चाहिए। ऐसे तमाम प्रदेश हैं, जहां एक ही जाति के लोग जनजाति में हैं और दूसरे प्रदेश में वे दूसरी जाति में हैं, इसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। उनका अध्ययन कराकर उन्हें एस.टी. में शामिल करना चाहिए। मेरी एक मांग और है, ऐसे तमाम जनजातियों के लोग हैं, क्योंकि यह बिल जनजाति के लिए लाया गया है, अनुसूचित जाति के लिए नहीं, इसलिए जो भी हो उनका आरक्षण प्रभावित न हो, ऐसे लोगों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक जो इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस देश के अंदर आज भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, जो शासन की कल्याणकारी योजनाओं से तो वंचित है हीं, लेकिन समाज और राष्ट्र की मुख्यधारा से भी बहुत दूर हैं। वे उपेक्षा की शिकार हैं, वे निरक्षर हैं और बहुत सारे स्थानों पर तो वे खानाबदोश की सी जिन्दगी व्यतीत करती हैं।

महोदय, अगर स्वतंत्र भारत में भी हम इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसका उचित हक नहीं दिलायेंगे और सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र को सशक्त भी नहीं बनाया जा सकता। सामाजिक उपेक्षा के कारण, शासन की लापरवाही के कारण आज उन जातियों के बीच में वृहद स्तर पर धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। नक्सलवादी गतिविधियां इस देश के अंदर उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी हुई हैं, जिन तक शासन की कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंच पायी हैं या सरकार की उपेक्षा और सामाजिक भेदभाव जिनके साथ हुआ है। वहां पर नक्सलवाद भी चरम पर है। इसीलिए मैं आपका ध्यान इस दुःखद सच्चाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और समाज की मुख्यधारा के साथ उन सभी जातियों को जोड़ा जाना चाहिए, जो अब तक वंचित रही हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में या फिर अन्य पिछड़ी जातियों में जो भी उनका उचित स्थान है, उसमें उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। मैं खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

महोदय, जब मैं इन घुमन्तु जातियों को देखता हूं, उनके बीच में जाकर हम लोगों ने कुछ कार्य भी किया है। आप रामायण काल देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, भगवान राम के जो सहयोगी थे, वे यही वनवासी थे, यही कोल थे, यही भील थे, यही वनवासी थे जिन्हें आज हम अपने से दूर करके जनजाति के रूप में स्थान दिलाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण के समय इन्हीं लोगों ने उस समय की व्यवस्था के साथ जुड़कर राष्ट्र को बचाया था। यही नहीं, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की सहयोगी भी यही जातियां थीं, जिन्हें आज भी हम जनजाति कहकर इस समाज से अलग किये हुए हैं। अगर कहा जाये तो इस देश की सही मायने में विपरीत परिस्थितियों में, उन विपन्त समयों में, गुलामी के समय में देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके वनों में रहकर, पहाड़ों पर रहकर, अन्य उन क्षेत्रों में रहकर देश की स्वाधीनता की रक्षा की थी, उनमें ये सब जातियां आती हैं। बहुत सारी जातियां घुमन्तु जातियां हैं, उन घुमन्तु जातियों के बीच अगर आप जायेंगे तो वे एक ही बात कहते हैं कि हम तो महाराणा प्रताप के वंशज

हैं। गोरखपुर में एक बधिक जाति है, वे समाज से बिल्कुल अलग-थलग पड़े रहते हैं, विकास की कोई भी योजना उन तक नहीं पहुंची है। मैं एक बार अचानक उनके बीच गया, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा कि समाज हमें स्वीकार ही नहीं करता है। मैंने कहा कि आप लोग कौन हैं? वे सब के सब अपना टाइटल सिंह लिखते हैं। सरकार ने आजादी के बाद उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का मूल राजस्थान से है, हम राजस्थान से भागकर आये हैं। जब हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में जाना पड़ा था तो हममें से कुछ लोग ऐसे थे, जिन्हें भागकर अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ा था। हम लोग उनमें से हैं। वहाँ पर वे आज भी खानाबदोश की ज़िन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, घुमन्तु जातियाँ हैं। माननीय मंत्री जी कर्नाटक की जिस मेदार जनजाति के बारे में संशोधन लाए हैं और उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात की है, यह मुख्य रूप से बाँस-बेंत का कार्य करने वाली जाति है। उत्तर प्रदेश में भी बाँसफोड़ नाम की एक जाति होती है जो घूमंत् जाति है। उनको किसी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। न उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, न अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। मैं माननीय मं<del>टी ज़ी</del> से अनुरोध करना चाहूँगा कि बिधक, बाँसफोड़, कंजड़ मुसदर और गोंड़ जाति को, अगर आप मध्ये प्रदेश में जाएँ तो उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वह अनुसूचित जाति में आता है। इन सभी को अनुसूचित जनजाति को शामिल करके उसका लाभ उन्हें प्रदान किया जाए, समाज की मुख्यधारा में उन्हें लाया जाए। हम अपनी तरफ से उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, कोई वरदान नहीं दे रहे हैं। यह हमारा राष्ट्रीय दायित्व है कि जिन्होंने देश की और समाज की विपन्न परिस्थितियों में रक्षा की है, अगर आज वे विपन्न हैं तो हम उनके सहयोग के लिए आगे आएँ, उनमें सामाजिक न्याय की स्थापना करें और राष्ट्र को सशक्त बनाएँ।

दूसरा, यहाँ जो प्रस्ताव आए हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने दिया है, हमारे यहाँ एक जाति है - निषाद्। निषाद्, केवट, मांझी, धीवर, ये जो जातियाँ हैं, बिहार में अनुसूचित जातियों में आती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में यह पिछड़ी जाति में आती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को भेजा है कि इन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि निषाद, केवट, धीवर, माझी, बिन्द आदि जो जातियाँ हैं, इन्हें भी आपका मंत्रालय देखे। यहाँ मंत्री नारायणसामी जी बैठे हैं, वे संबंधित मंत्री तक इस बात को पहुँचाने का कार्य करें कि इन जातियों की स्थिति का अत्यंत बुरा हाल है, अत्यंत पिछड़ी हैं, बहुत कमज़ोर हैं। अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग इनकी स्थिति है। दिल्ली में कुछ है, बिहार में कुछ है और उत्तर प्रदेश में कुछ है। इसलिए इन सबको अनुसूचित जाति में शामिल करके सही अर्थों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन्हें

मिले जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना हो और राष्ट्र को सशक्त बनाने में ये जातियाँ योगदान दे सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, at the very outset, I welcome this Bill.

While supporting this Bill, I would request the hon. Minister to bring forward a comprehensive legislation, as several communities are left out of this List. They are not recognized. I am coming from West Bengal; I would like to tell you about some Communities like Kole; during our student days, we used to learn Kole as the Scheduled Tribe. But it is not being recognized as a Scheduled Tribe in West Bengal.

The same is the question related to Mahali. Other communities are also there. So, I want that the Minister should very soon bring forward a comprehensive legislation to include not only these two communities, but also other communities which are left out.

The other problem is with regard to issuing of the ST certificates. Particularly in the case of cosmopolitan cities and towns, people from different ST communities are coming from different parts of our country. In their original States, they are recognized as the Scheduled Tribes, but in that particular cosmopolitan town or city, the respective State does not include that community as the Scheduled Tribe. This is happening and this is a matter of concern particularly in the town of Kharagpur. A good number of people are coming from the Southern States like Andhra Pradesh, Kerala, etc. They are treated as Scheduled Tribes in Andhra Pradesh or Kerala; but their communities are not included as Scheduled Tribes in West Bengal. What is happening as a result of this is the SDO is not in a position to issue Scheduled Tribe Certificates to them. This problem should be addressed properly. I think we should have a rider in this regard and I would request the Minister to give instructions that if any person of Scheduled Tribe origin, whoever he may be, coming from any State asks for the Certificate, the respective SDO should recognise him, acknowledge him and issue him the Scheduled Tribe Certificate.

The third point is with regard to the language. We are very happy that this august House has adopted the Resolution that Santali language based on Ol Chiki script has been recognised. But there are other huge number of tribal communities, particularly the Mundari community which is not in a very small number. Their language is somewhat different from the Santali language. So, all these things should be addressed properly. I think in the coming days, very soon, the Minister will bring in a legislation covering all these things. With these words I wholeheartedly support the Bill.

श्री पुलीन बिहारी बासके (झाड़ग्राम): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस का स्वागत करता हूं। मंत्री जी कर्नाटक में मधेरा कम्यूनिटी में दो शब्द के संशोधन के लिए यह बिल लाए हैं। कर्नाटक खुश है तो हम भी खुश हैं। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश के लिए दो शब्द के लिए संशोधन विधेयक लाया गया था, लेकिन वह बिना चर्चा के पास हो गया था। मैं बंगाल से आता हूं। हिन्दुस्तान की 762 कम्यूनिटीज़ विभिन्न राज्यों में रहती हैं, जो कि इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन पश्चिम बंगाल की केवल 41 कम्युनिटी इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। देसवाली माझी जाति रह गई है। उड़ीसा में बैगा जाति शेड्यूल ट्राइब में आती है, लेकिन हमारे राज्य में इसे बघाल जाति कहते हैं, इसे अभी तक शेड्यूल ट्राइब में शामिल नहीं किया गया है। प्रबोध पांडा जी ने कोल जाति के बारे में कहा है। इस जाति के बारे में हमने किताब में पढ़ा था। लेकिन अभी तक इस जाति को भी शामिल नहीं किया गया है। नार्थ बंगाल खासकर जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और हिली एरियाज़ में बहुत सारी ट्राइबल कम्यूनिटीज़ को अभी तक शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है।

महोदय, जब भी किसी पड़ोसी राज्य का कोई ट्राइबल उस राज्य में जाता है तो उसे ट्राइबल नहीं माना जाता है। तमिलनाडु का ट्राइबल यदि केरल जाता है, तो उसे ट्राइबल का दर्जा नहीं दिया जाता। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की ट्राइब्स का कोई व्यक्ति झारखण्ड जाता है तो वहां वह ट्राइब्स की लिस्ट में नहीं आता है। इसी तरह से यदि उड़ीसा से कोई पश्चिम बंगाल आता है तो उसे ट्राइब में शामिल नहीं किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विषय में एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाए। उस पर पूरी तरह से चर्चा की जाए। हिन्दुस्तान में दस करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन उनको ट्राइबल सब प्लान में हिस्सा नहीं दिया गया है, उनको रिज़र्वेशन भी नहीं दिया गया है। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

## 16.00 hrs

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बड़ा अच्छा बिल है। इसमें कुछ सुधार होने चाहिए। जैसे कुछ जगह हैं जहां लोग समाज से कट जाते हैं, उन्हीं को जनजाति की सुविधा मिलनी चाहिए। समाज में उन्हें मौका नहीं मिला, वे सुविधाएं नहीं मिलीं। इसलिए उन्हें समाज से जोड़ने के लिए उनको जनजाति के रूप में अधिकार देने की व्यवस्था है। कुछ जातियां आज भी हैं। केवल पहाड़ों और जंगलों में ही जनजातियां नहीं रहती हैं, वे मैदानों में भी रहती हैं। मैदानों में ऐसी जातियां हैं, अभी तमाम भाइयों ने चर्चा की, जैसे निषाद, मल्लाह, केवट, मांझी - ये लोग होते हैं, इनमें अभी इतना पिछड़ापन है और ये समाज से इस तरह से कट गए हैं कि आज भी वहां कच्ची दारू बनती है। हम जब वहां के लोगों से पूछते हैं कि यह क्या है तो लोग कहते हैं कि उस इलाके में मत जाइए, वह इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां दारू बनती है। यह कछार में नदी के किनारे है। ये समाज से कटे हैं। उस गांव में अगर आप चले जाएं तो 60 प्रतिशत औरतें विधवा मिलेंगी। यह व्यवस्था हमारे यहां है। इसलिए उन लोगों को सुविधा देकर सरकार को इन जातियों के लोगों को समाज से जोड़ने का काम करना चाहिए। वहां पर जैसे दुसाध है। एक थारू होते हैं। थारू बहुत बहादुर होते थे। ये जनजातियां तमाम तराई इलाकों में बसी हैं और इस जनजाति के लोग लड़ाइयों में भी भाग लिया करते थे। मंगोल और हुण जब आते थे और उत्तर प्रदेश होकर गए तो उन लोगों के ये वंशज कहे जाते हैं। ये बड़े धार्मिक होते हैं। ये बड़े शरीफ और सीधे होते हैं। इनको कुछ जगहों पर जनजाति की स्विधा मिल रही है, कुछ जगहों पर नहीं मिल रही है। एक ही जगह दो जनपदों में इस तरह की व्यवस्था है।

यहां पर गोसाईं, ओझा, नायक, मुसहर जाति के लोग होते हैं। इन लोगों को कोर्ट से सुविधा मिली है। कोर्ट ने आदेश किया है कि ओझा लोगों को, नायक लोगों को जनजाति की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन, कई जगहों पर ये लोग उन सुविधाओं से वंचित होते हैं। हमारा आपसे यही निवेदन है, यही सलाह है कि इन लोगों को जनजाति का दर्ज़ा देकर उन सरकारी सुविधाओं का लाभ देने का मौका जरूर देना चाहिए।

सभापति महोदय: विधेयक पर वाद-विवाद समाप्त। सरकार का उत्तर - माननीय मंत्री जी बोलिए।

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): Thank you, Mr. Chairman. At the outset, I would like to thank all the Members who have participated in this discussion. I think more than 42 Members have participated in this discussion.

In fact, this subject is being discussed in this House almost after a decade as the hon. Member has just said. A correction was made in one of the earlier Sessions but discussion could not take place as the Bill was hurriedly passed.

I would also like to thank the Chairman and Members of the Standing Committee who gave the Report expeditiously after completing it into the inter-Session period, as a result of which I have been able to take up this Bill today.

# <u>16.04 hrs</u> (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

While initiating the discussion, hon. Member Shri Pralhad Joshi had expressed concern that this particular issue - which was actually an aberration and needs to be corrected - was pending and it took almost ten years to come to the floor of this House. He had also expressed a great anguish about the fact that the students will not be able to take advantage of this unless the Bill is quickly passed in both the Houses of Parliament and notified by the President. Without malice to anyone, I would like to most humbly submit that I introduced this Bill in the last Session of Parliament and it was due to disturbances in the House that this Bill could not be taken up during the last Session of Parliament. As a result of which, the Bill was sent to the Standing Committee and the moment it came back, it is here before us today.

I think it is time that Members from all sides of this House should realise that sometimes, may be inadvertently, important issues like this which pertain to the future of the children belonging to the weaker sections can also get delayed because of disturbances in Parliament when Parliament is adjourned abruptly for a long period of time. However, I am glad that I have been able to bring this Bill before the House today.

I would first like to say that perhaps discussion on this subject has not taken place for a very long time. I would like to apprise the hon. Members of this august House about certain procedures that have to be followed and that have been done till date with respect to the inclusion and deletion of Scheduled Tribes.

Now many Members have expressed the concern about the fact that some tribes which are recognised in one State are not recognised in other States. This is a fact. In fact, in the same State, there are certain tribes which are recognised in some districts and not in other districts. This issue has been raised by some of our colleagues from Tamil Nadu about a particular community.

So, the fact is that as far as inclusions or deletions are concerned the procedure is same for both. Unless proposals come from the State Government, it is not possible for me to take up the issue *suo motu*. We have to keep in our mind the federal structure of our Constitution. In deference to federal aspects and certain powers which every State Government has, this procedure has to be followed.

You are aware that every State has its own State List. It is not the Central List that we have. Every State has its own List and it is based on the recommendation of the States that we take up these matters. Once it comes to the Ministry of Tribal Affairs, we refer it to the Registrar General of India. Many Members have referred to this procedure. Now the Registrar General for Census has to give its clearance. In many cases, when it is rejected by the Registrar General, we refer these cases back to the State Governments asking them for clarifications or further information regarding certain communities. There have been delays in this process but I can assure you that as far as my Ministry is concerned, we will keep reminding them and we will do our best to ensure that these matters are expedited. But I must also hasten to add that this is not entirely in the hands of me or my Ministry. We, however, pursue it.

Once it is cleared by the Registrar General of India, then it has to be referred to the Natinal Commission for Scheduled Tribes. Earlier, as you know, it

was the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and it has now been bifurcated. Today, we refer it to the National Commission for Scheduled Tribes. Once it is cleared from there, then it comes to my Ministry and after which the Parliament has to take a call on the matter.

So, this is the procedure that is followed till today. In our kind of federal set up, I do not think it will also be proper for the Central Government to *suo motu* take up issues and either include or delete any community from the list of Scheduled Tribes.

Several Members including Shri Shailendra Kumar, Shri Baju Ban Riyan, Shri Dhananjay Singh, Dr. Raghvansh Prasad Singh, Dr. Nishikand Dubey, Shri Lalu Prasadji, Shri Mahato, Shri Prabodh Panda, have pleaded for a comprehensive legislation to cover the entire country. A comprehensive legislation to cover the entire country means, I have to wait for all the States to send their proposals and recommendations. Case specific studies are made separately for each communities. Study and recommendation may come for one community but for other communities it may take a longer time. So, if I have to wait for all the communities to be recommended by all the States and Union Territories, I do not know if such a comprehensive Bill will come at all. It is not practical that way. Therefore, a comprehensive Bill though sounds good and attractive but in the circumstances I do not think it is possible to bring in a comprehensive legislation.

Some hon. Members have suggested the setting up of a Special Commission on Tribal. As I had already mentioned, there is already a National Commission for Scheduled Tribes and I do not think setting up of a Special Commission for this at the national level will serve any purpose. This may delay the process still further. There was one constitutional issue raised by Dr. Nishikant Dubey. He referred to article 339 of the Constitution and said that Union Government could initiate action on this matter. Now, I would like to inform this august House through you that article 339 of the Constitution, as its marginal head itself suggests containing provisions regarding control of the Union over the

administration of the Scheduled Areas and welfare of the Scheduled Tribes. Article 339 (ii) provides that Executive power of the Union extends to giving directions to a State as to the drawing up and execution of schemes specified in the directions. It has to be essential for the welfare of the Scheduled Tribes. It is pertinent here to note that this article here speaks of Executive power of the Union Government to give directions with respect to the welfare schemes of Scheduled Tribes which also implies that this is meant for those who have already been declared as Scheduled Tribes. This article 339 of the Constitution cannot be applied for inclusion or deletion of tribes. That power flows from article 342 of the Constitution and hence as far as article 339(2) is concerned, from here we can issue directions to ensure that the welfare schemes and other pertinent matters are properly carried out in the Scheduled Areas. But this also pertains to those who have already been recognised as Scheduled Tribes.

Several Members have raised several issues and I will make my best efforts to reply to the points raised by my colleagues. Shri Jaiprakash Hegde, an hon. MP from Karnataka had requested that Koroga and Kurubi tribes be treated as primitive tribal groups. I would like to inform the hon. Member that the Koroga community is already recognised as a primitive tribal group. But as far as this nomenclature is concerned, in the year 2008 a decision was taken not to include any tribes with the primitive tribal group until the National Tribal Policy is framed because there are no specific guidelines or norms to ensure that actually the most deprived people are included in this. I would like to take this House into confidence and would like to inform the hon. Member that I am in the process of finalising the National Tribal Policy and while doing so I would certainly address this question regarding the norms and guidelines with respect to primitive tribes and groups. Shri Dhurv Narayan, MP had also requested that the Soliga community be included in the primitive tribal group. This matter will also be taken up once the Ministry finalises its views on this particular thing.

Sir, Shri J.K. Ritheesh and Shri P. Lingam, both Members from Tamil Nadu, had referred to a particular community, the Kattunaicker community, which is recognized as a Scheduled Tribe only in two districts of the State. I had initially mentioned that this anomaly also exists and they are not recognized as a Scheduled Tribe in other districts of the State. I myself have not been able to understand the logic behind this but I shall ask the State Government of Tamil Nadu regarding this aspect. Once we get the recommendation from the State Government and once the proposal comes from the State Government, certainly, on our part, we will do whatever we can to ensure that the Kattunaickers are also included as a Scheduled Tribe in all parts of Tamil Nadu.

Shri Hassan Khan, Member from Jammu and Kashmir had yesterday mentioned about the Pahadi community.

MR. CHAIRMAN: He is from Ladakh.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Ladakh is a part of Jammu and Kashmir. His constituency is Ladakh and he is an MP from Jammu and Kashmir. You are referring to his constituency. I am referring to his State because this problem is there in other parts of the State also.

There is a community called the Pahari community. As far as this community is concerned, I think the State Government of Jammu and Kashmir has been asked to provide further justification and submit a study report. As soon as we receive that from the State Government, we shall proceed further as far as this community is concerned. I would be glad if the hon. Member pursues the State Government to see that it reaches us as soon as possible.

In Ladakh region, the RGI did not support the inclusion of Aga community in the list of Scheduled Tribes. The rejection has been intimated to the State Government. If the State Government sends us further reply giving us the reasons for justifying, we shall again refer it to the Registrar General of India.

Regarding request of several communities of UP and Bihar, I would like to mention that as far as Kole community is concerned, Shri Rewati Raman Singh

and many others have referred to this particular community. The RGI's comments have been referred to the State Government for additional information and further justification. If you could ensure that the State Government quickly sends back the reply with justification and clarification that the RGI has asked for, we shall again send it to the RGI with a request to see that the matter may be considered.

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय मंत्री जी, जब और प्रदेशों में कोल जाति को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है तो फिर क्या जस्टिफिकैशन आरजेआई ने मांगा है यह हमारी समझ में नहीं आता है। ... (व्यवधान)

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Initially, I had mentioned that the community which is recognized as a Scheduled Tribe in one State need not be necessarily recognized in another State. So, the Kole community being recognized in another State does not automatically give the community the right. It may be justified but it does not automatically give them the right to gain the Scheduled Tribe status in another State. It has to be justified by that State.

For example, I just mentioned about Kattunaicker community in Tamil Nadu. Tomorrow, even if they are recognized as a Scheduled Tribe in the whole of Tamil Nadu, it does not mean that the neighbouring State of Andhra Pradesh to which I belong to will also include them in its list of Scheduled Tribes. So, this is a case-by-case, State-by-State, method that is being followed.

As I mentioned earlier, every State has its own list of Scheduled Tribes. So, UP has to send its justification and the moment I get, we will send it to the RGI with a clarification by the State Government.

There are several communities in the country. As far as Bihar is concerned, I think there are one or two communities which are pending with the RGI but nothing is pending with the Ministry so far.

Dr. Raghuvansh Prasad Singh, when he spoke yesterday, had mentioned that this was earlier a part of the Home Ministry. Yes, it was. From Home Affairs, the Tribal Affairs went to the Ministry of Social Welfare. From the Ministry of Social Welfare, it has been separated and now a separate Ministry for

Tribal Affairs has been formed. Most of the documents and papers have been sent to us by the Ministry of Home Affairs and also by the Ministry of Social Welfare. If there is any specific case regarding Bihar, which the State Government has forwarded to us the hon. Member may kindly get me that and I will pursue it further and let him know the status as far as that community is concerned.

I think hon. Member from Betul, Shrimati Jyoti Dhurve has raised the issue of *pataria* community in Madhya Pradesh and Chhattisgarh also. Now, this has been referred to the Registrar General of India on 21<sup>st</sup> of January, 2010. I mean it is a long time. It is more than two and a half years. It still has not yet come. I will certainly take it up with the Registrar General of India and request him to send his findings to us. ... (*Interruptions*)

I have got the list of almost all the communities of various States. I have also got their status. I do not want to take the time of the House. But if you want, I can give the status of the most of the requests that have been made. As far as *Kol* community is concerned, I have already said it has gone for justification to the State Government. Shri Dhananjay Singh has also raised the issue of *Gond* and *Kol* communities. Shri Bhudeo Choudhary has raised the issue of *Bhuinya* and *Tushar* communities. The State Government has not submitted the proposals for the inclusion of these communities as yet. I have already spoken about Tamil Nadu. Shri Baju Ban Riyan spoke about *Riyan* community, which is there in other States apart from Tripura. As I have mentioned earlier, Shri Baju Ban Riyan, it will not be possible to take it up in a consolidated manner. But if there are any requests from those States regarding the inclusion of *Riyan* community, certainly we shall process the matter and see what we can do.

Hon. Members from Odisha also raised certain issues. Odisha has sent a list of 167 names that need to be included. Out of these 167, most of them are already pending with the Registrar General of India. Some have been sent back to the State Government and the State Government has still not replied. You have specifically asked about the *sara* community. I have had representations from

different sections of people, like from the State Government, from the leaders of the Tribal Associations, etc. for inclusion of the *sara* community. I think the Registrar General had written back to us and we have referred it to the State Government. As soon as the State Government sends the clarification, we shall again process the matter and send it to the RGI for his comments. ... (*Interruptions*) A fresh proposal about the *sara* community has been sent to the State Government on the 6<sup>th</sup> of March, 2012. That is just two months back. As soon as we get the response of the State Government, we will process it.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, if you go on replying to each and every Member, then it will take a lot of time. Instead you can send your reply to them separately. SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Mr. Chairman, as I told you, since this matter was not discussed for nearly a decade, many hon. Members have expressed

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, why do you not write personally to them?

their views. So, I thought whatever materials I have I will share it with them.

... (*Interruptions*)

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Sir, I will write back to them. If I remember right, the *Doras* are also still pending with the Registrar General of India. As soon as we get his comments, we will send them to the State Government for clearance and we will proceed further in the matter.

Sir, several other suggestions have come. I have made a note of suggestions made by the hon. Members. As soon as I get any further information, I shall write back to the hon. Members and inform them of their respective positions as far as the tribes they have referred to are concerned. ... (*Interruptions*) श्री गणेश सिंह (सतना): मंत्री जी, मध्य प्रदेश के बारे में नहीं बताया। ...(व्यवधान)

**श्री वी.किशोर चन्द्र देव :** मैं आपको लिखकर दे दूंगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Please hear the hon. Minister.

... (*Interruptions*)

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Sir, as soon as I am able to collect the information, the latest status; I will inform the hon. Members. ... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, I want to raise one point. Even though the hon. Minister is taking suggestions from the State Government and forwarding them to the Registrar General of India, generally most of the these things are rejected by the Registrar General of India. What the hon. Minister can do is that he can persuade the Registrar General to see that it is cleared and approved. When the State Government recommends and you are also recommending, then what is the point of rejecting it by that Officer? Then, what is the use of the Parliament? ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: That is the usual procedure being followed.

... (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI: The procedure may be there, but when the State Government recommends and his Ministry also recommends, then why he is rejecting? ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: That is the usual procedure. If we can change it, then it is a different thing.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Sir, you will appreciate the fact that most of the tribes which have been already included has been recommended by the RGI. This is the procedure which has been followed from the beginning. So, it is not correct to say that every case is rejected. But when a case is rejected, I have already told the hon. Members that along with the comments of the RGI, I will send it to the State Government and wait for their justification reply. We will pursue it further. We will certainly do that on our part. That is the procedure as per the rules which have been laid down. Unless the Parliament change it, I will have to but follow the procedure and norms which have been laid down. ... (Interruptions)

सभापति महोदय: आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): माननीय मंत्री जी, कुछ जगहों पर ओझा जाति को...(व्यवधान) सुविधा मिल रही है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister is answering to the queries of the hon. Members. Please sit down. Nothing else will go in record.

(Interruptions)\*

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Nothing is going on record.

(Interruptions)\*

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: These discrepancies do exist. I have already said about it in the beginning. This is a State subject and the States will have to take a call on this. Once it comes from them, I have no problem as far as I am concerned.

Sir, now I commend the Bill to the House.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of part- VI of Constitution (Scheduled Tribe) order 1950

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

#### Clause 1 Short Title

Amendment made:

Page 1, lines 2 and 3,

For "(Second Amendment) Act, 2011",

substitute "(Amendment) Act, 2012". (2)

(Shri V. Kishore Chandra Deo)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

## **Enacting Formula**

**(1)** 

Amendment made:

Page 1, line 1,

for "Sixty-second",

substitute "Sixty-third".

(Shri V. Kishore Chandra Deo)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Sir, with your permission, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

### 16.31 hrs

### **DISCUSSION UNDER RULE 193**

Need to bring Comprehensive Policy changes in Civil Aviation Sector and the problems being faced by Workforce--Contd

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Mr. Chairman, Sir, I request you to allow the House to take up Item No.19 – Discussion under Rule 193.

MR. CHAIRMAN: I think the House is agreeing that we should take it up as proposed by the hon. Minister.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Shri Tathagata Satpathy – not present. Shri Nishikant Dubey.

... (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, some of us have moved a Privilege Motion... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The hon. Member is a very senior Member. At this stage, the question of Privilege does not arise. We will continue our Discussion under Rule 193.

... (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Sir, we have given notice of a Privilege Motion against the hon. Minister of Civil Aviation.... (*Interruptions*) MR. CHAIRMAN: I am told it is under the consideration of Madam Speaker. So, please sit down now.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You are all senior Members. You know the procedure of the House more than anybody else. Please sit down. Tomorrow, you can raise it since it is under the consideration of Madam Speaker.

... (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR: Before that, we have to submit it.... (*Interruptions*)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME
MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): You can only present it.
The hon. Speaker has to decide about that.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Ananth Kumar, I have already stated it. You are a senior member. Shri Basu Deb Acharia, Shri Gurudas Dasgupta, you are all senior members. You know the procedure better than anybody else. Please sit down.

... (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR: Please allow us to make our submission.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: It is under the consideration of the hon. Speaker. She will examine it. You have submitted much after the Question Hour. So, it will be examined, certainly.

... (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR: The hon. Civil Aviation Minister is making statements outside the House.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: All these points will be taken into consideration.

SHRI V. NARAYANASAMY: Only you can give the notice of the Privilege Motion. You cannot mention about it. Sir, nothing should go on record. ... (*Interruptions*) Shri Ananth Kumar, please tell me the rule. Under what rule, you are raising it. ... (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR: How can he make a statement outside the House.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Shri Ananth Kumar, under what rule you are raising the issue? ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Your party Members are on their legs. Please sit down.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Ananth Kumar, you are a very senior Member. You know, the procedure of the House. Please sit down.

... (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR: I want the Minister to tender apology to the House. ... (*Interruptions*) He should apologise to the House.... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I am requesting you to allow us. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) \*

MR. CHAIRMAN: I have already repeatedly stated here that it is under the consideration of Madam Speaker. It will be taken up perhaps tomorrow. Please sit down. This is not the proper time.

... (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR: It is a serious matter, Sir. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It might be a serious matter but this is not the proper time. Please sit down.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. It is under the consideration of the Madam Speaker. Your Member is on his legs.

... (*Interruptions*)

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)\*

MR. CHAIRMAN: I have told you repeatedly that it is not the proper time. Please sit down

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is not the proper time and procedure, Shri Acharia. Please sit down. I appeal to you all, please sit down.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. We follow the procedure tomorrow.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please help me in conducting the business of the House. This is not the proper time and procedure.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)\*

MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Nirupam, please sit down.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I would request you all. You are all senior Members. You know the procedure better than anybody else. Since it is under the consideration of the hon. Speaker, the privilege issue, as you have mentioned, it will be taken up tomorrow, not today. We should continue with the discussion.

... (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR: You take up the matter tomorrow but allow us to submit something or to say something. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am told that the privilege notice was given after the time was over. It is valid for tomorrow.

... (Interruptions)



<sup>\*</sup> Not recorded

श्री निशिकांत दुवे (गोड्डा): धन्यवाद सभापित महोदय, अभी जिस बात के लिए अनंत कुमार जी, बसुदेव जी और गुरुदास दासगुप्त जी उत्तेजित थे और मंत्री जी ने जो तीन बयान दिये हैं वे तीनों महत्वपूर्ण बयान हैं, पॉलिसी डिसीजन हैं और उनका जो कंसर्न है, उसके साथ मैं अपने को अटैच करता हूं।

माननीय मंत्री जी ने जो मर्जर कहा है तो मर्जर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपने कहा कि मर्जर गलत था। यदि ठीक तरह से हम चीजों को समझ रहे हैं तो मर्जर किसने किया? मैं इस बिंदु पर बोलने चाहता हूं।

दूसरा आपने कहा कि नेशनल कैरियर सरकार को चलाना ही नहीं चाहिए। तीसरा आपने कहा कि सर्विस सेक्टर चलाना सरकार का काम नहीं है। सर्विस सेक्टर सरकार का काम नहीं है तो आप रेलवे को बंद कर दीजिए, एफसीआई जो गोदाम बनाती है, उसे बंद कर दीजिए, आईओसीएल जो पेट्रोल पम्प के आउटलेट्स लगाती है -एचपीसीएल, बीपीसीएल, उन्हें बंद कर दीजिए, एमटीएनएल और बीएसएनएल को बंद कर दीजिए। यदि सरकार का काम सर्विस सेक्टर के लिए नहीं है तो इन्हें आपको बंद कर देना चाहिए।

हमारे बड़े भाई शत्रुघ्न सिन्हा साहब यहां बैठे हुए हैं और एक दिन संसद में उन्होंने बैठे-बैठे कहा '' महाराजा'' भिखारी हो गया। एक टीवी न्यू के कैप्शन में मैंने देखा कि महाराजा आईसीयू में चला गया, कौमा में चला गया। इसके बाद मैंने इसे तलाशने की कोशिश की कि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जिस स्टेट उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और उसमें जो चुनार का किला है, जो चन्द्रकांता उपन्यास है, जिसमें रहस्य है, रोमांच है, जादू है, करप्शन है और उसमें अक्रूरसिंह की भी भूमिका है लेकिन मैं नहीं कहना चाहता हूं कि अक्रूर सिंह कौन है? ये एवीएशन मिनिस्ट्री जो है उसी प्रकार का है। इसीलिए आपकी सारी बातें गलत हैं। मर्जर कोई इंडिया में नहीं हुआ है, यह इन्कंसीव्ड मर्जर था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भाजपा जब सरकार में थी, उस वक्त एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस प्रौफिट में थीं, हम इसका डिस-इंवैस्टमेंट कर दें। लेकिन कई लोग इसका विरोध कर रहे थे। आज आप बताइये कि एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान है, एक लाख करोड़ रुपये की देनदारी आपकी मार्किट में है तो क्या मार्किट में आपका कोई वैल्युएशन बचा हुआ है। उस वक्त जिन लोगों ने इसका विरोध किया, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि माननीय वाजपेयी जी की डिस-इंवैस्टमेंट की पॉलिसी उस वक्त सही थी या गलत ''पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय।'' यदि आपका थी। एक कहावत है कि लड़का अच्छा है तो भी धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और बुरा है तो भी धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब शाहनवाज हुसैन और रुडी जी सिविल-एवीएशन मिनिस्टर थे तो इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया प्रौफिट में थीं। जब सन् 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार थी तो ये प्रौफिट में थीं। ...(व्यवधान)

अनंत कुमार जी उससे पहले मंत्री थे। ... (व्यवधान) गुरुदास जी, आपने पूरी बात बताई कि चार साल इसमें प्रौफिट हुआ था लेकिन वर्ष 2004 के बाद अचानक क्या हुआ? इन लोगों ने तय किया था कि 18 प्लस 10 एयरक्राफ्ट लेना है। आपने तय कर लिया कि हमें 68 लेने हैं, 112 लेने हैं तो आखिर ये किन लोगों ने किया? ये सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें एडीशनल सैक्रेट्री फाइनेंस है, फाइनेंस एडवाइजर सीधा कहता है कि जिस तरह से एटीएफ के रेट बढ़ने वाले हैं, एटीएफ की चीजें बढ़ने वाली हैं, इसमें दिया है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हो जाएगा तो इतना प्रौफिट होगा, वह गलत स्पैकुलेशन है और यह मर्जर किसी भी आधार पर यूजफुल नहीं है। उस वक्त भी मना किया गया था। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोंगों ने यह एक्सटेंशन किया कि 18 प्लस 10 को 112 एयरलाइंस कर दिया जबिक आपके पास केवल 350 करोड़ रुपये था।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने इक्विजिशन के लिए केवल 350 करोड़ की इक्विटी दी और 50 हजार करोड़ रुपयों का आपने मार्केट से जो सामान खरीदा, वह क्या सोच कर किया? जब आपके एडिशनल सैक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर सभी के सभी मंत्रालय इन्क्लूडिंग प्लानिंग कमीशन, जैसा गुरुदास दास जी बता रहे थे किसके कहने पर या किस तरह की कमीशनखोरी के कारण आपने इन चीजों को खरीदने का प्रयास किया। दूसरी बात कि या मर्जर किया, मर्जर के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सवाल होता है कि एचआर पालिसी बनाई जीती है। मेरे पास मर्जर पालिसी है, इसके पहले जो मर्जर हुआ केएलएम और एयर फ्रांस का, यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि दोनों देश ऐसे थे, जिन्हें कि हिंदी नहीं आती थी और एक डच बोलता था तो दूसरा फ्रेंच बोलता था। दो देश थे और एयर फ्रांस और केएलएम जो मर्जर की पालिसी बनाई, वह सक्सेसफुल पालिसी थी। पिछले पांच साल से बिना एचआर की पालिसी के आपने इस मर्जर को कैसे होने दिया?

दूसरा सवाल यह है कि डायल और मायल के बारे में बहुत चर्चा हुई है। हमारे मित्र श्री शाहनवाज जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एयर इंडिया ही करप्शन का सबसे बड़ा आधार नहीं है। डायल में भी कह रहे हैं कि एडिशनल डवलेपमेंट फीस आज से आपने ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। ऐसा आपकी रेग्यूलेटरी बॉडी ने किया। इसके पीछे यह बात है कि जब डायल और मायल का कन्सेप्ट आया, तो यह कहा गया कि छह हजार करोड़ रुपयों में दिल्ली का एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जब एयरपोर्ट बनने की स्थिति आई तो बजट 9 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया और एयरपोर्ट बनते-बनते साढ़े बारह हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आप यह बताएं कि छह हजार करोड़ रुपए का सामान बनते-बनते साढ़े बारह हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये सभी कागजात हैं और मंत्री जी बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि पांच परसेंट लैंड आपने कमर्शियल यूज के लिए दी। मेरा सवाल है कि पांच परसेंट

लैंड का मतलब 245 करोड़ रुपया होता है। साढ़े बारह हजार करोड़ रुपया खर्च दिखाया है, यह बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें 26 परसेंट इक्विटी एयर इंडिया की है और 74 परसेंट इक्विटी जीएमआर कम्पनी की है। उसने 2450 करोड़ रुपया इक्विटी दी, जिसमें 660 करोड़ रुपया एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया का है। इसमें 5200 करोड़ रुपयों का कर्जा लिया। इसके बाद पांच परसेंट जमीन में से जो 45 एकड़ जमीन का 1475 करोड़ रुपया जमीन का ले लिया, जबिक जमीन हमारी है। उनका पैसा नहीं है और यह जो एयरपोर्ट डवलेपमेंट फीस ले रहे हैं, ये 3453 है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। डायल और मायल में भी आप देखिएगा कि आपकी इक्विटी डायल में 19 परसेंट है और एयरपोर्ट डवलेपमेंट फीस 28 परसेंट है। मायल में इक्विटी 11 परसेंट है और एयरपोर्ट डवलेपमेंट फीस 28 परसेंट है। मायल में

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): इसमें एयर इंडिया का क्या ताल्लुक है?

श्री निशिकांत दुवे (गोड्डा): पूरे एविएशन सैक्टर की बात हो रही है, केवल एयर इंडिया की बात नहीं हो रही है।...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: The hon. Minister is misinformed, ill-informed. It is on 'Aviation'. Mr. Saugata Roy is a Professor. He must know what is the subject. It is 'Aviation'... (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR: He seems to be absent minded... (*Interruptions*)
SHRI GURUDAS DASGUPTA: The professors are always absent minded... (*Interruptions*)

श्री निशिकांत दुवे: महोदय, इसमें करएशन यह है कि पांच परसेंट जमीन जो कमर्शियल यूज के लिए दी है, उसके लिए 1475 करोड़ रुपया इन्होंने लिया। मेरा सवाल है कि 200 एकड़ जमीन इनके पास बची है। अभी 17, तुगलग रोड बिका है। एक एकड़ और तेरह डिसमल है। इसकी कास्ट 975 करोड़ रुपए लगी। इसका मतलब है कि तुगलक रोड पर जमीन 600 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बिक रही है। एयरपोर्ट में जो 200 एकड़ जमीन बची है, वह कम से कम डेढ़ सौ करोड़ रुपया प्रति एकड़ बिक रही होगी। यदि 200 एकड़ जमीन आपके पास है, तो तीस हजार करोड़ रुपए से ले कर चालीस हजार करोड़ रुपया है, यह रुपया किसका होगा इसका उत्तर देना चाहिए और यह किसकी जेब में जाएगा, इसका भी उत्तर आपको देना चाहिए। डायल, मायल, हैदराबाद और बंगलौर करएशन के सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसके बाद भी आप सुधरे नहीं हैं। धर्माधिकारी की रिपोर्ट आई है। ऐसा होता कि आप सुधर जाते, जब पांच साल में मर्जर नहीं हो पाया उसके लिए एचआर पालिसी बनाने के लिए धर्माधिकारी साहब की रिपोर्ट आई और वह आपको 21



जनवरी, 2012 को सब्मिट हो गई। पिछले पांच महीने में इस सरकार ने क्या किया है? आपको इसका जवाब देना चाहिए।

महोदय, आपने स्टार एयरलाइंस में शामिल होने के लिए 2008 में 10 मिलियन डालर जमा किया है। आज भी आप स्टार एयरलाइंस के पार्टनर नहीं हैं तो 10 मिलियन डालर का कितना पैसा बर्बाद किया है, यह भी बताना चाहिए। आपने दो कंपनी बनाई हैं या बंनाने वाले हैं, एआईईसीएल और एआईएटीसीएल, मैं इस पर नहीं जाना चाहता लेकिन एम्पलाई का एयरलाइंस में लोगों का शेयर रेश्यो क्या होना चाहिए? आपके पास सरप्लस स्टाफ है। आपकी कंपनी 15000 लोगों के लिए कह रही है कि हम बैठा कर पैसा दे रहे हैं। 15000 लोग किन लोगों ने बनाए? किन लोगों ने अनावश्यक इन्वेस्टमेंट किया? किन लोगों ने एपाइंटमेंट किया? आपको इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए।

महोदय, डीजीसीए का काम यह नहीं है कि वह किसी एयरलाइंस की एंट्री रोके। डेक्कन एयरलाइंस आना चाहती है, आप उसे किस आधार पर रोकने का प्रयास कर रहे हैं? डीजीसीए की अथारिटी नहीं है। इसका जवाब मंत्री जी को देना चाहिए। आपने राज्य सभा में जो जवाब दिया है, वह मेरे पास है। आप सीएए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि डीजीसीए रोल को पूरा नहीं कर पा रहा है और आपने कह दिया कि मैं पूरे देश का सिविल एविएशन मिनिस्टर हूं, मैंने 300 से ऊपर स्लॉट दे दिया। आपको यह बताना चाहिए कि इसमें से कितने एयरलाइंस पटना, गया, हुगली और बंगलौर जा रहे हैं और ये किस तरह के हैं? बाइलेट्रस्ल के साथ इंडियन कैरियर को दिया है वह भी प्राफिट में नहीं है। आपके सामने किंगफिशर का उदाहरण है। कोई भी एयरलाइंस ऐसी नहीं है जो प्राफिट में है। उस दिन हमारे दोस्त शाहनवाज हुसैन जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि इसके मालिक कौन हैं और कहां से इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए क्योंकि आप 40 परसेंट एफडीआई ला रहे हैं। टाटा सिंगापुर एयरलाइंस को रोका था, आपको सारे मालिकों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

महोदय, सीएए की पालिसी कब तक आएगी? आप सुपर रेगुलेटर बनाने की बात कह रहे हैं, यह कब तक आएगा? आपको बताना चाहिए। अधीर साहब अभी यहां नहीं हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कितना करण्शन है। 490 बिलियन डालर का मार्किट होने वाली है, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड मार्किट में एमिशन होना है। 490 बिलियन डालर की मार्किट में आप कहां खड़े हैं? यह बताना चाहिए। उन्होंने डेवलपमेंट की बात कही, चीन की बात कही। मैं मानता हूं कि आप कह रहे हैं कि सरकारी एयरलाइंस ही ऐसे हैं जो प्राफिट में चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिंगापुर एयरलाइंस और चीन है। आपने एयरइंडिया को बेच दिया या जिसने भी बेचा, यह दूसरी बात है। आप नहीं चला पाए - "नाच न जाने आंगन टेढा" वाली

बात नहीं होनी चाहिए। आपकी खुद की गलती है और आप कहते हैं सरकार को यह काम नहीं करना चाहिए। चीन का विकास हुआ है, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण युवान प्रांत है। यह छोटी सी जगह थी, उन्होंने सोचा कि यहां फ्लोरकल्चर और हॉटीकल्चर किया जाए। आप एग्रीकल्चर मंत्री रह चुके हैं, आप ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं। उन्होंने वहां एयरपोर्ट बनाया, इन्वेस्टमेंट किया और टूरिज्म को प्रमोट किया और आज वह दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्किट है। क्या इस तरह की कोई योजना आपके पास है? मैं देवघर के लिए चिल्ला रहा हूं। शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा कहते हैं कि पटना एयरपोर्ट सबसे डेंजरस एयरपोर्ट है। अभी प्रहलाद जोशी जी हुगली एयरपोर्ट की बात कह रहे थे। आपके पास एयरपोर्ट, एविएशन विकास के लिए और पायलटों की हड़ताल के लिए कोई योजना है? क्या आपने अपनी गलती से सबक सीखने की कोशिश की है?

अंत में मैं कहूंगा कि हम सभी पोजीटिव आदमी हैं। उस दिन यशवंत सिन्हा जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, देश मजबूत है और देश में इतनी स्ट्रेंथ् है कि हम आगे बढ़ेंगे।

> हिम्मत वालों की हार नहीं होती लहरों से डरकर नैय्या पार नहीं होती असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।

यदि आप इस लाइन पर आप चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग आपके साथ होगा। लोगों का सहयोग आपके साथ होगा। आप करप्शन के लिए सीबीआई की इंक्वायरी सैटअप करें।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापित जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने की अनुमित दी है। मैं जानता हूँ कि पूरी चर्चा एविएशन सेक्टर के ऊपर है। लेकिन जब हम एविएशन सेक्टर पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो चिंता का विषय हमारे सामने आता है, वह हमारा एयर इण्डिया आता है।

एयर इण्डिया किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक सरकार का नहीं है। एयर इण्डिया हिंदुस्तान का है, नेशनल फ्लाइंग कैरियर है। ऐसे में अगर हम बातें करे तो एयर इण्डिया को कैसे बचाना है, इस संदर्भ में बातें करें।

मुझे याद आ रहा है कि मेरे ख्याल से गुरूदास जी उस समय राज्य सभा में थे हम लोगों ने नौ घंटे तक एयर इण्डिया पर चर्चा की थी। मेरे ख्याल से उस समय शरद यादव जी सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे। तब एयर इण्डिया प्रॉफिट में नहीं थी। सन् 2000 से लेकर 2004 तक के बीच का दौर छोड़ दें तो उससे पहले भी एयर इण्डिया लॉस में था और उसके बाद भी लॉस में है। यानि महाराजा ...(व्यवधान) श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): कितना जहाज था?

श्री संजय निरुपम: यादव जी, एक मिनट रूकिए। मज़ाक मत कीजिए, थोड़ा रूक जाइए। प्रारंभ से एयर इण्डिया को बचाने के संदर्भ में हर तरफ से चिंता व्यक्त की गई है। लेकिन सच यह है कि एयर इण्डिया क्रमशः कमज़ोर होती रही है। एक जमाना था कि जब बड़ा मुद्दा यह था कि फ्लीट साइज़ बहुत छोटी है। एनडीए के जमाने में एयरक्राफ्ट्स खरीदने के लिए बार-बार यह विषय निकल कर आया। लेकिन कभी निर्णय नहीं हो पाया। निर्णय आखिरकार यूपीए के जमाने में हुआ कि एयर इण्डिया के लिए एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाने चाहिए। आज अगर एयर इण्डिया की सबसे ज्यादा तकलीफ है, अगर 44 हजार करोड़ रूपये का घाटा दिख रहा है तो उसमें 22 हजार करोड़ रूपये का जो घाटा है, वह सीधे-सीधे एयरक्राफ्ट्स जो परचेज़ हुए, उसकी आउटस्टेंडिंग के तौर पर थी। जब फ्लीट साइज़ बढ़ाने की बात होती थी तब हमारे पास बहुत सारे रूट्स हुआ करते थे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. Do not disturb him.

... (*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम: रूको न सर, बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब फ्लीट साइज़ छोटी थी, हमारे पास एयरक्रफ्ट्स नहीं थे, तब बड़ी चिंता की बात यह थी कि रूट्स तो हैं, पूरी दुनिया में ऑपरेट्स कर सकते हैं।

<u>16.58 hrs</u> (Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

लेकिन हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो विमान हैं, वे 15-15, 20-20 साल पुराने विमान हैं। उनकी संख्या बहुत कम है तो फ्लीट साइज़ बढ़ाई जाए। फ्लीट साइज़ बढ़ाई गई। हमारे मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जैसे-जैसे एयर इण्डिया की फ्लीट साइज़ बढ़ती रहीं, वैसे-वैसे रूट साइज़ घट गए। जिस तरीके से बॉयलेट्रल साइन किए गए थे, वह बहुत सोची-समझी रणनीति का हिस्सा नहीं था। जल्दीबाजी में हुआ। जब हम बॉयलेट्रल साइन करते हैं तो हमारे पास उसे कैंसल करने का एक राइट होता है। आज जब एयरक्राफ्ट्स की संख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले सरकार से अपेक्षा करूंगा कि जिन रूट्स पर हमने दूसरी एयरलाइंस को ऑपरेट करने का परिमशन दिया, क्योंकि एयर इण्डिया हिंदुस्तान का नेशनल फ्लाइंग कैरियर होने के नाते बगैर उसके सिग्नेचर, बगैर उसकी सहमित के हम किसी भी दूसरी एयरलाइन को अपने यहां नहीं आने देते हैं। जो-जो रूट हमने दिया, जो प्राफिटेबल रूट्स हैं, उन रूट्स के ऊपर फिर से ऑपरेट्स करने की दिशा में काम शुरू होना चाहिए। तब एयर इण्डिया बचेगी। माननीय मंत्री जी को मेरा पहला सुझाव यह रहेगा।

दूसरा, बड़ा मुद्दा मरजर का है। दो एयरलाइन्स, दोनों लगभग लॉस मेंकिंग एयरलाइन थीं। इण्डियन एयरलाइन थोड़ी सी ठीक-ठाक कंडिशन में थी। दोनों का मरजर एक डिसीज़न था, सरकार का डिसीज़न था। जब सरकार का डिसीज़न होता है तो कोई एक सुबह उठ कर के ऐसे ही निर्णय नहीं ले लिया जाता है।



### 17.00 hrs

उसके ऊपर बाकायदा एक कमेटी बनी थी, अलग-अलग एक्सपर्ट्स बैठे, एक लंबी प्रक्रिया के बाद एक निर्णय लिया गया कि दोनों एयरलाइंस को अगर मर्ज किया जाए, तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। दुर्भाग्य यह है कि मर्जर से फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मर्जर हुआ ही नहीं। आज जो एयर इंडिया की स्ट्राइक है, उसके बुनियादी कारण में और कुछ नहीं मर्जर ही है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उस विषय को समझें और जड़ से उसको उखाड़कर खत्म करें। दो तरह के पायलट्स हैं, दो तरह की एयरलाइंस थीं, दोनों को आपने

मर्ज कर दिया, दो तरह के इंप्लाइज हैं, एक डोमेस्टिक सेक्टर में काम करने वाले इंप्लाइज हैं, एक इंटरनेशनल सेक्टर में काम करने वाले इंप्लाइज हैं। दो तरह के पायलट्स हैं, एक एयर बस उड़ाने वाले पायलट्स हैं, दूसरे बोइंग उड़ाने वाले पायलट्स हैं। मुद्दा सिर्फ इतना ही बना। अब इस स्ट्राइक के पीछे कौन लोग हैं, किसका निहित स्वार्थ है, किसकी साजिश है, यकीनन इसकी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: इसके पीछे कोई मंत्री है या नहीं, यह जांच कीजिये।

श्री संजय निरुपम: मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। दादा, कानून के आगे सभी बराबर हैं, अगर कोई मंत्री है, तो उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्यों ऐसी गलतफहमी में हैं?

MR. CHAIRMAN: No interruptions please.

श्री संजय निरुपम: दो अलग-अलग तरह के पायलट्स हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: संजय जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलिये।

श्री संजय निरुपम: महोदय, मैं तो आपकी तरफ देखकर ही, आपके माध्यम से ही सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं। दो अलग-अलग तरह के पायलट्स हैं। यह निर्णय हुआ कि जो बोइंग उड़ाने की ट्रेनिंग है, वह अब इंडियन एयर लाइंस के पायलट्स को देंगे। एयर इंडिया के पायलट्स का इस पर विरोध था। विरोध का दूसरा कारण इसी से जुड़ा हुआ है कि आने वाले दिनों में एयर इंडिया के पास 27 ड्रीम लाइनर एयरकाफ्ट्स आ रहे हैं। 27 ड्रीम लाइनर एयरकाफ्ट्स का मतलब, ये दुनिया में इस समय के अत्याधुनिक विमान हैं। ये विमान जब एयर इंडिया के पास होंगे और हिंदुस्तान के आकाश में उड़ेंगे, तो बड़ी-बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर्स की एयरलाइंस हैं, उनकी दुकान खतरे में आ जाएगी। सारे प्राइवेट एयर लाइंस वाले परेशान थे। अब सरकार की तरफ से क्या जल्दबाजी हुई, मैं उसके बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। एयर इंडिया वालों ने ऑब्जेक्शन लिया कि यह ट्रेनिंग आप इनको मत दीजिए, क्योंकि इसे उड़ाने का हक हमारा बनता है। आज एयर इंडिया के मैनेजमेंट में कौन से लोग ज्यादा हैं, मंत्री जी को जानकारी होगी। पूरे एयर

इंडिया के मैनेजमेंट को अगर कोई डोमिनेट करता है, तो इंडियन एयर लाइंस के लोग डोमिनेट करते हैं। एयर इंडिया के जो इंप्लाइज हैं, जो पायलट्स हैं, उन्हें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। किसी भी इंप्लाई को अगर ऐसा लगेगा तो फ्रिक्शन बढ़ते हैं, झगड़े बढ़ते हैं। जो एच.आर. पॉलिसी की बात होती है, इंडिस्ट्रियल रिलेशन की बात होती है, कहीं न कहीं खराब स्थिति में आ जाती है। एयर इंडिया के लोग मुंबई हाई कोर्ट में गये, मुंबई हाई कोर्ट ने स्टे दिया, इंडियन एयर लाइंस के लोग वापस स्टे वैकेट कराकर ले आये और उसके बाद इंडियन एयर लाइंस के इंप्लाइज को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। यहीं से लड़ाई शुक्त हुई। मुझे लगता है कि इसे थोड़ी देर के लिए टाला जा सकता था।

में यह नहीं बोल रहा हूं कि पायलट्स की स्ट्राइक सही है, यह सरासर गलत है, इल्लीगल है। अपनी बात मनवाने का एक तरीका होता है, लेकिन अगर उनकी बात नहीं सूनी गयी तो नहीं सूनने वाले लोग भी इसके लिए जवाबदार हैं। पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट एयर इंडिया के पास है। क्या एयर इंडिया के इंप्लाइज के साथ कई दौर की बातचीत नहीं की जा सकती थी? स्ट्राइक पर जाने की जो उन्होंने घोषणा की, उससे पहले इनसे बातचीत करके इस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता था। कहीं न कहीं मैनेजमेंट जानबूझकर के एक बायरख एप्रोच ले रहा था कि एयर इंडिया के पायलट्स को तंग करो। इनको एकदम दीवार तक टकराने के लिए भेज दो, लड़ाई होने दे और तब मेरा सवाल बनता है कि इस स्ट्राइक के पीछे क्या सिर्फ पायलटस हैं या कोई और भी लोग हैं? क्योंकि इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। एयर इंडिया का डिसइनवैस्टमैंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पिछले 15 वर्षों से इस विषय पर चर्चा हो रही है। एनडीए के जमाने में, दुबे जी ने सही कहा, पूरी सरकार लगी हुई थी कि जितने भी प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज़ हैं, उन्हें बेच डाला जाये। इन्हें बेच दिया, बाल्को से लेकर तमाम पीएसयूज़ को, आज जो डॉयल और मॉयल की बात सुना रहे हैं, उसकी बुनियाद में अगर कोई है तो एनडीए की सरकार का डिसीजन है, जब इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्राइवेटाइज करने का बिल पास किया था। उस बिल का विरोध करने के लिए एनडीए की तरफ से कोई अकेला आदमी खड़ा था तो मैं खड़ा था। मैंने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं। एयर इंडिया का डिसइनवैस्टमैंट होना चाहिए, ऐसा इन्होंने चाहा लेकिन हमने नहीं होने दिया। हम लड़ाई लड़ते रहे। ...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): मैं इसमें कुछ सुधार करना चाहता हूँ। आपने कहा कि अकेले आप खड़े हुए थे। एनडीए का सदस्य होने के नाते शिवसेना ने भी उसका विरोध किया था।

श्री संजय निरुपम: अनंत गीते जी ने बिल्कुल सही बात कही कि उस समय एनडीए का हिस्सा होने के नाते शिवसेना ने एयर इंडिया के डिसइनवैस्टमैंट का विरोध किया था और एयर इंडिया का डिसइनवैस्टमैंट

रुका, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिसइनवैस्टमैंट का विरोध शिवसेना ने नहीं किया था। मैं उस समय इनडिविज्अल लैवल पर लड़ रहा था। किसी ने उस समय सुना नहीं था। अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी के डिसइनवैस्टमैंट का विरोध करते तो आज डायल और मायल का घोटाला आपको नहीं दिखता। क्योंकि उस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी एक ऐसी पीएसय कंपनी थी जो 500 करोड़ रुपये के प्रॉफिट में थी। चार-पाँच जो बड़े एयरपोर्ट हैं दिल्ली और मुम्बई के, ये सारे के सारे एयरपोर्ट प्रॉफिट में थे। लगभग 149 एयरपोर्ट हमारे पास हैं। चार-पाँच एयरपोटर्स की बदौलत देश के सारे एयरपोर्ट चल रहे थे और आज इन्हीं एयरपोर्ट्स को प्राइवेट पार्टीज़ के हवाले कर दिया और जो लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स हैं, वे एयरपोर्ट अथॉररिटी के भरोसे छोड़ दिये गये। बड़ी समस्या यहाँ से निकलकर आई जिसको समझते नहीं हैं। मैं पायलट स्ट्राइक के बारे में अपनी बात आगे बड़ाता हूँ। मंत्री जी ने कहा कि मैं बात नहीं करूँगा, स्ट्राइक इल्लीगल है। कोर्ट ने कहा कि इल्लीगल स्ट्राइक है, They have no right to bgo on strike. मंत्री जी ने कहा कि पहले आप काम पर आओ, फिर बात करेंगे। भूमिका बिल्कुल सही है, लेकिन इतना रिजिड होकर सरकारें चलाई जा सकती हैं, प्रशासन चलाया जा सकता है, परन्तु मानवीयता के दृष्टकोण से सोचिये, 5000 पैसेन्जर्स मुम्बई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हफ्ते से पड़े हैं, उनका कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। समर सीज़न है, पीक सीज़न चल रहा है, विदेश जाने वाली तमाम एयरलाइन्स की फ्लाइट्स बुक हैं, ओवरबुक्ड हैं। उनके बारे में एयर इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ग्राउंड स्टाफ दिखते ही पैसेन्जर्स लिट्रली उनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। एयर इंडिया के स्टाफ को सी.आई. एस.एफ. का सहारा लेना पड़ रहा है। आपका डेली रेवेन्यू 40 करोड़ रुपये का था जो आज घटकर 25 करोड़ हो गया है। आप रोज़ 15 करोड़ रुपये के नुकसान में हैं। पता नहीं चल रहा है कि कब क्या होगा। ऐसे में मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप अखबारों में बयान देते हैं। टेलीविज़न वालों की तो आदत है कि कोई भी इश्यू हो तो घेर लेते हैं। उनके ट्रैप में आने के बजाय जितना जल्दी हो, स्ट्राइक तुड़वाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। यह देश के हित में होगा, एयर इंडिया के हित में होगा, हमारे देश की सवारियों और पैसेन्जर्स के हित में होगा। दुर्भाग्यवश यह नहीं हो रहा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: हम लोग मांग कर रहे हैं कि पायलट्स के साथ अनकंडीशनल डिसकशन शुरू करो। यह हमारी डिमांड है। It should be resolved. ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: गुरुदास दादा, आप ट्रेड यूनियन लीडर हैं और आपको पूरा हक है ट्रेड यूनियन लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने का। लेकिन मेरा कहना है कि इस प्रकार की जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति है,

जिसको हम सरल भाषा में 'दादागिरी' कहते हैं, यह दादागिरी भी नहीं चलेगी। आपको स्ट्राइक पर जाना है तो नोटिस दीजिए। अगर उनकी गलती है तो मैंने कहा कि मैनेजमैंट की भी गलती है। ...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: दादागिरी सरकार की भी नहीं चलेगी, दादागिरी मंत्री की भी नहीं चलेगी। ...(व्यवधान) श्री संजय निरुपम: मैंने कहा कि मैनेजमैंट की भी गलती है। आज इस समय 105 जनरल मैनेजर लैवल के ऑफिसर्स एयर इंडिया में हैं, 40 डायरैक्टर्स हैं, इतने सारे ऑफिसर्स बैठकर एक पायलट का विवाद सॉल्व नहीं कर सकते? क्या मजबूरी थी कि इस बात को इतना बिगड़ने दिया गया? धर्माधिकारी कमेटी की रिपोर्ट की बात करते हैं। धर्माधिकारी कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया आपको मालूम नहीं है क्योंकि अभी तक यह ऑफिशियल डोमेन में नहीं आया है। इन्होंने भी अपनी वैबसाइट पर नहीं डाला है, इन्होंने भी कोई एटीआर वगैरह नहीं दी है। लेकिन इसके इंप्लीमैंटेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको सिंगापुर भेजना था इंडियन एयरलाइन्स के पायलटस को ट्रेनिंग के लिए, तो ऐसी जल्दबाज़ी क्या थी? जब तक मई महीने के अंत में आपका पहले ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट आ जाएगा, और जब तक इंडियन एयरलाइन्स के पायलट नहीं सीखेंगे, तब तक एयर इंडिया के पायलटस तो उसको उड़ाने के लिए थे। वे तो उड़ा सकते थे। दो ज्यादा आ जाएंगे। वैसे भी आपके कौन से सारे एयरक्राफ्ट उड़ते रहते हैं, क्योंकि हमने सारे के सारे रूट्स गंवा दिए हैं। मेरा निवेदन यह है कि जितना जल्दी हो स्ट्राइक को तोड़ने की दिशा में सरकार की तरफ से कदम उठाया जाना चाहिए और पायलट्स की भी दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। बहुत साफ-साफ शब्दों में मैं अपनी बात रख रहा हूं। उन लोगों के साथ यदि कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय से लड़ने का एक तरीका है और उस लड़ाई में हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन एयर इंडिया क्रेन्याह करके, पैसेंजर्स को तबाह करके किसी भी प्रकार की लड़ाई का समर्थन हम नहीं कर सकते हैं।

आखिरी बात यह है कि सिविल एविएशन सैक्टर में एफडीआई एलाऊ किया गया है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे याद है कि एनडीए के ज़माने में हमारे देश में एक एयरलाइन आना चाह रही थी, टाटा-सिंगापुर एयरलाइन। 1475 करोड़ रुपए का एफडीआई वे लेकर आना चाह रहे थे। एनडीए के ज़माने के सारे मंत्री खड़े होकर बोले कि यह नहीं आना चाहिए और आज दूबे जी ने रैफरेन्स दिया कि हमारी उपलब्धि है कि टाटा-सिंगापुर एयरलाइन को हमने रोका। उस समय हमारे देश में जो प्रीमियर प्राइवेट एयरलाइन थी, उसमें गल्फ एयर की 25 परसेंट होल्डिंग थी और एमीराट्स की होल्डिंग थी। यानी बाकी प्राइवेट एयरलाइन्स चलेंगी एफडीआई के साथ, लेकिन एक टाटा वाले आना चाह रहे थे, इसलिए इसका विरोध हुआ और इस विरोध को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आज अगर प्राइवेट एयरलाइन्स खतरे में आयी

हैं, तकलीफ में आयी हैं तो उसका कारण यह है कि उनके पास फण्ड का क्रंच है। ऐसे में सरकार ने जो एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग की बात की है, एफडीआई एलाऊ किया है। यह सारे निर्णय आने वाले दिनों में एविएशन सेक्टर में प्राइवेट एयरलाइंस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनको सपोर्ट करने के साथ-साथ एयर इंडिया को सपोर्ट करना आवश्यक है। एयर इंडिया को जिस प्रकार से एटीएफ के लिए बाकी एयर लाइंस की तरह विदेश से ऑयल इम्पोर्ट करने की परमीशन दी गई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में एयर इंडिया को बचाने के लिए, एयर इंडिया का महाराजा और सुखी हो, और बड़ा बने। हमारा झण्डा पूरी दुनिया में बुलन्द हो, इस दिशा में सरकार की तरफ से क़दम उठाए जाएं।

सभापति महोदय: संजय जी, आपने दादागिरी शब्द का इस्तेमाल किया। मुम्बई की दादागिरी और कोलकाता की दादागिरी दोनों अलग-अलग हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापित महोदय, योगी जी कह रहे हैं कि अब सच्चे शिव सैनिक बोल रहे हैं। लेकिन मुझ से पूर्व जो बोले वह उनमें से शिव सैनिक ही बोल रहा था...(<u>व्यवधान</u>) उनमें जो शिव सैनिक था, वही बोल रहा था।...(व्यवधान)

महोदय, नये मंत्री जी ने सिविल एवीएशन मिनिस्ट्री को सम्भाला है। वह नये मंत्री बने हैं, इसिलए उनका अभिनंदन तो करना ही है। लेकिन गलत विभाग के मंत्री बने हैं।...(व्यवधान) शैलेन्द्र जी ने कहा कि जब सारा चमन लुट चुका है, तब बने।...(व्यवधान) मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन मंत्री जी के वक्तव्यों को लेकर यह सारा सदन सुबह से उत्तेजित है।

महोदय, एयर इंडिया पर सारे देशवासियों को गर्व है। लेकिन समय-समय पर सरकार ने जो गलत निर्णय लिए, सरकार के उन गलत निर्णयों की वजह से आज एयर इंडिया की हालत बदतर हो चुकी है। एक ज़माने में जो महाराजा था, वह आज भिखारी हो चुका है।...(व्यवधान) ये शत्रुघ्न सिन्हा जी की लाइन है। ...(व्यवधान) एयर इंडिया का जो महाराजा था, वह गगन का, आसमान का महाराजा था। वह धरती पर कोई जुल्म नहीं करता था तो उस महाराजा और इस महाराजा में काफी अन्तर है।

. CHAIRMAN: Please, no cross talking.

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापित जी, सबसे पहले सरकार ने या मिनिस्ट्री ने यह मर्जर का जो निर्णय किया, यह सबसे बड़ी गलती हुई। वास्तविकता में मर्जर हुआ ही नहीं, आज भी नहीं है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दो अलग-अलग कंपिनयां हैं। एक डोमेस्टिक एयरलाइन चलाती थी, एक इंटरनेशनल एयरलाइन चलाती थीं। उनके काम करने का वर्क कल्चर बिल्कुल ही अलग था।

वास्तव में, मर्जर क्यों करना पड़ा, यह भी एक विश्लेषण का विषय है। ये जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, वे मर्जर नहीं चाहते थे। उनकी यह मांग नहीं थी। ये अलग-अलग कंपनियां थीं जैसे एमटीएनएल है, बीएसएनएल है जो दूरसंचार में ये दो कंपनियां चल रही हैं। एमटीएनएल महानगरों को रिप्रेजेंट कर रही है और जो बचा हुआ भारत है, उसको बीएसएनएल रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों कंपनियां अपनी तरह से सही दिशा में जा रही हैं।

यह जो मर्जर की बात है, यह सबसे बड़ी गलती हुई और जिन्होंने यह गलती की, वे आज जवाब देने के लिए सदन में नहीं हैं। आज जो मंत्री हैं, उन्हें सदन में जवाब देना है। ये जो गलतियां हुई हैं, जो-जो निर्णय हुए हैं, वे पिछले मंत्री के कार्यकाल में हुए हैं। मुझे किसी का नाम नहीं लेना है। सारा सदन जानता है, देश जानता है कि इनके पूर्व मंत्री कौन थे। ये उनके उत्तराधिकारी हैं। ...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): ये एडॉप्टेड उत्तराधिकारी हैं, स्वाभाविक नहीं।

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, जिनके काल में ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं हुईं, वे आज यहां पर उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं हैं, न उनकी जिम्मेदारी है और अजीत सिंह जी, जो आज मंत्री हैं, उन्हें इसका उत्तर देना है।

सभापित जी, आज भी इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कर्मचारी हैं। इनमें सीधे-सीधे दो गुट हैं। जो संजय निरूपम जी ने कहा कि यह मानसिकता है कि एयर इंडिया के ऊपर रौब जमाने का काम इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारी कर रहे हैं और इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों के दबाव में या उनके इशारे पर मंत्रालय, मंत्री जी काम कर रहे हैं।

सभापित जी, मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन, मैं कहूंगा कि एक अधिकारी थे जिन्हें उनके पद से हटाया गया था। पूर्व में जो इस कंपनी के सी.एम.डी. थे, उन्होंने हटाया था। उन्होंने किस कारण से उन्हें हटाया था, मुझे उसके डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन उनको हटाया गया। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मुझे पता नहीं, पर मैंग्लोर में हवाई जहाज का जो एक्सीडेंट हुआ, जो रन-वे से आगे निकल गया था, उसके बाद एयरलाइन के बारे में जनता के बीच में बहुत नाराज़गी हुई और कुछ ही दिनों बाद सारे पायलटों ने स्ट्राइक की। उस स्ट्राइक में भी हमारी जो एयर इंडिया की, इंडियन एयरलाइंस की साख थी, वह गिर गई, खत्म हो गई। उसके बाद सी.एम.डी. को हटाया गया, नये सी.एम.डी. आये। मुझे उनके बारे में यहां पर कुछ नहीं कहना है, किसी अधिकारी के बारे में भी मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिस सी.एम.डी. ने एक अधिकारी को अपने पद से हटाया था, नये सी.एम.डी. आये, उन्होंने उस अधिकारी को फिर सम्मान से अन्दर ले लिया और आज ऐसा चल रहा है कि उन्हों के कहने पर सब कुछ हो रहा है। आज एयर इंडिया की जो स्थिति क्या हो रहा है और जवाब मंत्री जी को देना है, वह अधिकारी यहां पर नहीं आयेगा, जिसकी वजह से...(व्यवधान) मैं दे दूंगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: गीते जी, अब कन्क्लूड करिये।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मैं कन्क्लूड करुंगा, सभापित जी। एयर इंडिया के प्रति भारतवासियों को गर्व है, हमें बिल्कुल इस एयर इंडिया के प्रति आदर है। हम चाहते हैं कि एयर इंडिया जीवित रहे। एयर इंडिया और तरक्की करे, जो आज घाटे में है, वह मुनाफे में, प्रोफिट में आये और इसलिए मंत्री जी को इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

संजय निरुपम जी कह रहे थे कि हमने 118 नये हवाई जहाज खरीदे। 118 हवाई जहाज दुनिया में किसी भी देश की कोई एयरलाइंस ऐसी नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जिसने एक साथ इतने अपने हवाई जहाज खरीदे हों। सारे देशों की कम्पनियां हवाई जहाज लीज़ पर चलाती हैं, भाड़े पर चलाती हैं। एक साथ क्यों इतने हवाई जहाज खरीदे, इस बात की जांच करने की आवश्यकता है। जब हवाई जहाज खरीदे, तब भी यह कम्पनी घाटे में थी। मतलब, जब आपकी घाटे में कम्पनी चल रही थी, तब 38 हजार करोड़ रुपये के आपने हवाई जहाज खरीदे, जिसका ब्याज देते-देते यह कम्पनी डूब रही है। आज चाहे कम्पनी डूब रही है...(व्यवधान) वह तो बराबर है, 81 हवाई जहाज आ चुके हैं, लेकिन सचमुच हमें हवाई जहाज खरीदने की आवश्यकता थी क्या? एक सवाल उस समय सदन में प्रश्नकाल में आया था और तत्कालीन जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तब उन्होंने यह उत्तर दिया था कि इसमें कोई गलत बात नहीं हुई है, कोई गलत काम नहीं हुआ है। यह जो निर्णय हुआ है, वह केबिनेट की मंजूरी देने के बाद हुआ है। मतलब केबिनेट ने एप्रवल दिया है, लेकिन जिस केबिनेट ने इसे एप्रवल दिया, क्या वह केबिनेट इस बात से अवगत नहीं थी कि यह कम्पनी घाटे में है, इतने हवाई जहाज खरीदने के बाद इसका ब्याज भी यह कम्पनी नहीं दे पाएगी। आज ब्याज भी कम्पनी नहीं दे पा रही है और इस वजह से आज कम्पनी की हालत यह है कि 6-6 महीने का कर्मचारियों का वेतन भी कम्पनी नहीं दे पा रही है, कर्मचारियों की पगार नहीं दे पा रही है और जो कम्पनी 6-6 महीने से कर्मचारियों की पगार नहीं दे पा रही है, वे कर्मचारी चाहे पायलट हों या कोई भी कर्मचारी हों, वे यदि कोई स्ट्राइक करते हैं या कोई मांग करते हैं तो कम्पनी को किस प्रकार से उनसे व्यवहार करना चाहिए, वह करने से पहले अपने आपमें झांक कर देखिये कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभा रहे हैं, क्या हम समय पर कर्मचारियों को वेतन दे पा रहे हैं? 6-6 महीने से जब आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी कर्मचारी ईमानदारी से एयर इंडिया को जिंदा रखने में सहयोगी हो रहे हैं, उनकी बदौलत ही आज एयर इंडिया जीवित है। मैं यहां किसी स्ट्राइक का समर्थन करने के लिए नहीं खड़ा हूं। इसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा। ...(व्यवधान) वास्तविकता में किसी भी कर्मचारी को स्ट्राइक करने की नौबत न आये। यदि हम उससे सीधे बात करें, हम उससे चर्चा करें तो मैं आज आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप अड़े मत रहिये, यह सवाल केवल पायलट्स का नहीं है, जो



हजारों यात्री हैं, उनसे जुड़ा हुआ यह मामला है। इसीलिए आप किसी भी बात पर अड़े मत रहिये। इस स्ट्राइक को खत्म करने के लिए आप तुरन्त कदम उठाइये। कोई बात कंडीशनल न रहे, आप तुरन्त उनसे बात कीजिये, अनकंडीशनल डिस्कशन कीजिये, कोई कंडीशन की बात न हो, अनकंडीशनल डिस्कशन करें।

आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि वे हमारे देश के पायलट्स हैं...(व्यवधान) हम करा देंगे, आवश्यकता पड़ी तो इस विवाद के अंदर हम मध्यस्थता करेंगे। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप कांक्ल्यूड करिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, इसलिए यह जो विवाद है, इसकी जड़ में जाने की आवश्यकता है। मंत्री जो को इस पूरे एयरलाइंस को, एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए आज जो भी स्थिति है, सबसे पहले उस स्थिति को समझने की आवश्यकता है। जो मर्जर आपने किया है, वह मर्जर वास्तविकता में नहीं हुआ है। इसलिए आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के संबंध में कहना चाहता हूं, संजय निरूपम जी ने सही कहा कि यह प्रॉफिट में चलने वाली हमारी अथॉरिटी थी, जिसका प्राइवेटाइजेशन हुआ। ...(व्यवधान) यह प्रॉफिट मेंकिंग थी, आज भी है। जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, कितने घोटाले हुए, इसकी जांच आप जरूर करिए, लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी आज भी अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर जुल्म ढहाया जा रहा है, उनके ऊपर प्राइवेटाइजेशन के बाद अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। हमारे जो फायर फाइटर्स हैं, यह सबसे अत्यावश्यक सेवा है। आज उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, इसकी जांच मंत्री जी करायें। सभापति जी, जो हमारी प्रापर्टीज हैं, तीस हजार करोड़ रूपए का रिवाइवल पैकेज सरकार ने इस कंपनी को बचाने के लिए डिक्लेयर किया, लेकिन हमारे पास, अथॉरिटी के पास, मिनिस्ट्री के पास इतनी वैल्युएबल प्रापर्टी है, जिसका लाभ प्राइवेट पार्टीज उठा रही हैं और सरकार केवल देखने का काम कर रही है।

सभापित जी, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मैनेजमेंट जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रही है, चाहे वह पायलट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे वह इंजीनियर हो, सारे कर्मचारियों के साथ मैनेजमेंट की ओर से जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आप उसे रोकेंगे, तो आपका एयर इंडिया निश्चित रूप से मुनाफे में आएगा।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to participate in this important discussion concerning our national carrier, Air India.

Sir, I am very sorry to state that every time the Government had to infuse the public money for the revival of Air India as the amount of loss had been accumulating over the years. There is an outcry on this issue.

The consortium of banks has done its bit to rescue Air India. The Government has sewn together a Rs. 30,000 crore bail out plan for the airline, but this alone is insufficient to revive the ailing Air India. The airline can overcome its existential crisis, but it is now almost entirely up to its management and staff. Air India has not been known for good management practices. This national carrier should function on sound, independent and commercial lines to overcome its financial crisis. The employees, especially the highly paid pilots, have often held the airline and its passengers to ransom through strikes, protests and by reporting sick. If Air India pays attention to three factors such as industrial relations, customer relations and quality of service to passengers, it would help Air India to get back traffic and generate the revenue to recoup the airline. From a market share of over 60 per cent — even when the aviation sector was opened to private competition — to just about 17 per cent now, Air India has managed to steadily lose out on its passenger and cargo traffic over the years.

There is an urgent need to translate Air India to a profit-making company. It is no doubt to achieve this objective, there is also an urgent need to restructure the management of Air India. The prime and important step in this direction would be to infuse professionalism in Air India. There is a feeling among the employees of Air India that their services are not fully exploited and their vast experience in Air India is not encased by the management of Air India. Many services in Air India are outsourced and they are not up to the mark. Therefore, the Government needs to think on it very seriously.

To acclaim international status of Air India, the Star Alliance grouping was necessary. However, Air India has failed to obtain the same. A statement from Star Alliance said that: "Air India is yet to meet the conditions that were contractually agreed upon in late 2007, when the airline was extended an invitation to join the grouping, a move that would have meant an increase in passenger traffic because the airline would have become the automatic choice for customers on other Star Alliance members that travel to India. This is due to the fact that Air India has not met the minimum joining conditions that were contractually agreed upon in December 2007." Air India had paid Rs. 62 crore as joining fee to the alliance. It has also spent money besides this as part of the project, a key element of its turnaround. This includes amounts spent on branding, lounges and on a system to integrate its two codes that cost Rs. 836 crore.

Another thing, which I would like to bring to the notice of the Government, is that the Air India has not been using fully its eligible international routes. In Europe, Air India carriers use less than 10 per cent of the allowed capacity, leaving up to 90 per cent of the market share to foreign carriers. Even, Air India has not been operating to many destinations across the world. Even, many profit routes are not even touched. Therefore, I urge upon the Government to take note of the above to bring the national carrier to a profit-making company in the days to come and reduce the burden of the Government on Air India.

MR. CHAIRMAN: Thank you Shri R. Thamaraiselvan. The next speaker is Shri S. Semmalai.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity for taking part in the discussion under Rule 193 on an important subject, namely, on the need to bring comprehensive policy changes in the Civil Aviation sector moved by Shri Gurudas Dasgupta and Shri Syed Shahnawaz Hussain.

Air India has always been in the news, every alternative week, for the wrong reasons. The mounting losses; frequent strikes by pilots; poor passenger services; mismanagement; and corruption are some of the features that we find the media flashing quite often.

Why is the national carrier not able to pull out of the red in spite of full support from the Government? Air India was all right before the merger and it was functioning well. It was a profit-making venture. It is only after the merger that the financial and other related problems started. As we all know, the Parliamentary Committee termed the merger of Air India and Indian Airlines as ill-timed. The Committee on Estimates has also stated that vested interests are sucking the airline dry. We know that our hon. Minister is an able Minister and a tough task is before him. I hope that he will succeed and tackle the crucial situation with ease.

Air India is expected to make a loss of Rs. 7,853 crore in 2011-2012, and the national carrier has an outstanding loan and dues to the tune of Rs. 67,520 crore. Corruption and mismanagement are two factors affecting the national carrier. Air India has more staff than what is actually needed. Their annual wage bill is Rs. 3,100 crore. It is a matter of regret that on any given day, I mean, per day, Rs. 7 crore is to be set apart to pay interest on the loans. What is most worrisome is, as the august House knows, salaries are not being paid regularly to the staff members.

One cannot understand why Air India management is issuing flying rights to private foreign companies on routes where Air India could have really earned well. For instance, the flight on Kozhikode-Doha-Bahrain route was withdrawn by Air India some time back. It is one of the most profitable routes. Now, a private

airway has started operating on this route. May I ask Air India whether it is not the height of mismanagement? Why should Air India allow private airlines to make profits at its cost? Even the working schedule of Air India is not without adverse effects. Each pilot has to perform 90 hours of flying per month. But our pilots are flying on an average 49 to 53 hours only. An aircraft has to be utilized for 16 hours on an average per day, but look at our performance. Our aircraft is being utilized for nine to ten hours only. Why is this so? What is wrong with our managerial system?

The Air India management and the staff have to rethink and act wisely otherwise, the time is not far off, I fear, when the national carrier will become a private asset. The management should not turn a blind eye to minor grievances of staff and the grievances should not pile up. Given a strong sense of dedicated participation, Air India may perform. Who will listen to what we say? Things are moving, as if Air India is nobody's property. Only when you put your heart and head together, I mean if the management and the staff work hard and sincerely, Air India's suffering story would come to an end.

Please permit me to give an example of the reckless services offered by our national carrier. Air India operates a daily morning flight from Chennai to New Delhi. The flight No. 440 leaves at 6.40 a.m. Mostly officers, lawyers attending the Supreme Court and MPs prefer to board this flight from Chennai. Though Delhi is our National Capital, there is no direct flight service from Chennai at this hour, and this flight comes to Chennai from Dubai, and the same is diverted to Delhi. This flight always lands at Chennai Airport beyond the scheduled arrival time and it is always late. Sometimes, the delay stretches to two hours and the passengers from Chennai are highly inconvenienced by that. Due to the delayed arrival of this flight, passengers are compelled to opt for private airlines. This illustration clearly shows how Air India loses its passengers and incurs losses.

I would, therefore, request the hon. Minister to operate a direct flight from Chennai to Delhi at 6.40 a.m., instead of diverting the fight from Dubai.

Sir, my last point is about expansion work at the Chennai Airport. The Chennai Airport expansion work is going on and it is not completed yet. However, the Chennai Airport Authority is collecting toll charges not only from the parked vehicles but also from the dropped vehicles. I feel that only on completion of the expansion work, the toll charges should be collected and that too only from the owners of the parked vehicles. Collecting toll charges in the middle of the expansion work is neither fair nor justifiable.

I would request the hon. Minister to instruct the Chennai Airport Authorities to keep in abeyance the collection of toll charges from the vehicle owners till the work is fully completed.

MR. CHAIRMAN: You were very cautious in choosing your words.



श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब): सभापित महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमित दी। वैसे मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं। मंत्री जी के बारे में हम सबकी बड़ी अच्छी राय है। ये हम लोगों के दोस्त हैं। हम यह भी जानते हैं कि मंत्री जी इस विभाग में नए-नए आए हैं। जब इनका इस विभाग में आना हुआ, तब तक इस विभाग में तख्ती लग चुकी थी कि बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इससे पहले यहां चर्चा में हमारे मित्रगण बार-बार कह रहे थे, बहुत बिढ़या चर्चा हुई, निशिकांत दुबे जी ने काफी अच्छा कहा, हमारे भाई संजय निरुपम जी, गीते जी ने बहुत बिढ़या बोला।

मैं सदन का बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं रिपिटेटिव नहीं होना चाहता। गुरुदास दासगुप्ता जी बहुत जबरदस्त हैं, इन्हें सुनना हमेशा ट्रीट जैसा रहता है, बहुत बढ़िया अनुभव रहता है।...(व्यवधान) शहनवाज जी तो अपने ही हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: शत्रुघ्न जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: मैं जोशी जी की जगह से बोल रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि चारों तरफ देखना पड़ता है।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि यहां कई बार जिक्र हुआ कि महाराजा भिक्षुक हो गया, महाराजा भिखारी हो गया। मुझे कोट किया गया। मैंने इसी सदन में सबसे पहले कहा था, लेकिन बहुत दुख से कहा था, बहुत दर्द के साथ कहा था। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं, चंद लोग जो सबसे ज्यादा विमान से देश और विदेश में घूमते हैं या जाते हैं, उनमें से एक नाम आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू का भी होगा। मैं आज से नहीं, शुरू से ही देश-विदेश जाता रहा हूं। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे एयर इंडिया से बहुत लगाव रहा है, क्योंकि एयर इंडिया मेरी पहली च्वाइस थी, बीच की च्वाइस थी। एयर इंडिया मेरी हमेशा की पहली च्वाइस रहेगी। एयर इंडिया चाहे अच्छा हो या बुरा, इसकी चाहे जो भी हालत हुई है, यह अपने देश का है। एयर इंडिया से भारतवर्ष की आन, बान और शान जुड़ी हुई है। वह चाहे जैसा भी हो, उसके लिए हमे भी चिन्ता रहेगी। एयर इंडिया के लिए हमेशा फख रहेगा, हमारे दिल में जगह रहेगी।

मैं देख रहा हूं कि जब भिक्षुक वाली बात आई, मैं फाइनैंशियल लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी क्वालिटी, परफामैंस को सालों से देखता आया हूं। यही हवाई जहाज चाहे फर्स्ट क्लास हो, बिजनस क्लास हो या इकोनॉमी क्लास हो, जहां उन लोगों का पहले अच्छा बिहेवियर था और कर्टिसी थी, वहां बाद में यह भी देखा गया कि अखबार तक नहीं मिल रहा, अखबारों में भी घोटाला हो रहा है। फॉरेन में अखबार हटा लिए जाते हैं। पैसेंजर्स के लिए अखबार नहीं है। आपने भी देखा होगा, हरी मिर्ची तक नहीं मिलती थी।

चिनिया बादाम जिसे मूंगफली कहते हैं, मुम्बई में सिंह दाना कहते हैं, वह भी एवेलेबल नहीं होती थी। खाने की क्वालिटी आदि सब कुछ खराब होता गया। वह फिसलते-फिसलते फाइनैंशियली या क्वालिटी हर मामले में आज नोज़ डाइव कर चुका है। इसलिए मैंने कहा कि महाराजा अब भिक्षुक हो चुका है। इसके लिए सिर्फ विभाग के ऊपर या मंत्री महोदय के ऊपर ही दोष न दिया जाए। मंत्री महोदय, आप तो मित्र हैं, मैं जब सरकार की बात करता हूं तो उस विभाग में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, टैक्नोक्रेट्स होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में शुरू से देखा है कि वहां एक अपनी लॉबी है जो हमेशा आईएएस को ही प्रमोट करती है। अपने सीनियर या अनुभवी लोगों को छोड़कर हमेशा आईएएस को उनके ऊपर लाकर डालती है तािक उनके तहत खास-खास बातें हों।

हमारे भाई संजय निरुपम जी ने जिन खास बातों का जिक्र किया कि कमेटी बैठी, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लिए गए और एक्सपटर्स ओपिनियन लेने के बाद एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को मर्ज किया गया। क्यों मर्ज किया गया? I do not know whether it is in the larger interests of the Airlines or in the larger interests of some other people. किसके लिए किया गया? जब वर्क कल्चर अलग, सैलरी अलग, कभी पेंटिंग हो रही है, कभी वहां कपड़े बदले जा रहे हैं, कभी इंटीरियर डैकोरेशन किया जा रहा है यानी क्या तमाशा, क्या ड्रामा होता रहा। इतने हवाई जहाज खरीद लिए गए। कितने हवाई जहाज आए और जितने आए, उनका इस्तेमाल क्या हुआ? पड़े-पड़े जंग लगते रहे, म्यूजियम में डाल दिया गया, हैंगर में खड़े हैं जैसे शाहनवाज हुसैन भाई कह रहे हैं। उनके लोगों की ट्रेनिंग का क्या हुआ? मैं इतने सालों से समिति में रहा हूं। मै एविएशन समिति में हूं। हमारे भाई निशिकांत दूबे जी जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, उस रिपोर्ट में हमारी सहभागिता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिर क्या करें? मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता हूं। हमारे यहां बिहार-झारखण्ड में एक पुरानी कहावत है कि ताली कप्तान को, तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली कप्तान को मिलती है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो लोकतांत्रिक तरीके से गाली भी कप्तान को ही मिलेगी। आपकी जय-जय होगी, तो आपकी शिकायत भी होगी क्योंकि आप कप्तान हैं। मैं अजीत सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, आपसे मुझे बहुत लगाव है, लेकिन में मिनिस्टर की बात कह रहा हूं। आपसे पहले वाले मिनिस्टर भिट्ट्यारे दोस्त रहे हैं। इस बात की जांच-पड़ताल बहुत जरूरी है कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? किनकी सेहभागिता मिलीभगत है, किन कारणों से ये सब किया गया है, इसके पीछे क्या घोटाला है? आखिर इसकी सही जांच-पड़ताल होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ...(व्यवधान) हालांकि सीबीआई मेरी नजरों में होली काऊ नहीं है, लेकिन आज के दिन अभी भी बेस्ट काऊ है। आखिर वह इसकी जांच-पड़ताल

करे।...(व्यवधान) एमपीज का ग्रुप करे। इसकी थॉरो इनवेस्टीगेशन होनी चाहिए। ...(व्यवधान) जेपीसी हो या फिर सीबीआई हो, लेकिन इसकी जांच गहन होनी चाहिए। इसमें बहुत गड़बड़ हुई है, बहुत घोटाला हुआ है, बहुत लोग इसमें शामिल हैं, कोई एक आदमी नहीं है। अभी मंत्री जी सामने बैठे हैं, उनका स्टाफ बैठा हुआ है, हमारे विष्ठ पदाधिकारी यहां बैठे हुए हैं, इनके सामने एक बार नहीं कई बार मैंने यह बात उठाई है, कमेटी में यह बात उठाई है कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना देश का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना गया है। हमने नहीं कहा है, अखबारों ने कहा है, इनका विभाग मानता है। देश का सबसे छोटा रनवे पटना का है।...(व्यवधान) डायनामाइट पर बैठा हुआ एयरपोर्ट है, वहां किसी दिन कुछ भी हो सकता है। ऐसा हादसा और घटना घट सकती है, कोई केटास्ट्रॉफी हो सकती है। वहां पर उसका विस्तार नहीं हो रहा है केन्द्र और प्रदेश की तू-तू मैं-मैं में। हवाई अड़डे को हटाने की बात हो रही है, कब हटेगा? कब नौ मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। अभी उसको ठीक क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर रेलवे अलाइनमेंट नहीं हट सकता है, तो कम से कम एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से बात करके, पेड़-पौधों को काटकर, उस जंगल को क्लियर करके, हम उसी एयरपोर्ट को और चुस्त-दुरुस्त करें। वहां एयरोब्रिज नहीं है। वहां बैठने का इंतजाम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मंत्री जी आप इस पर ध्यान दें।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं सदन को बता दूं कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी-कभी कुछ मजबूरी हो जाती है।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: मैं यहां बहुत से शेरो-शायरी सुन चुका हूं। हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन ने ही कहा था कि तू इधर उधर की न बात कर, यह बता कारवां क्यों लुटा। मुझे राहबरों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। उधर से इसका जवाब आया था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मेरा शौक तो देख, इंतजार तो देख। इसलिए आज में कहना चाहता हूं कि इसकी गहन जांच हो, चाहे सीबीआई करे, जेपीसी करे, इसके बारे में आप फैसला करें। इन सारे घोटालों की जांच हो। इसके साथ ही पायलट्स की स्ट्राइक है। ये पायलट्स भी हमारे अपने हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। जब तक कारण पर रोशनी नहीं डालेंगे, उसका निवारण नहीं हो सकता है। हमें उनका वर्ज़न जानने का पूरा अधिकार है। अभी सिर्फ सरकारी वर्ज़न सुन रहे हैं, हम एयर इंडिया का वर्ज़न सुन रहे हैं। हमारे घर के अपने पायलट्स हैं, इतने अच्छे पायलट्स हैं, वर्ल्ड के बेस्ट पायलट्स हैं। आखिर उनका दर्द क्या है और उनके दर्द का निवारण क्यों नहीं कर रहे हैं? बातचीत के जिरए उन्हें सीने से क्यों नहीं लगा रहे हैं? हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, हमारा व्यापार खराब हो रहा है, हमारी इकोनोमिक प्रोग्रेस कम हो रही है। मैं पायलट्स की स्ट्राइक का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पायलट्स की बात को समझ रहा हूं और हम चाहते हैं कि आप भी समझें, उन्हें मनाएं और

उनको सामने लाएं, काम शुरू कराएं, देश की प्रगति हो।...(<u>व्यवधान</u>) पायलट्स की स्ट्राइक खत्म करने के बाद आपका संकल्प यह होना चाहिए :

"जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीं हमने, आगे और सारा आसमां बाकी है।"

Long live Air India! Long live India!

सभापति महोदय: शत्रुघ्न जी,

सितारों से आगे जहान् और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान् और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमान् और भी हैं।।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion. I would not go into the details.

As far as Air India is concerned, Kerala is a very important State. Air India is totally dependent upon Kerala sector. Air India is earning a huge amount of money from the Kerala-Gulf sector. There are a lot of flights operating between Kerala and the Gulf. Unfortunately passengers who travel between Kerala and the Gulf countries are facing very serious problems. There is a reservation problem. There is a timing problem. Flight schedules is also a very big problem in this sector.

People from Kerala who work in the Gulf countries travel home during vacation time. If they do not get right flight connectivity to the Gulf countries, they cannot reach in time to join their work and they end up losing their jobs. This is happening quite frequently. Air India is unnecessarily canceling scheduled flights from Kerala to Gulf countries at the three international airports in Kerala – the Trivandrum airport, Kochi airport, and Kozhikode airport.

During summer vacation time and festival time, Air India is increasing the airfare without advance notice. During the vacation time and festival time, poor workers engaged in jobs in the Gulf countries travel to Kerala along with their children. At that time Air India is unnecessarily increasing the airfare, not by a hundred rupees or a thousand rupees, but by more than five thousand rupees to fifteen thousand rupees.

Ninety per cent of the workers are casual workers, building workers, housemaids, etc., and those poor people are being looted by Air India. We have been raising this issue in this House from time to time. All MPs from Kerala are getting calls from Keralites living in Gulf countries with regard to this problem of Air India increasing fares and canceling flights. This is a very important issue. I

hope the hon. Minister Shri Ajit Singhji will do something for the passengers of the Kerala and the Gulf sector.

There are many issues relating to the Civil Aviation Ministry like the international airports at Trivandrum, Kochi and Kozhikode, but I do not want to go into all the details. There is a proposal for new airport in Kerala at Kannur. That has not so far materialized. There is also a proposal for another new airport at Aranmula. These two airports are very important. I hope that the DGCA would give clearance for these two airports.



श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापित महोदय, हमारे नये मिनिस्टर साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर गलत जगह चले गये हैं। अभी जहाज तो डूब रहा है, उस पर सांप चढ़ा है, वह बाहर कैसे आयेगा, यह देखने की जरुरत है। जहां तक मर्जर की बात है तो मर्जर करते समय इन्होंने एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट को लगा लिया। उसने एक रिपोर्ट दी कि इन दोनों के मर्जर करने से प्रौफिट होगा। कैबिनेट में अप्रूव होने के बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने जितना प्रौफिट कहा था उससे उल्टा हो गया। एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट को सामने रखकर घोटाला हुआ है, इसमें यह क्लीयरकट पता चल रहा है। इसकी जांच होने की आवश्यकता है। जब मर्जर हुआ तो सिस्टम का इंटिग्रेशन बिल्कुल नहीं हुआ, सैलरी स्ट्रक्चर का इंटिग्रेशन बिल्कुल नहीं हुआ, स्टाफ का इंटिग्रेशन बिल्कुल नहीं हुआ है। सैलरी का सिस्टम डिवेलप न होने की वजह से यह समस्या आई है। इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी सरकार की है।

सभापित जी, यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं और आपका नाम अंतर्राष्ट्रीय मार्किट में खराब हो रहा है। इस समस्या को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जहां तक न्यू परचेजिंग की बात है तो बहुत जल्दबाजी में उस समय के मिनिस्टर साहब ने क्यों 118 एयरक्राफ्ट को एक बार में ही खरीदा। उतना खरीदने की क्या जरुरत थी? उस समय जो एयरक्राफ्ट्स लीज पर लिये थे, उन्हें ये लोग चला नहीं पाये और सालों-साल उसके लिए भुगतान करते रहे। उसकी भी जांच होनी चाहिए।

अभी माननीय दूबे साहब ने एक फिगर बताई, मैं उसे करैक्ट करना चाहता हूं। टेंडिएंग के समय में जो प्रपोजल दिया था वह 2950 करोड़ का प्रोजैक्ट था। यह प्रोजैक्ट रिकार्ड में भी है। यह प्रोजैक्ट रिवाइज्ड होकर 8500 करोड़ का सैकिंड रिविजन में किया गया। जब तीसरा रिविजन हुआ तो वह 12900 करोड़ रुपये का हुआ। करीब-करीब 10,000 करोड़ रुपये इस प्रोजैक्ट में अधिक दिया गया है। तीन हजार का प्रोजैक्ट तैरह हजार का कैसे बन गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यह प्रोजैक्ट 10,000 करोड़ रुपये कैसे ज्यादा हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी हैं? जो प्रोजैक्ट बन रहा हो, वह लेना चाहिए लेकिन उसमें 26 परसेंट एवीएशन का शेयर है। एवीएशन का शेयर 26 परसेंट होने की वजह से इन लोगों ने भी उसमें इक्विटी डाली है। जब 3 हजार करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट 13 हजार करोड़ रुपये का होता है तो उसमें पब्लिक का पैसा व्यर्थ हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए।

दिल्ली एयरपोर्ट के पास 5000 एकड़ लैंड है जिसमें 5 परसेंट कमर्शियल लैंड है। पांच परसेंट के हिसाब से 250 एकड़ लैंड होता है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें डबल बाउंडरी लगाकर बिजनैस करना चाहिए लेकिन उन्होंने बाउंडरी को बाहर कर दिया है। जब हम दिल्ली एयरपोर्ट से आते हैं तो राइट साइड में करीब 14 होटल्स बन रहे हैं।

## 18.00 hrs

एग्रीमेंट के अनुसार इन होटलों की 30 या 33 साल की लीज है। हमें पता चला है कि 99 साल की लीज की गई है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जहां इन्होंने 250 एकड़ लैंड दी है, वहां आज की तारीख में एक स्केयर मीटर का रेट दस लाख रुपए है। एक एकड़ जमीन का रेट पांच सौ करोड़ रुपए होता है। 250 एकड़ जमीन का रेट एक लाख पच्चीस करोड़ रुपए का रेट है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। बैंक से पैसा लिया है, दूसरा लैंड दे दी है और तीसरा यूजर डवलेपमेंट का चार्जेज डाला है। इसके बारे में डिबेट होनी चाहिए।

सभापित महोदय: आप जरा रुक जाइए, क्योंकि चर्चा का समय बढ़ाने के लिए हाउस की परिमशन लेनी है। अगर हाउस एग्री करता है तो चर्चा के समाप्त होने तक और जीरो आवर के समाप्त होने तक समय बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ, सभापति महोदय।

श्री नामा नागेश्वर राव: महोदय, मर्जर के ऊपर जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, उसके बाद एयर क्राफ्ट खरीदने के लिए घोटाला हुआ और दिल्ली एयरपोर्ट का मामला हुआ, इसके लिए पार्लियामेंट की सब-कमेटी बैठानी चाहिए या समिति का गठन करके जांच कराई जानी चाहिए और घोटाला बाहर आना चाहिए।

महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात आपसे कहना चाहता हूं। खम्माम डिस्ट्रिक्ट के लिए एयरपोर्ट बनाने की जरूरत है। विजयवाड़ा एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की जरूरत है और नई कनेक्टिविटी की फैसिलिटी मद्रास और हैदराबाद के लिए देनी चाहिए।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):** सभापित महोदय, हवाई जहाज की बात गांव के लोगों के लिए दूसरी दुनिया की बात लगती है। गांव के लोग पार्टी की रैली वगैरह में आते हैं और पटना हवाई अड्डे पर जाकर देखते हैं कि हवाई जहाज कैसा होता है। ज्यादातर लोग हवाई जहाज जानते ही नहीं हैं, वे तो कहीं जाते हैं तो ऑटो से जाते हैं। आज जो बहस चल रही है, इसमें अनंत गीते जी बता रहे थे कि किसने क्या पाप किया और दिवालिया बना दिया।

## 18.03 hrs (Dr. Thammbidurai in the Chair)

वहां हमारे नज़दीकी आदमी मंत्री बन गए हैं। किया किसी और ने और इन्हें सारा भोगना पड़ेगा और इन्हें सुनना पड़ेगा। हम लोग इसी से परेशान और चिंतित हैं।

महोदय, सबसे पहले तो हड़ताल खत्म होनी चाहिए। हड़ताल किसी भी हालत में खत्म हो। मूंछ की लड़ाई बंद कीजिए। सरकार का काम मूंछ की लड़ाई का नहीं है। सरकार का प्रथम काम है कि जनता को तकलीफ न हो। यात्रीगण मुम्बई अथवा विभिन्न इलाकों में परेशान हैं। किसी भी हालत में यात्रियों को तकलीफ न हो और अनिश्चितता की स्थिति न हो। यह सरकार को देखना है, नहीं तो हम सरकार को फेल मानते हैं। लूट हुई, महाराजा को दिख्द किया, उसका विषय अलग होगा। लेकिन तत्काल हड़ताल को खत्म कीजिए। यात्रियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। मूंछ की लड़ाई बंद कीजिए। हवा में बात मत कीजिए। जो हड़ताली पायलट्स बर्खास्त हुए हैं, जब तक उनकी बहाली नहीं होगी, तो जहाज कौन चलाएगा और यात्रियों को सुविधा कैसे होगी? सरकार को तुरंत एक तरफा बर्खास्तगी खत्म करके पायलटों को वार्ता के लिए बुलाना चाहिए। अभी भी कहते हैं कि हड़ताल खत्म कीजिए तभी वार्ता होगी। सरकार ये सब बात खत्म करे। सरकार को यह शोभा नहीं देता है। सरकार सब कुछ है, वे विध्वंस भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। पायलटों ने आंदोलन किया, आप देखिए कि क्या शिकायत है। कोई तकलीफ हुई होगी तभी तो हुआ। वे बर्खास्त हो रहे हैं लेकिन काम पर नहीं आ रहे हैं। आप बिना शर्त बात कीजिए, बर्खास्तगी वापिस लीजिए, हड़ताल खत्म कराइए ताकि यात्रियों को कष्ट न हो। जो हुआ सो हुआ लेकिन अब तक जो नाश हुआ, आगे मत कीविष्ण वहारा आग्रह है।

महोदय, हर्वोई जहाज खरीदे गए। देश विदेश से सरकारी सामान खरीदने में क्या होता है? कहां चला गया? सीएजी ने भी कोट किया कि जहाज खड़े रहते हैं, फालतू में खरीद लिया। जहाज खड़े हैं और घाटे में 70,000 करोड़ रुपया चला गया। 40,000 करोड़ रुपऐ का घाटा है और जनता का पैसा देकर इसके संचालन का काम हो रहा है। क्यों ऐसी स्थिति हुई? लोग बता रहे हैं कि पहले लाभ में चल रहा था। घाटा क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार है? कौन कसूरवार है? वह क्यों अभी तक बाहर घूम रहा है? जेल में क्यों नहीं है? घोर अव्यवस्था है? कहा जाता है कि जहाज का सही इस्तेमाल नही हुआ, लाभ वालो रूट प्राइवेट

को दे दिया। टाटा सिंगापुर के बारे में कहा जा रहा था कि मंत्री ने 15 करोड़ रुपए मांगे लेकिन अभी तक नाम पता नहीं चला है। यह अखबारों में आया है कि 15 करोड़ रुपए मांगे इसलिए टाटा सिंगापुर एयरलाइंस को नहीं मिला। क्या विदेशी निवेश है, हम नहीं जानते हैं। एयरपोर्ट अथारिटी 200 पैसेंजर्स से रुपया ले रही है। सुना है बहुत पूंजी निवेश हुआ कि सहूलियत होगी। ...(व्यवधान) सुना है की जमीन ले ली और होटल खुल रहा है। यह सवाल उठता है कि मुम्बई, बंगलौर, कोलकाता लाभ वाला रूट प्राइवेट हो गया और घाटे वाले रूट सरकार के पास आ गए। यह फैसला किसने किया? क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे क्या लॉजिक है? यह कैसा न्याय है? सरकारी जहाज बैठ गए। इसे कौन देखने वालाला? क्यों ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ? जनता का पैसा लगा रहे हैं। क्या घोटाला सीबीआई की जांच से ठीक हो जाएगा? शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे थे कि यह सीबीआई की जांच से ठीक हो जाएगा तो यह जांच ही सही नहीं तो जेपीसी या कोई कमेटी जांच करे कि क्यों ऐसा हुआ।

महोदय, अब मर्जर की बात आती है। अब जान गए हैं कि मर्जर से घाटा है तो मर्जर को अलग कीजिए। जब किसी ने दवाई खा ली और वह दवाई घाटा कर रही है तो दवाई को रोकेंगे। आप इसे भी जांच लीजिए कि इसके हट जाने से और क्या नुकसान होने वाला है। छानबीन कीजिए। वह कौन सी कमेटी है जिसने बताया है कि मर्जर से फायदा है? हम लोग हवाई जहाज में जाते थे तो कर्मचारी कह रहे कि मर्जर से नुकसान है, होशियार लोग ही काम चला रहे हैं, जरूर इसे ठीक करेंगे। अगर मर्जर हो गया तो घाटा होगा और हम देखते रहेंगे।

महोदय, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने पटना हवाई अड्डा का सही सवाल उठाया है कि लंबाई 6000-8000 फीट होनी चाहिए जबिक यह 4000 फीट है। पटना हवाई अड्डा को लंबा करने के दो रास्ते हैं। माननीय मंत्री जी, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सुन ही नहीं रहे हैं। पटना हवाई अड्डा का सवाल उठा रहे हैं, लंबाई बढ़ाने के लिए। लंबाई बढ़ाने के दो रास्ते हैं। एक या तो रेल लाइन को खिसका दिया जाए अथवा रेल के ऊपर में, भर कर के उसे टनल बना दिया जाए। इसीलिए उसकी लंबाई बढ़ाना जरूरी है। वह बहुत खतरनाक हवाई अड्डा है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Nriper Nath Roy.

(Interruptions)\*

-

<sup>\*</sup> Not recorded

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): सभापित जी, धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है। सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा केवल दो-चार लाइन बोलूंगा। बहुत सारे मेंबर कल से, ज्ञानी-ज्ञानी मेंबर हैं, कल से चर्चा हुई है, आखरी चर्चा हो रही है। इस सरकार से मेरा एक छोटा सा सवाल है। सरकार तो यूपीए-2 है, मंत्री चाहे नए हों या पुराने हों। मंत्री-मंत्री हैं, सरकार एक है, सरकार गिरी नहीं है। मैं सन् 2009 में पहली बार चुन कर इस सदन में आया हूँ। पिछले कई सदन नियम-193 में एयर इण्डिया के बारे में कई बार चर्चा हुई है। उसमें भी मैंने हिस्सा लिया, दूसरी बार भी हिस्सा लिया।

एयर इण्डिया की हालत और नीति देखिए। पहले जो मंत्री थे उन्होंने सन् 2009-10 में एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइंस को एक कर दिया था। सरकार तो एक ही है, युपीए है। मंत्री बदले हैं, सरकार नहीं बदली है। सेकेंड टाइम जो नए मंत्री आए, उन्होंने बोला है, हम टी.वी. में, अखबार में देखते हैं कि सन् 2009-10 में एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइंस को एक किया गया वह ठीक नहीं किया। मरजर ठीक नहीं था। सरकार तो एक है। एक मंत्री बोलते हैं कि ठीक है और एक मंत्री बोलते हैं कि यह गलत है। यही मेरा सवाल है। सन् 2011 में एयर इण्डिया अथॉरिटी ने स्वयं बोला है कि जैसे ट्रेन देश की धड़कन और गर्व है, उसी तरह से एयर इण्डिया हमारे देश का गर्व है। साधारण जनता के लिए एयर इण्डिया पर चड़ने के लिए हमने फ्लाइट खोला। इसलिए अखबार में न्यूज़ आया कि इस देश के लोग प्लेन में सफर करेंगे। आज एयर इण्डिया की हाल क्या हुई है? हड़ताल में कितना नुकसान हुआ? पिछले महीने जो नए मंत्री आए, अप्रैल में बोले कि सरकार विज़न-2020 पूरा करेगी। हम जब से आए हैं विज़न-2020 सून रहे हैं। रेल बजट में, एग्रीक्लचर बजट में, प्लेन बजट में, सभी बोलते हैं कि विज़न-20। नए मंत्री जी ने भी यह ऐलान किया है। एयर इण्डिया की हालत सुधारने के लिए विज़न-2020 में हमें मदद चाहिए, सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार ने विज़न-2020 के लिए तीस हजार रूपये करोड़ की सब्सिडी भी दी। प्राइवेट कंपनी वाला लाभ पर चलता है। देश में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, हम अखबार देखते हैं, न्यूज़ आता है कि ये लाभ में चलती है। सारे ऑनरेबल मेंबर भी बोलते हैं कि एयर इण्डिया हमारा गर्व है। लाभ हो नुकसान हो, हम जब एमपी बना, हम एयर इण्डिया से हमेशा सफर करते हैं। मैं बागडोगरा एयरपोर्ट से सफर करता हूं। मेरी विनती है कि जो हड़ताल चल रही है, सरकार उस पर टिप्पणी न करे। अखबार और टी.वी. कम बात करे कि यह जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। टी.वी. और अखबार देखिए, देश-विदेश में एयर इण्डिया की सवारियों की एयरपोर्ट पर कैसी हालत हो रही है। गंभीर स्थिति है, सभी को मालूम है इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बागडोगरा एयरपोर्ट से सफर करता हूँ। सारे मेंबरों ने कहा है कि एयर इण्डिया का टाइम ठीक नहीं रहता है। वहां बोला जाता है कि एयर इण्डिया का विमान 11.25

बजे टेक-ऑफ करेगा। वह 11.23 बजे नहीं जाएगा, वह जाएगा 3.25 बजे या 4.25 बजे। ज्यादातर सभी सदस्य एयर इण्डिया में सफर करते हैं। एयर इंडिया का बागडोगरा में जो एयरपोर्ट है, वहां अभी विदेश से दो-चार विमान आते हैं, जैसे भूटान, सिंगापुर से विमान आते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि वहां जो ट्रैक है, वहां एक रनवे है, एक-साथ पांच-सात विमान चलते हैं, इसलिए उस रनवे को बढ़ायें। इन्हीं शब्दों को बोलकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): महिं इसमें न पायलट्स का कसूर है, न इसमें मुसाफिरों का कसूर है, इसमें मैनेजमेंट का कसूर है, मैनेजमेंट ने एयर इंडिया को जमीन में मिलाया है...(व्यवधान) मैं वही तो कह रहा हूं।...(व्यवधान) उसने उल्टा लैंड करा दिया है। अब तो यहां सब बातें सामने आ गयी हैं। मर्जर क्यों हुआ, किसने इसके बारे में सोचा? आज मंत्री कहते हैं कि मर्जर गलत हुआ है और यही अफसर जो आज मशवरा देते हैं कि मर्जर गलत हुआ है, इन्होंने उस वक्त मशवरा दिया कि मर्जर जरूरी है, दोनों उसी के हैं। आप खुद मुझे बता दीजिए कि इसका जवाब आएगा, कैसे नहीं आएगा, इसे एक लावारिस बच्चे की तरह छोड़ दिया। हर एक ने इसको हर तरफ से काटने की कोशिश की। इसी मिस-मैनेजमेंट ने इसको तबाह और बर्बाद कर दिया।

में दुबे जी और संजय जी की बात सुन रहा था, इन्होंने बड़ी तफसील से इस बारे में बात कही, लेकिन मिनिस्टर साहब का मैंने टेलीविजन पर बयान सुना तो उन्होंने कहा था कि हम पायलट्स से बात नहीं करेंगे। बात तो करनी पड़ेगी, उनका क्या कसूर है? उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। आपके डायरेक्टर्स को तनख्वाह मिल रही है, क्या आपके मैनेजर्स को तनख्वाह बंद है, आप उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बंद करते हैं? अगर एमपी काम नहीं करता है तो उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बंद होती? उन मुलाजिमों की तनख्वाह क्यों नहीं है, मैनेजमेंट वालों की तनख्वाह आप क्यों नहीं बंद करते हैं? कसूर तो उनका है। पायलट्स को अगर तीन महीने में तनख्वाह मिलती है और वह चीखता है, तो हमें गुस्सा क्यों आता है? ख़ाइवर की क्या गलती है, मालिक का कसूर है, ख़ाइवर का कोई कसूर नहीं है, वह तनख्वाह के बगैर गाड़ी नहीं चलाएगा। उसे वक्त पर तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी जरूरतें हैं। मुझे आपसे यह अर्ज करना है...(व्यवधान) सर, आप मेरी बात सुनिए, आपका भी यही हाल होगा।...(व्यवधान) सर, मेरी बात सुनिये। महोदय, जरा मिनिस्टर साहब से कह दीजिए कि वे मेरी बात सुने।...(व्यवधान) सर, मेरी बात सुनिये। जब इद्गाम हुआ, जिसे आप मर्जर कहते हैं, उस वक्त किन लोगों ने इद्गाम किया, आप रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर लीजिये। यह नहीं होगा कि आज आप ऐसा कहेंगे, फर्ज कर लो भगवान ने

आपको ताकत दी और आपने सब कुछ ठीक कर दिया, यह मान लें, लेकिन यह बर्बादी जो इस वक्त हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? कम से कम यह हमें पता तो चले, इन सबके पीछे कौन आदमी था? साजिश क्या थी? सब मंत्रियों ने सारी फैमिली को उठाकर जहां घुमाया है। यह क्यों हुआ?...(व्यवधान) मैं उनको भी बोलूंगा, आपको भी बोलूंगा, मैं सबको बोलूंगा। हवाई जहाजों को लीज पर लाने की बात की, फिर उनका इस्तेमाल नहीं हुआ, यह तो बैड प्लानिंग है और इसी बैड प्लानिंग ने इनको बर्बाद कर दिया है। मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा, जैसा शत्रुघ्न साहब ने अभी कहा कि इसके लिए एक आईबी इंक्वायरी, मैं नहीं कहूंगा कि आईबी इंक्वायरी जरूरी है, लेकिन इंक्वायरी कराइये, हाई-लेवल इंक्वायरी कराइये और उन ब्लैकशीप्स को पकड़ लीजिये, जिन्होंने आपकी इस सारी तंजीम को बर्बाद कर दिया है, इस सारे आर्गनाइजेशन को खराब कर दिया है। ...(व्यवधान)

में आपसे गुजारिश करूंगा, महोदय, जरा आप इनसे बोलिये कि ये मेरी बात सुनें। मैं बड़ा खुश हूं, में शाहनवाज हुसैन का बड़ा शुक्रगुजार हूं, जब ये मंत्री थे तो श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ इन्होंने बहुत ध्यान दिया था।...(व्यवधान) आप मेरी बात स्निये। आज यह सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, हमारा सारा टूरिज्म बैठ गया है, इस वक्त लाखों टूरिस्ट हमारे यहां जा रहे थे। हमारी रोजी-रोटी कट रही है। यह आपका कसूर है और आपकी मैनेजमेंट का कसूर है। उसे फौरी तौर पर देखने की जरूरत है। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा। हम इसीलिए किसी वक्त गुस्से में बात कहते हैं, हम डिप्राइब्ड लगते हैं कि बड़े-बड़े लोगों के नाम पर आपके एयरपोर्ट हैं। ...(व्यवधान) मरहम बीजू पटनायक साहब के नाम पर है, शिवाजी के नाम पर है, राजीव गांधी जी के नाम पर एयरपोर्ट है, इंदिरा जी के नाम पर एयरपोर्ट है, कामराज जी के नाम पर एयरपोर्ट है, आपके वालिद और बुज़ुर्गवार नामदार जनाब चौधरी चरण सिंह के नाम पर एयरपोर्ट है लेकिन कश्मीर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या हम शेख अब्दल्ला के नाम पर नहीं रख सकते भागर शेख अब्दुल्ला नहीं होता तो शायद कश्मीर इस मूल्क का हिस्सा नहीं होता। क्या आप यह नहीं कर पाएँगे? मुझे उस वक्त दुख होता है कि मुझे शायद शक की नज़र से देखा जाता है। ...(व्यवधान) हमारे यहाँ इंटरनेशल एयरपोर्ट बनवाया, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, आज आप देखिये कि जिन एजेन्सियों ने यह बनाया है, वे टाइलें कितनी रद्दी हैं, उसका सामान कितना रद्दी है। पूअर सामान लगाया है और उसमें भी लाखों करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। उसकी भी आप इनक्वायरी करा लीजिए। इनक्वायरी करते-करते आपकी ज़िन्दगी गुज़र जाएगी। इतने हालात इस एयरपोर्ट के खराब हैं। ...(व्यवधान) मैं नहीं कहता। इसमें बीजेपी या सरकार का

मतलब नहीं है। ...(<u>व्यवधान</u>)\* यह मैनेजमैंट का मामला होता है। उनको देखना चाहिए और उसकी इनक्वायरी करनी चाहिए।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप हमारी बातों को सुनेंगे तो इस नतीजे पर मत पहुँचियेगा कि हम एयर इंडिया को बचाना नहीं चाहते, लेकिन तीन-चार मेन पॉइंट्स मैं आपके सामने डालना चाहता हूँ। पहले तो 2006-07 में एयर इंडिया का लॉस 770 करोड़ था। उसके बाद इस मार्च में 7200 करोड़ हो गया। 2009 में एयर इंडिया तीन प्लेन्स बेच देता है। वह सेल करता है हर प्लेन की सौ-सौ करोड़ रुपये में। एयर इंडिया एक प्लेन 4000 करोड़ रुपये में खरीदती है। जब एयर इंडिया के मैनेजमैंट को लगा कि पैसे कम हैं, वर्किंग कैपिटल कम है, तो इन्होंने तीन हवाई जहाज़ों को सौ-सौ करोड़ रुपये के दाम पर बेच दिया। दूसरी बात है कि 30 हज़ार करोड़ रुपये का मतलब है कि 1000 करोड़ रुपये में एक एम्स स्थापित हो जाता है, तो इन 30 हज़ार करोड़ रुपये में इस देश में 30 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस स्थापित हो जाते। यदि हम इस सभा में पब्लिक या लोगों के पक्ष में हैं तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार यह बात उठती है कि 30 हज़ार करोड़ रुपये देकर एयर इंडिया को बचाया जाए। अगर आप छोटा सा कैलकुलेशन भी करेंगे तो you can construct 1,50,000 kilometres of PCC road in every village with Rs. 30,000 crore. पर अभी तक किसी भी सरकारी अफसर या मैनेजमैंट की इस पर कोई जवाबदेही नहीं है, और बार-बार पब्लिक हमें गाली देती है कि हम एयर-इंडिया को दबा रहे हैं। इतने सालों से लगातार जो मिसमैनेजमैंट हो रहा है, जैसे शत्रुघ्न जी ने कहा और हम बार-बार कह रहे हैं कि 30000 करोड़ रुपये एम्स की बात एक तरफ. 150 हज़ार किलोमीटर सड़क एक तरफ और हम सोचते हैं कि एयर इंडिया को किसी भी हालत में बचाया जाए। उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? इसके मुख्य कारण क्या हैं? आप जितना भी कहें लेकिन मिसमैनेजमैंट इसका कारण है। एक और प्राइमरी कॉज़ है इंटरस्ट पेमेन्ट फॉर बोइंग 111 प्लेन्स। इन 111 प्लेन्स की खरीद को और मर्जर के लिए जो भी पदाधिकारी या मंत्री जिम्मेदार हो, इस पर सीबीआई जाँच हो या जेपीसी बैठे, क्योंकि हर वक्त we are walking away from the basic issue. आप बताइए कि अगर इनफोसिस कंपनी बाहर से लाकर कल किसी ब्यूरोक्रैट को बिठा दे तो बोर्ड उसको बाहर कर देगा। I have been a Government servant. पिछले 40 सालों

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair

से we continue to think that IAS Officers can manage everything. हर वक्त हम ऐसा सोचते हैं। अगर आई.ए.एस. अधिकारी इतने काबिल हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जी.ई. में उनको बैठा वीजिएगा तो बोर्ड उनको हटा देगा कि \*... But we never think about giving a top company to a bureaucrat and tell him to run it. There will be no accountability and every time it comes to this fundamental question. Have you prosecuted any Chief Executive of any public sector unit for lack of performance? With Rs.30,000 crore, you can set up 30 AIIMS like hospitals or 150,000 kilometres of PCC road. The reason is mismanagement. This is not the way to run navratnas or professional PSUs. It is not the pilots' fault. हमारे कलीग्स ने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवीएशन,\*\* So, this has to stop. If we have to be accountable to this country, then this has to stop. I think the country expects us to do it. I am not going to take any more time.

Let me come to my last point, that is merger. You appointed consultants, like the Mckinsey. Today, you say it is bad. Who is accountable for this idea? Which civil servant made that note? Which Minister agreed to it? Who was the CMD? Why do we continue to have one professional management?

At the end, I will request, like Shri Shatrughan Sinha said, we should have it inquired by the JPC or the CBI. Every time we talk about Air India, we say we should give special status to North-East. Please make a special airline for North-East and increase the flights. But it is not worth funding Rs. 30,000 crore of country's money.

With this, I want to thank you for the opportunity.

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair

<sup>\*\*</sup> Not recorded as ordered by the Chair.

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है, उसके अनुसार अपनी रियासत जम्मू-कश्मीर, खास कर जम्मू, रजौरी और पुंछ जिलों के बारे में कहना चाहता हूं। ये सभी सरहदी जिले हैं। मैं मिनिस्टर साहब का, अब तो यह हैं, इनसे पहले वाले का धन्यवाद करना चाहता हूं। शारिक साहब मैं काफी समय से श्रीनगर नहीं गया हूं, लेकिन वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए मरकज़ी सरकार ने मंजूरी दी और वहां काम भी हुआ और वह चालू भी हुआ है। क्वालिटी आफ वर्क में फर्क रह सकता है, मोनिटरिंग में कमी रह सकती है और लीकेज तो होती है, उन्होंने अपनी तकरीर के जिरए हाउस और मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात लाई है। मैं जम्मू के बारे में मिनिस्टरी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने जम्मू एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए, वहां पार्किंग प्लेस बनाने के लिए भी पैसा दिया है। लेकिन माता वैष्णों देवी की कृपा से वहां हादसे नहीं हुए। नहीं तो जम्मू में जहाज लैण्ड नहीं करता है, बल्कि गिरता है। लेकिन माता वैष्णों देवी की कृपा से कोई वाकया नहीं हुआ। इसलिए मैं अधिकारियों से भी प्रार्थना करूंगा कि गाह-ब-गाह तबादला ख़याल करना चाहिए और उस प्रोजैक्ट को डिसकस करना चाहिए। उसकी प्रोग्रेस को देखना चाहिए। यदि वहां काम चल रहा है तो उसकी मॉनीटरिंग भी होनी चाहिए। उसकी पट्टी बढ़ा दी जाए। वहां आर्मी, आपके डिपार्टमेंट और सिविल एडिमिनस्ट्रेशन के लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, वहां के डिप्टी किमश्नर और डिवीज़नल किमश्नर। क्योंकि यह बहुत बड़ा महकमा है। यह सारे देश को फीड करता है। उसको जल्दी तैयार किया जाए तािक कोई ऐसा हादसा न हो।

आज से पन्द्रह बरस पहले रजौरी में छोटा हवाई जहाज चलता था, जबिक हमारा मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है। सिविल एवीएशन मिनिस्ट्री भी बुलन्दियों को छू रही है। बेशक एयर इंडिया जो कि सोना उगलने वाली एक इंडस्ट्री थी, वह तबाही की तरफ बढ़ रही है...(व्यवधान) मैं जनाब आ रहा हूं। यह अनपढ़ कम्प्यूटर है, इसमें सब कुछ फीड है। समय का अभाव है। यदि समय होगा तो सारी बातें मैं बताऊंगा। वहां पन्द्रह बरस पहले छोटा जहाज चलता था, लेकिन कहते हैं कि सिक्योरिटी प्वाइंट ऑफ व्यू से उसे बंद कर दिया गया है। जबिक देश आगे बढ़ रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि उसको रि-कंसीडर करना चाहिए, उसको फिर बहाल करना चाहिए। इसी तरह जब गुलाम नबी आज़ाद साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे, वहां पर हमने एक सुनकोठी नामक जगह को आइडेंटिफाई किया था कि वहां हम हवाई पट्टी बनाएंगे। यह हिन्दुस्तान का अंतिम डिस्ट्रिक्ट है। उसके आगे पाकिस्तान पड़ता है और यह बड़ा लम्बा रूट है। इसमें 350 किलोमीटर रूपाई रोड में जम्मू तक आना पड़ता है। उसका प्रोग्रेस और उसका स्टेटस क्या है मैं मिनिस्टर साहब से, और डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ही कहूंगा कि वे इसको देखें तािक हमारे जम्मू रीजन को भी इंसाफ मिले क्योंकि जम्मू में रिलीज्यस प्लेसेज हैं, जैसे माता

वैष्णो देवी है, जैसे अमरनाथ की यात्रा वहां होती है। इसी तरह, चक्रादाबाग में रावलाकोट को, जो हमारे इधर के और उधर के भाई जाते हैं, उनको ये सुविधाएं मिले और सारे देश की तरह रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर और भारत के लोगों को भी हवाई सर्विस का फायदा हो।

आपने मुझे समय दिया, शुक्रिया।

\*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Mr. Chairman, Sir, civil aviation contributes to the growth and development of the country. The industrial city of Coimbatore, which is called the Manchester of South India, situated in Tamil Nadu is surrounded by towns with industrial growth like Tiruppur, Erode, Namakkal, Salem, Karur and Pollachi and tourism and pilgrim centres like Ooty, Kodaikkanal, Palani, and towns in the adjacent State like Palakkad and Tiruchur. Coimbatore city lies in the centre of all these important towns and Coimbatore Airport caters to the air travel needs of the businessmen and the general public who are to go to other parts of the country and other parts of the world. Only one Air India flight carrier is coming to Coimbatore Airport as of now. Even that flight originating from Delhi comes to Coimbatore and goes to Kozhikode. Coimbatore has got no exclusive direct flight operated by Air India from any major city, leave alone Delhi. Even to go to Chennai from Coimbatore, we do not have a direct Air India flight. There are about 20 Lok Sabha constituencies in the vicinity of Coimbatore.

Sir, Members like you and me and hon. Members from the neighbouring State of Kerala along with our colleagues from Pollachi, Namakkal, Salem, Erode, and Karur, have to go from Delhi to Chennai every time on our way to Coimbatore and we are forced to stay overnight at Chennai and have to catch flight for Coimbatore only the next morning. Whenever we return home from Delhi after attending the Parliament session, many of us the Members of Parliament are left high and dry for want of direct flight connectivity. Hence I urge upon the hon. Minister to operate a direct Delhi- Coimbatore flight service. Similarly there must be a direct flight service between Chennai and Coimbatore. If there is a flight at six in the morning from Chennai to Coimbatore and if it leaves for Delhi at seven thirty in the morning to reach Delhi at 11AM, it would attract more passengers and this operation would be a viable one. Similarly a flight can leave from Delhi at 5 PM for Coimbatore and can go to Chennai from there. In the absence of this direct

<sup>\*</sup> English translation of the speech originally delivered in Tamil

connectivity passengers get stranded. In order to benefit the Members of Parliament and business community and other entrepreneurs, a direct flight to Delhi and Chennai must be in place. With this prayer, I conclude.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर): सभापित जी, अभी इस चर्चा में शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे थे कि उनकी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, और आखिरी पसंद एयर इंडिया है। लेकिन, यह पसंद तब रहेगी जब ये विमान जो आज जमीन पर खड़े हैं, वे हवा में उड़ें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो पायलट्स बीमारी का बहाना बनाकर हड़ताल पर चले गए हैं, वह हड़ताल खत्म हो। उसके लिए माननीय मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं।

मैं सदन में आपके माध्यम से पायलटों से अपील करना चाहूंगा कि जो समस्या आज एयर इंडिया के साथ है आज इस देश के इण्टरैस्ट को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वे इस हड़ताल को समाप्त करेंगे और माननीय मंत्री जी बड़े दिल से उनसे बात करके इस हड़ताल को खत्म करने का काम करेंगे। मेरी अपेक्षा सरकार और पायलेटस दोनों से है।

साथ ही साथ इसकी समस्याएं, खास तौर से विमान खरीदने की बात आई। भाई निरुपम जी कह रहे थे कि विमान खरीदना मजबूरी थी, लेकिन 2007 में भी बोइंग 777 खरीदे गये थे तब भी यही तर्क दिया गया किलेक उन विमानों के खरीदने के बाद भी एयर इंडिया लाभ में नहीं रही। दूसरा सबसे बड़ा घाटे में जाने का कारण जो है, वह मर्जर है, जिस पर विस्तार से सभी वक्ताओं ने चर्चा की है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी भाई दूबे जी कह रहे थे कि लाभ का मर्जर का काम भी हुआ है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अमेरिका में बड़े-बड़े मर्जर हुए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया, उनमें बहुत सी परेशानियां आईं।

सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित कर दी है, उसको बहुत जल्दी माननीय मंत्री जी बुलाकर उस पर एक्शन लेंगे, मेरा ऐसा अनुरोध है। साथ-साथ, क्योंकि, माननीय मंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और दुनिया में जो देश की राजधानियां हैं, उनमें एक नहीं 3-3 एयरपोर्ट्स हैं। हमारा मेरठ क्षेत्र, गौतम बुद्ध नगर का जेवर का हवाई अड्डे का प्रपोजल माननीय मंत्री जी जी.ओएम. में पड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप वैस्टर्न यू.पी. को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि, आप उस क्षेत्र से आते हैं, उस हवाई अड्डे को मंजूरी दिलाने का भी काम करेंगे और इस हड़ताल को खत्म कराकर इस एयर इंडिया को दोबारा से लाभ की स्थिति में लाने का काम करेंगे, जिसके लिए आप सक्षम हैं।

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister to give the reply now.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please wait for just a minute.

SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): Sir, the Belgaum Airport is a very old Airport. Before Independence, flights were operating in Belgaum. The Government of Karnataka has provided land, water, security and everything.

MR. CHAIRMAN: This is Discussion under Rule 193. About the strike, you tell me.

SHRI SURESH ANGADI: I request the hon. Minister to make arrangements to operate the flights from Mumbai to Belgaum, from Belgaum to Bangalore *vice versa* and also resolve the problems of the pilots in the present situation. ... (*Interruptions*) I request the hon. Minister to start operating the flights from Belgaum because it is an industrial city. Thank you.... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, may I put one question to the hon. Minister.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please let the Minister reply to the debate.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I am requesting you to let us know about one thing.... (Interruptions) उनसे बात करो, भाई।

MR. CHAIRMAN: It is not a debate. I do not allow any further debate. Hon. Minister, you can reply now...(*Interruptions*)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, please allow me only for a minute.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Just now you have come. You have not sent any slip. After the Minister's reply, you can ask a question.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You go to your seat. Nothing will go on record.

## (Interruptions)\*

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI AJIT SINGH): Mr. Chairman, Sir, I am extremely grateful to my illustrious colleagues Shri Gurudas Dasgupta, Shri Syed Shahnawaz Hussain..... (*Interruptions*) Hon. Member, please come and talk to me.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, just wait for a minute. Hon. Member, what do you want? You ask him.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: माननीय सभापित जी, मैं इस हाउस के जिरये मंत्री जी से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं। वह दरख्वास्त यह है कि हमारे बोड़ोलैंड स्वशासी अंचल में टोटल आबादी तीन मिलियन है, लेकिन 30 लाख आबादी के लिए हिन्दुस्तान सरकार आज तक भी एक एयरपोर्ट नहीं दे पाई है।

Sir, 65 years have already been lapsed gone since Independence. Why could the Government of India not set up a domestic airport in the backward, Sixth Schedule area of Bodoland, Kokrajhar?... (*Interruptions*) The previous Minister Shri Praful Patel had assured me in this august House itself of giving us a domestic airport. But later on, he backed out, of his own commitment.

But he left the Ministry. It is very unfortunate. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister would reply for that. Please take your seat.

Mr. Minister, you carry on.

... (Interruptions)

SHRI AJIT SINGH: Mr. Chairman, Sir, I understand that every MP wants an airport. If it is an international airport, the better. I understand that. Funderstand your problem.

I am extremely grateful to Shri Gurudas Dasgupta and Shri Shahnawaz Hussain for raising this issue of national importance under Rule 193. I would also like to extend my gratitude to my other colleagues who have participated in the

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

discussion and have brought so many issues of importance related to civil aviation to the knowledge of this august House.

Shri Gurudas Dasgupta and other colleagues have raised a common issue relating to merger of Air India and Indian Airlines and the critical post-merger financial crisis of the merged company. As you all may be aware that the Government in 2007 decided to merge the erstwhile Indian Airlines and Air India in order to improve the efficiency, competitiveness and reduce cost because the operating matrix of both the entities at that time was not in a position to face prevailing global environment. The idea was that the merger would help improve the competitiveness by making optimal use of the assets, capabilities, infrastructure and human resources. In retrospect, one can say that the things didn't go as planned. The biggest problem was that merger was not completed in the stipulated two years mainly because of the delay in IT, operational and HR integration and different working cultures of Air India and Indian Airlines. But in retrospect we can say that what were the circumstances at that time, why that decision was taken – I have already point out some of the reasons. We will have to admit that progressive integration of networks, schedules, cross-utilisation of fleet, cross-synergies in areas such as fuel, insurance, procurement, common pricing, inventory management and harmonization of booking facilities.

In order to address HR issues between erstwhile Indian Airlines and Air India employees, the Government constituted a Committee of Experts under the chairmanship of Justice Dharmadhikari. The Committee had submitted its Report on January 31<sup>st</sup> and its recommendations are under active consideration of the Government, which will soon be implemented after taking the employees into confidence. The Government has approved the turn around plan ...

श्री सानछुमा खुंगुर वैसीमुथियारी: महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे बोडोलैंड अंचल में जल्द ही एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट दिया जाए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please let him complete.

SHRI AJIT SINGH: As I pointed out earlier, two different companies have been merged; their culture is different. Today, the problem you are seeing on television and papers every day, strikes, etc., that is one of the reasons why this delay is taking place. You have to understand all those people. Some have Air India pilots, and some pilots have the origin from Indian Airlines......

श्री शेलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): बहुत दिनों से केवल आश्वासन मिल रहा है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No commentaries, please. If you interrupt, he cannot answer. Let him reply. Afterwards, you raise questions.

श्री शैलेन्द्र कुमार: स्ट्राइक इसीलिए हो रही है कि ...(व्यवधान)

SHRI AJIT SINGH: I will come to strikes. What I am saying is that the merger in 2007, they had anticipated a lot of synergy, and a lot of that had taken place. I am happy that 70 per cent of the merger has taken place. The HR issues are still open and they are most contentious. The Dharmadhikari Report is there, we will try to implement it very soon. In the meanwhile, let me come to Air India – I wasn't here – I heard that the Government is trying to sell Air India or close down.

I would like to point out that the Government has approved the Turn Around Plan and the Financial Restructuring Plan for Air India to bring it out of the financial crisis which includes the following:

- Induction of upfront equity of Rs. 6,050 crore in the year 2011-12 and Rs. 12,000 crore already released to repay the working capital loan;
- Issue of Government guarantee for repayment of principal amount and payment of interest for the non-convertible debentures of Rs. 7,400 crore;
- Equity for the cash deficit support of Rs. 4,552 crore;
- Equity for already guaranteed aircraft loan of Rs. 18,929 crore;
- Hiving of maintenance, repair, overhaul and ground handling by creating a separate business entity with transfer of employees; and

 Induction of already contracted aircraft 787 and B-777 on a sale and lease-back basis.

Now, the total bail out package is about Rs. 30,000 crore and that will be given over the next eight years and it is not without strings. We have put time checks and we have put very strict performance standards. If Air India meets those standards, then we will release the money because it is public money. I would also like to say that we cannot keep pouring public money into Air India. Let me be very clear about it. This is the last chance for them to perform which has to be shown by Air India. I would like to say that without the cooperation of the employees, – whether they ground handlers or whether they are pilots – Air India will not be able to survive and will not thrive. So, their cooperation is very necessary. I am aware they have grievances and they have their problems. But the way out is to discuss with each other and discuss them with me. When we are going to implement the Report of Dharmadhikari Committee, we are not going to implement it without discussing with all the people concerned. As I said, without their cooperation, Air India will not be surviving.

Sir, Shri Gurudas Dasgupta has raised some questions about the pilots. I would like to explain that India has signed bilateral agreements with many countries. The basic feature of these bilateral agreements is that their air carriers are allowed to have a particular number of flights and a particular number of seats. For example, if they are allowed to fly 10,000 seats, then we also get equal rights for our carriers and our carriers can fly 10,000 seats to their countries. Now, what has happened over the years is that according to these bilateral agreements that we have signed with many countries, they have almost utilised their full share and they are asking for more. But we have not been able to utilise those rights.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): Why?

SHRI AJIT SINGH: I will come to that.

Sir, people talk about the first refusal to Air India. I will quote the exact words of the Government policy on this. It says:

"Due consideration shall be given to the operational plans submitted by NACIL before the allocation of traffic rights to other eligible applicants."

This means, whenever we allot these traffic rights under these bilateral agreements from India, we give Air India the first preference. What has happened over the years is, they do not have the planes, they do not have the capacity, they are not using those bilateral traffic rights and if we do not give it to other carriers, only the foreign carriers will be gaining advantage and we will not be gaining any advantage. Let us not forget that all these other airlines are also Indian carriers. It is not longer one company now. Whatever you may say, whether it is right or wrong, we have liberalized the sector and there are many aviation companies in India now. We give them licence and we want them to fly to Assam, North East, Jammu and Kashmir etc. But if you say that we will not give them any traffic rights even if Air India cannot use them, then, I think, you better close it down. We want all aviation sectors; one company cannot take care of all aviation needs of our country... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, whatever he is saying is extremely controversial... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let him finish his reply.

... (Interruptions)



SHRI AJIT SINGH: Shri Gurudas Dasgupta is a very esteemed Member of this august House and very dear friend of mine. We have shared many moments in the ventral Hall talking about all kinds of things and if he thinks it is unfair or things are going wrong and if he finds any problem with whatever I have explained here, he is always welcome to come to me. I will give him one hour, two hours or three hours just on this issue, we will discuss everything and I am sure that he will come out as a smiling man after that meeting.

So, even today, our policy is that Air India gets the first preference, but if what they cannot use, let me tell you, we might give it to other carriers. But by the

time Air India will have the capacity of more planes, traffic will grow and again we will give Air India the first chance and not any other carriers, even Indian carriers.

My most cherished goal is to make India an international hub for international traffic and we are already in the process of finalising the policy for that. To make India the hub, we need feeder airlines, we need airports at Tier-II and Tier-III cities, we need smaller planes. The airlines that are working here need to buy smaller planes for smaller cities, like, from Azamgarh somebody can fly to Lucknow to go to Dubai or to Mumbai. We need smaller planes so that people in Varanasi can go to Gorakhpur.

A lot of this is happening in the South, like, Kerala and all that. A lot of small airports have come up. But, unfortunately, in a very large part of the country feeder airlines are not there; smaller airports are not working. To make India a hub, first we have to make sure that India is not seen as a market for international flights by other countries and airlines of other countries. We have to make sure that our airlines are able to fly to all the destinations in the world. India has the geographical position, it has the population, it has the growing middle-class, it has the goods traffic and all that. India should be the hub and not other countries which are taking passengers from here and flying them to other countries. So, that hub policy is in the works and I am sure, you will all agree, that aviation sector will come on its own when India becomes a hub.

I have seen some criticism on why we are hiving off engineering staff and ground handling staff. You see the Indian aviation sector is at this stage, earlier we only talked and thought about the airlines, that now we have to think about maintenance, repair, overhaul, that is, MRO and that is engineering. Now the market is there. You know our planes go to Sri Lanka, Singapore, Dubai for repairs. It is high time that we have a strong engineering unit, which can not only repair Air India's planes but after getting certificates from international agencies, it is able to service other aircraft also here. That is why we have hived off the

engineering staff from Air India and trying to make it a wholly owned subsidiary so that they can independently work on that.

There is no doubt that Indian engineers are the best and so are the pilots. But to give them a chance, we have to make sure that they have their own management and besides Air India, they can try to service other aircraft also.

I fully agree with the concerns expressed by my colleagues, Shri Shahnawaz Hussain and Shri Sharad Yadav regarding lack of connectivity to Tier-II and Tier-III cities. We are concentrating on it, as I have just mentioned, as a part of creating a hub policy. We are also looking towards it because Air India is owned by the Government. It is a PSU. So they do go and fly most. They have the small places also. Many other airlines, to keep their cost down, want to have one type of aircraft. They are not interested in buying small aircraft to serve the smaller cities. So, we are looking into a policy to do that also so that smaller cities can be connected to the bigger cities.

We have also many other policies about connectivity. We are trying to create an Essential Air Services Fund which will provide direct subsidies to those airlines who want to fly to these smaller destinations. When we will do that, we will ask them to give a bid. Only for the airlines which can do it at the lower cost, we will give them the subsidy so that there is no waste of the public money.

Many speakers have raised the issue of Patna Airport. Shri Shahnawaz, I expect, should know the whole story. The problem there is that the Patna Airport does not have enough land. Also the surroundings, where it is situated today, are not congenial to expand it. The State Government have been giving alternative sites. They are not yet ready to give us the land where they want to make the new international airport. I admit that Patna deserves a brand new international airport. But give us the land first. All the MPs who are from Bihar should rise above party line and go to Patna, camp there, and decide where you want to build the airport.

Shri Gurudas Dasgupta and many other hon. Members have raised an issue of acquisition of aircraft. The matter has been discussed in detail in the C&AG pf

the Ministry of Civil Aviation and the Ministry has already submitted its reply therein. However, I would like to mention that the negotiations to buy the aircraft were not done at one stage but done at three levels. First, the Airline talked with the manufacture. At the second level, there was an Overseeing Committee headed by an erstwhile C&AG Shri Somaiya consisting of Secretary (Civil Aviation), Secretary (Expending) and then finally an authorised EGoM headed by the then Finance Minister approved that deal. So, it is wrong to say that there were no discussions; there were no different levels; and we did not know as to what was happening in the market. An erstwhile C&AG headed the Committee, who looked into it. Again, I would like to say that C&AG is looking into it. Some of the reports of C&AG regarding civil aviation are already with PAC, which is headed by our illustrious Chairman Dr. Joshi.

We are also waiting for that Report like you. We will take whatever action is required after the Report come before us.

Shri Shahnawaz Hussain and Shri Sharad Yadav have also raised the issue regarding the development of the Delhi Airport under the Joint Venture Scheme. Shri Sharad Yadav went so far to say that this was the ugliest airport he has ever seen. I would like to say that Delhi Airport has been rated as the second best in the world under the category of 25 to 40 million passengers and sixth best in all the categories of Airport. Maybe Shri Sharad Yadav's aesthetic sense is a little different than the people who made that Airport.

## 19.00 hrs

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, of late it is the costliest airport. ... (Interruptions)

SHRI AJIT SINGH: Yes, it is becoming the costliest; it is getting there. You are right. But there also, I would like to point out that recently AERA raised UDF. In 2006, DIAL took over that airport. Since then, the fees were raised by only ten per cent once. Now, they were supposed to get these User Development Fees starting 2009. Every five years AERA decides how much prices will go up. They

were delayed for many reasons. That is why, what they have proposed now really covers five years' increase, and they are trying to recover it in two years. That is why, it looks so large. Again I would like to say that AERA is a quasi-judicial authority. These are the reasons that they have given. If anybody has any problem with that, there is an appellate authority. DIAL will probably complain because they wanted 700 per cent. Airlines are feeling the pinch because ultimately the cost goes to the passengers.

I would also like to point out that ADF is different than UDF, which is for the user; ADF is for the development fees for airport. In the next two years, that ADF fees will go away. So, I hope that the passengers will get some relief. I do realize ... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, will you kindly agree that it is unreasonably large? ... (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: Sir, I agree with most of the things that our friend has said. I have to discuss some of the things with him in detail before I agree. I am coming to some of the questions that he has raised. Sir, please have patience.

The IGI airport in Delhi has been developed through a PPP mode, in which the Airport Authority of India has 26 per cent equity in the joint venture company and the rest is with GMR. As per the provisions of the agreement, out of the total revenue, 45.99 per cent revenue goes to the Airport Authority of India; 45.99 per cent in Delhi and 30.7 per cent in Mumbai.

I would also like to point out that in 2011-12, the Airport Authority of India got Rs.704.88 crore from the Delhi Airport, and about Rs.500 crore from the Mumbai Airport. The Airport Authority of India was running in losses.

As some hon. Members pointed out, it could not give any money for smaller airports. As a result of these two airports' PPP mode and the revenue that they earned, the Airport Authority of India is developing airports in Chennai and in Kolkata, which are not going to be any less than Delhi, Hyderabad or Mumbai Airports.

Now, I come to the question of land allotment. Five per cent of the total land in Delhi and 10 per cent of the total land there for commercial exploitation was a pre-bid condition. Bidders knew this position and accordingly quoted the revenue share. This was done before the bid was floated. We have not given them land; after you are not able to make the airport, the cost overrun is there and, therefore, you take the land. And because of these pre-bid conditions, they are given 45.99 per cent of the revenue in the Delhi Airport to the Authority. Price of the land is independent upon its use and its location. In Delhi, about 45 acres have fetched about Rs.1400 crore, which is about Rs.32 crore per acre. This entire money was used for the development of Delhi Airport. Moreover AERA has not allowed any return on this money. DIAL wanted it to be shown as an investment; and then, they wanted a return on it. AERA has disallowed it; and the return will be only the money they have invested directly. Any money they got from this five per cent land, which has been allotted to them, is not being used as an investment so that they can earn any return on it... (*Interruptions*)

श्री निशिकांत द्वे (गोड़डा): 200 एकड़ जमीन और है।

SHRI AJIT SINGH: I said about five per cent land in Delhi.

श्री निशिकांत द्वे : 45 एकड़ का 1475 करोड़ हुआ, 200 एकड़ जमीन का क्या हुआ?

SHRI AJIT SINGH: It is about 233 acres.

SHRI NISHIKANT DUBEY: It is 245 acres.

SHRI AJIT SINGH: Okay, Sir. Your calculation may be right. I have this figure; and it is an approximate figure. I will take your figure. Okay?... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please, let him speak.

SHRI AJIT SINGH: Some people did complain that the project cost went up. I would like my friends to go back to their hometown; go to a private developer or a construction company; see what they said it would cost; and what it cost five years later when they made it. Look at NOIDA Extension. What the builder said it would cost for a flat and how much they would sell it for; and even before they are in the market, what the price is now!

So, when the other things change, the construction cost genuinely goes up with each year.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: And there is a commission also.

SHRI AJIT SINGH: Sir, you may know all about it. Since you know all about it, I agree with you. I have nothing more to say on that... (*Interruptions*)

I will come to the strike part also, do not worry.

Now, let us come to the ATF. Mr. Dasgupta got very angry with me that I have some deal with Kingfisher Airlines or something... (*Interruptions*)

श्री गुरुदास दासगुप्त: ऐसा नहीं है, हम आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं।

श्री अजित सिंह: आदाब अर्ज़। I take my words back. It was my mistake.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: You are as bright as sunlight.

SHRI AJIT SINGH: Thank you, Sir... (Interruptions)

Anyway, part of the problem of the Aviation Sector is the high costs, and the ATF costs, in particular. For our low cost carriers, ATF is about 50 per cent of their operation cost. For other carriers, it is 40 per cent or so. The petroleum prices are going up the world over. More than that, the ATF costs here more than it does in the neighbouring countries. Then, we have taxes. The States have put up to 29 per cent sales tax on that. So, the ATF costs are much higher here than they are in other countries. Part of the reason is that it is not a notified product. When it is a notified product, the authority in the Oil Ministry, the Regulatory Authority, gives you why it costs so much. If it is not a notified product, nobody knows why the oil company is charging, what it is charging. In March itself, the ATF costs went up by about nine per cent.

So, that is one of the major reasons that all airline companies, whether private or Government, are under financial stress. Let us realize that. They are not getting the working capital. That is why the Government has allowed that they can borrow from outside under ECB because the interest rates are less there. Yes, there are financial problems. I would also like to say that the airlines the world

over are feeling it except some of our rich neighbour; they do not have the problem of the ATF because they have the oil.

So, they are all feeling it. At the same time, whatever may be the problems of the airline industry here, the way the population is growing, the way the middle-class is growing, I would again like to repeat, there is very bright light at the end of the tunnel. That is why, some people ask why FDI by airline and who will come here. First, I would like to say that we are not opposing FDI in this sector now. Sir, 49 per cent FDI has been allowed for the last seven years or more. All we want is, since it is airline business, we want other airlines also to be able to take part in FDI in the aviation sector. Aviation sector is a very capital intensive industry. It is a very technical industry. We want other airlines to take part in it because they have the management expertise; they have the technical expertise; and they have the reach world over. If you want to make a hub here, you want more airlines to come here. With just one airline or two airlines, we cannot become a hub.

So, we were talking about ATF. When we allowed the import, it was allowed to any airline for their own use. So they do not have to pay the sales tax. I would like to add that Spice Jet was the first one which applied. Air India was the next one that applied, and Kingfisher is the third one which has applied for this facility.

Shri Adhir Chowdhury had raised a question on issues about connectivity. He also had some questions about Bagdogra. Yes, Bagdogra is very important for the whole North-East, in fact. That is a hub for going to the North-East. It is a Defence airport. So, we are working on that. If we get some land, we will get the night landing facility there. So, that should solve lot of the problems.

We are also trying Cooch Behar. It is already a developed airport but it is a smaller airport. These places do not need big airport and big planes to fly there. The market is not there. As I pointed out, very few aviation companies in India have these smaller aeroplanes. But we are trying to encourage the regional airlines, the smaller airlines to fill that gap we have. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: While he is speaking, you go on rising. I have already given the chance. Let him answer. Why are you interrupting?

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Bwiswmuthiary, you came very late and made your submission. That is the problem. You should have come early. Finally, he will answer you. You wait up to that.

SHRI AJIT SINGH: My friend Mr. Satpathy from Odisha—I do not know if any Odisha MP is here or not—mentioned that there is an airport there, named after Biju Patnaik. He reminded me that Biju Patnaik was a very dear and near colleague of my father. Therefore, it should be made an international airport. Sir, all we need is some land from the Government there. We have discussed it with Mr. Naveen Patnaik. We expect very soon we will be able to start the new terminal and make it international airport.... (*Interruptions*) That is the problem everywhere. We try to develop the airport.

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

... (*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान: सर, बनारस एयरपोर्ट के बारे में बताएं?

MR. CHAIRMAN: Let him complete.

SHRI AJIT SINGH: Then, I point out that yes, most of the Members were talking about Allahabad, Gorakhpur, Banaras... (*Interruptions*) Many MPs from UP here are concerned about the aviation sector facilities.

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): मंत्री जी, मुझे बुंदेलखंड के बारे में पूछना है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: What is this?

SHRI AJIT SINGH: I will answer. Please wait. I am from UP also, not just from West UP. I am from UP.

I understand whether it is Uttar Pradesh or it is Bihar or it is Rajasthan or Madhya Pradesh, aviation industry has not developed here as it should have, concerning their population and everything.

Now, we are trying to correct that mistake. Shri Mulayam Singh ji is here. With the cooperation of the State Government – I want to assure him and the MPs from UP – that we will take up the airport construction and start air services in UP. You may be political rivals but in this thing we are together. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He has already explained about Patna.

... (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: Sir, Patna was discussed but he was not here. ... (*Interruptions*)

Please let me complete. If Mr. Chairman allows any questions, I will answer them.

MR. CHAIRMAN: Please let him finish. I will allow you to speak.

... (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: I request my colleagues not to shout down Mr. Lalu Prasad. ... (*Interruptions*)

I do not think I have talked anything irrelevant here. All these questions have been raised by hon. Members. So, do not say that leave all those issues and come to strike. I have to request all my colleagues not to shout down Mr. Lalu Prasad. I would hear his question and satisfy him as far as I can.

Let us come to the issue of strike.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He is discussing about the strike issue. You wait and listen to him.

... (Interruptions)

SHRI AJIT SINGH: I would like to remind the hon. Member that Bundelkhand is still a part of UP and I have already talked about UP. So, let us come to the strike.

That is exercising all our minds not only here but it has caused a lot of problems. As Mr. Nirupam said that at Mumbai airport, it is causing a lot of problems. Lots of passengers have been inconvenienced. Air India has lost Rs.850 crore. I would like to point out, I saw it on TV, that one passenger said, 'When I die I will ask my children not to fly by Air India.' Credibility of Air India has been

dented. For the last three months, Air India had been improving. Their revenues went up 35 per cent. Their yield went up. Their equipment usage went up. Their credibility was going up. For whatever reason this strike took place ....

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH: Send them to jail.

SHRI AJIT SINGH: Please, no. They are our children. Basically, they are our people. They are doing a useful service to the country. Just not be harsh on them. They may have a point. The whole point is that they called a strike at this time when that Rs.30,000 crore has been approved by the Government and when the banks are finding it very difficult to loan any money to any airline industry. They are beginning to murmur, 'Should we give this money to Air India now?' Will this Rs.30,000 crore be able to save Air India?

As I said earlier, without the cooperation of the employees – whether they are pilots or engineers or baggage handlers – no airline can survive. Especially for Air India, whatever money we give, unless it becomes competitive with the rest of the industry, it will not survive for their thrive into becoming competitive. They have to follow the industry norms for their costs, for their promotions, for the number of employees because we cannot keep pouring public money into Air India any more. I am sure and you Members will agree that Air India will not deserve any more money.

I am sure, as employees have grievances, many of the Members of Parliament also have more questions and they are welcome to come and discuss them with me any time.

Coming back to the strike, I will not go into the earlier strikes as to how they have caused problems, why India's reputation, as our dear friend who loves Air India than anything else, it seems...... (*Interruptions*) Shri Shatrughan Sinha knows *Bhai Saheb* and *Bihari Babu*.

I will not go into why Air India is in such a dire strait. Yes, there are management problems, maybe wrong decisions, which happen to everybody. Everybody is talking that the merger that took place was a wrong decision. Yes, if

I look back at my career, I made a lot of mistakes ten years ago, five years ago, fifteen years ago and if I had not made those mistakes, things would have been different. But at that time in life, this seemed the right decision. So, in 2007 when they wanted this merger, that may have seemed to be the right decision. Now in retrospect, we can criticise it. As I mentioned earlier that the integration has not taken place is also a reason why we are seeing this problem and are criticising the merger today.

I will not go into the overall reason for this strike. This strike... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: When the Minister comes to a certain point, please do not divert his attention. Then, he cannot answer. He wants to speak about the strike which is the concern of all the Members. He is explaining that.

SHRI AJIT SINGH: This strike, of which incidentally I came to know only after it had happened, was on four points. One was, they wanted exclusive right to fly dream-liners. That means, exclusive right to training on the dream-liners. They wanted to fly first class when they are not flying on duty. They had some arrears from 2007 to 2009. They wanted that right now. They wanted to have an agreement with the management that if they do not get promoted to Commander in 10 years, maybe there is no room, maybe they do not qualify, we will still make them Commanders and give them all the facilities. They wanted that 10 years should be reduced to six years. These were the four demands. They discussed with the CMD. From what I know, the Air India management agreed to pay the arrears. For flying first class they said no. All of us want to fly first class. But, that is not such an issue that you want to go on strike.

About the training aspect, there are two different unions – erstwhile Air India Pilots and the International Pilots Guild and the other is the erstwhile Indian Airlines Pilots who have a different union. The IPG went to Bombay High Court and got a stay that only they will be allowed to go on training; the other Airline pilots will not be allowed to go on training. The Government did not go in for an

appeal. The other Airline Union went in for an appeal and the Supreme Court vacated the stay saying that it was a management decision and allowed us to send both erstwhile Air India and Indian Airlines pilots for training. That was the main reason why they struck after talking only to the Air India management. They did not talk to the Civil Aviation Ministry; they did not talk to me and I am sure they did not talk to their well-wishers here also. They went on flash strike.

The Air India went to the High Court. The High Court declared the strike illegal; asked them not to call in sick and report for duty. That was five or six days back. They are still getting sick. What is surprising is the leaders of the Union are publicly saying that tomorrow so many more pilots will get sick.

If this is a genuine sickness, how can that happen? They should not have used this ruse because the job of an airline's pilot is very sensitive and his health is also very important. They should not have used that excuse for getting their demands accepted because when they say that they are well and then they suddenly get sick, how would you believe them? We could not do anything about that because the Supreme Court has already given an interim order. The final judgement has not yet come. IPG can still wait for the final judgement. If it says that only they will go on training, we will all accept it. We should all accept the court's judgement so should the pilots. They are not above the law. They are our children, they are very useful and they deserve all the sympathy. It is a tough job that they do – flying abroad and living away and all those things – although I am sure, lot of people love that kind of life.

Anyway, their next demand was to reduce the period for making them commanders from ten years to six years. They know it and everyone in the airline business knows, and I am sure that almost all the Members of Parliament also know, that Dharmadhikari Report is here. We have looked at it. Right now, we are studying what the impact of implementing those recommendations would be on pilots, engineers and all other employees. We are not studying its impact on one pilot only but every pay-scale pilot. We are collecting that data from Air India and

within next two to three months, we are going to discuss it with IPG and other union. As I said, without their cooperation, it will not work anyway. So, what was the big deal to go on a flash strike? Could they not wait until Dharmadhikari Report comes? Even when the CMD of Air India had assured them that things relating to their progression will be totally taken care of and that they will not suffer in any way, they went on a flash strike, an illegal strike. I would appeal to them that I am ready to talk to them. ... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, shall I make a small point? ... (*Interruptions*) SHRI AJIT SINGH: Sir, you can make all the points, but little later. Let me complete. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please have order in the House.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair. I do not want any argument amongst the Members.

... (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: Sir, through you, I would like to request our dear friend from West Bengal not to get agitated at *dada*.

They went on flash strike and I came to know about it, as I said, only when after 10 p.m. my PS called me to say that some pilots had gone on sick leave.

Now I understand and I have said that I do not think that these four grievances were such that they should have gone on strike during the peak travel season when Air India is already almost bankrupt and when the Rs. 30,000 crore bail out itself is being questioned by lot of people. They are asking why we are giving that kind of money to it.

They could have come to me and talked to me. They could have waited for one or two months till Dharmadhikari Report is out and then, anyway we would have discussed with them, and at least, they should have listened to the judgement

of the High Court. That is sacrosanct for everybody. There can be no exception for anybody not to follow the law. I would still say that not only these four issues, but they may also have some other legitimate grievances — I agree that they may be there — but unless we discuss them, I will not come to know of them. Unless they come and discuss, I cannot find any solution to them. But this kind of a strike is not the answer to solve any grievance.

The main business of the pilots is to ferry passengers from one place to another. I would request them that all their grievances will be heard unconditionally, but they should also come unconditionally. I would request them to please go back to work. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please let him finish.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Dasgupta, I will allow you to speak. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Mr. Minister, please call them. ... (*Interruptions*) SHRI AJIT SINGH: Sir, I would like to assure all the hon. Members that Air India Management will in no way be vindictive towards any of the employees, but they should realize ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Why are you shouting? I am here.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Why are you shouting at him? Please take your seat. The Minister is replying. If at all I am going to permit him and if he wants to ask, then I am going to allow him after his reply and he will reply to it. Please let him finish.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Dasgupta, I will allow you to speak. Please let him finish his reply.

... (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: Sir, I would just like to point out that perhaps Dada will have no questions after he hears me. So, at least, he should listen to me. Maybe, what I

am going to say will answer his question anyway, and if it does not answer the question, then the hon. Chairman has already said that he will allow him to speak.

So, all that I want to say is that I want to assure the House and I want to assure the pilots that the Air India Management knows that there are a lot of young people who have just joined there. Nobody will be vindictive to those people. But their first priority should be that passengers do not get inconvenienced. Their other priority should be that if Air India sinks, all their jobs will go away with it. It is not only theirs, but all other thousands of employees of Air India who are not as fortunate as them. They are the highest paid echelons of the airlines industry, and they deserve it. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, do not interrupt him. Please allow the Minister to complete his reply.

## ... (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: So, with the salient powers come responsibility also, namely, responsibility towards Air India; responsibility towards passengers; and responsibility towards other employees of Air India.

I will request them again and again -- as everyone is saying that they are our children -- to please go back to work; help the passengers; and do not create problems for them like what happened in the Mumbai airport or Delhi airport. We are ready to listen to all your demands and discuss with you threadbare, and if you are not satisfied with them, then I am sure that there are many friends here who will come and speak for them and you know that some of these are such old colleagues that I will have to listen very carefully and only if it is impossible, then I will deny their demands. Otherwise, I will agree to their demand.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, I started the discussion. ... (*Interruptions*) I agree with many of the points that you have made. Please look into my speech. At the beginning, I said that cat-call strike is not a part of trade unionism. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please do not comment. Please let him speak.
... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I have said it. I have also said that they should withdraw the strike. I am one with you in appealing to them to withdraw the strike. But Ajit babu, I have a point. The point is that you had terminated 80 pilots and you had withdrawn licenses of 11 pilots. I am requesting you that they should not put any pre-condition, and you do not put any pre-condition. Be magnanimous. You are the Minister of this country representing 120 crore people. You call them unconditionally for discussion, and we shall do our best to persuade them to cooperate with you. I appeal to you to call them unconditionally.

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं घर से भागा-भागा आ रहा हूँ। माननीय मंत्री जी का जवाब मैं टैलिविज़न पर देख रहा था। जल्दी-जल्दी कुर्ता-पायजामा पहनकर निकल आया। ...(व्यवधान) आप बैठिये।

सभापित जी, माननीय मंत्री अजित सिंह को मैं दोषी नहीं मानता हूँ। इसिलए कि जब इनको मौका मिला तो यूपी का चुनाव था और फिर स्ट्राइक आ गई। यह सारी लाइबिलिटी मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। मैं कैबिनेट में था जब मर्जर की बात हो रही थी और नए जहाज़ खरीदने की बात हो रही थी। तो कैबिनेट में क्या-क्या कहा, वह गोपनीयता का हम ज़िक्र नहीं कर सकते हैं, उस बात को हम पचाकर रखते हैं।

एयर-इंडिया के जो पायलट्स हैं और इंडियन एयरलाइन्स के जो लोग बच गए, अपने जहाज़ों से हम जो विदिन कंट्री ट्रैवल करते हैं, उनमें बहुत डिसक्रिमिनेशन है सैलेरीज़, सुविधा और फैसिलिटीज़ के मामले में और अभी नए जहाज़ आने वाले हैं। एयर इंडिया को मारकर रखा गया है। जैसे मैच में फिक्सिंग हो रही है, वैसे ही इसमें भी फिक्सिंग हो रही है। यह कार्टल बना हुआ है, लूट मची हुई है। हमारा हक था और विदेशी कंपनियाँ आकर हमारे देश के लोगों को सिंगापुर से लेकर, दुबई से लेकर चारों तरफ हमारे पैसेन्जर्स को लेकर जा रही हैं, आ रही हैं। मंत्री जी ने ठीक कहा कि पीक सीज़न है, लोग बाहर से आते हैं। अगर हम एयर इंडिया के हालात को मर्जर के बाद देखें, सुविधा देने के बाद देखें तो हमारे जहाज़ों को

मारकर रखा गया, न उनमें कोई सफाई है, न कोई फैसिलिटीज़ हैं। फिर यह हड़ताल। लोग प्रैफर करते हैं और विदेशी जहाज़ों में जाने का काम वे करते हैं। अभी चुनाव आ रहे हैं। हमने मंत्री से कहा कि जो नए लड़के आ रहे हैं, नए जहाज़ आ रहे हैं इंडियन एयरलाइन्स के, तो इनको ट्रेनिंग देने का जो फैसला आपने लिया है, हमें मालूम हुआ कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कार्टल बनाकर रखा है, वे मना कर रहे हैं और शायद यही स्ट्राइक का कारण है। यह मंत्री जी ने स्वीकार किया है। हम लोग इस हड़ताल को अप्रूव नहीं करते हैं, अनुमोदन नहीं करते हैं। लेकिन जो भेदभाव है, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का, एयर इंडिया का नाम तो हमारे जहाज़ में भी लग गया। लेकिन वहाँ जो स्टाफ है, महिलाएँ हैं, पायलट्स हैं, समय पर उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, कई महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। उनको तनख्वाह नहीं मिलती तो वे हमें कंप्लेन्ट करते हैं। कभी-कभी लोग हमें बोलते हैं कि आप कब जहाज़ मंत्री बनेंगे। लोग हमें बोलते रहते हैं, आप लोग लड़ते रहते हैं। इसलिए मंत्री जी से मैं साफ-साफ इस बात को कहना चाहता हूँ कि एम.पी. किसी के सिम्पैथाइज़र नहीं हैं। यह हड़ताल और पैसेंजरों को जो दिक्कत हो रही है, यह हमारे लिए कंसर्न है, यह चिन्ता का विषय है। आप इसको ठीक-ठाक करिये और जो पेइंग रूट है, पेइंग रूट में प्राइवेट प्लेयर को अलाऊ किया गया है। वह पैसेंजर को ढोकर चला जाता है और आपका जहाज़ बैठा रहता है। इस बात को भी आपको देखना चाहिए। आपने हमें अथॉरिटी दी, मंत्री जी ने बिहार के एम.पीज़ को कहा कि पटना एयरोड्रोम में कभी भी एक्सीडैन्ट हो सकता है। हमारे पायलट वहाँ जाते हैं, इतना कड़ा ब्रेक लगाते हैं कि उसकी मजबूरी है लेकिन कभी भी एक्सीडैन्ट हो सकता है। जो लोकल व्यवस्था है, उसमें हम एक्सटैन्शन नहीं कर सकते। जब हम थे तो हमने उधर कुछ ज़मीन दी थी और उसका विस्तार हुआ। आपने सभी बिहार के एम.पीज़ को कहा है कि आप लोग पटना जाइए और हमें ज़मीन दीजिए और आपको हम इंटरनेशनल हवाई अडडा देते हैं। हम आपको बताने आए हैं कि एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए गोरखपुर में मुख्यालय था और वह बिहटा लाया गया था। वह सारी शर्तों को पूरा करता है। बीहटा में आप लेकर चलिए। बीहटा में खोलिए। वह अबैन्डेंट पड़ा हुआ है। एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए गोरखपुर में मुख्यालय था और लाया गया था बीहटा। वह सारी शर्तों को पूरा करता है। आप बीहटा में लेकर चिलए। बीहटा में हवाई अड्डे को ले जाइए। इस मामले में एयरफोर्स से बात कीजिए और बीहटा में लेकर चिलए। वह अबैन्डेंट पड़ा हुआ है। आप बीहटा में हवाई अडडे को लेकर चिलए। इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।

श्री हैं। आपने बड़ा पोलिसी एनाउंस किया है कि आप छोटे एयरपोर्ट्स बनाएंगे और मैं इसका स्वागत करते हुए

मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हर राज्य की राजधानी में एयरपोर्ट है, जिसकी चर्चा लालू जी ने की, जब उनकी सरकार थी और मैं नागरिक उड्डयन मंत्री था। उस समय हमारे और लालू जी के बीच में बहुत वाद-विवाद के बाद जमीन मिल गई थी और उसके आगे कब्रिस्तान था, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता था। मैंने जो सवाल उठाया, मंत्री जी ने अड्रैस किया कि जो राजधानी और मेट्रो शहरों में लोग पैदा हुए हैं, केवल उन्हीं के लिए एयरपोर्ट नहीं हैं, छोटे शहर के लोगों के लिए भी एयरपोर्ट है। जैसे नम्बर दो शहर हैं, बिहार में भागलपुर है, जहां से मैं सांसद हूं और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हूं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भागलपुर जैसे शहर को लखनऊ के बाद इस तरह के शहर को जहां तीस लाख की आबादी है, वहां छोटा रन-वे एयरपोर्ट बनाने की क्या कोई योजना रखते हैं? मेरा यह आपसे प्रश्न है?

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): मेरा बहुत छोटा-सा सवाल है। सबसे पहले मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने आजमगढ़ की चर्चा की है। यहां से बहुत से पैसेंजर बाहर जाते हैं दुबई, दिल्ली, लखनऊ। दूसरी बात है कि वाराणसी बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और बनारस का महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, जिसे देश की कल्चरल केपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि देश-विदेश से बहुत लोग आते हैं। अभी तक यह पता नहीं चला है कि यह किसके नाम पर है। जब फ्लाइट लैंड करने वाली होती है, तब सुना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट नाम की घोषणा की जाती है। यह एयरपोर्ट इतना लम्बा-चौड़ा है, लेकिन कहीं भी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है। जिस व्यक्ति ने देश में एक मिसाल कायम की थी कि एक छोटी-सी दुर्घटना के कारण अपना पद त्याग दिया, जिसने "जय जवान जय किसान" का नारा दिया। उनका नाम बनारस एयरपोर्ट पर नहीं लिखा गया है। मेरी अपील है कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट लिखवाया जाए।

SHRI BASU DEB ACHARIA: The Strike has created inconvenience to the passengers. The crisis which is there in Air India has also been accentuated. Now, I appeal to the striking pilots that they should withdraw their strike. I also appeal to the Minister and to the Government that they should also come forward and start discussion and resolve the issue so that normalcy is restored. Without further delay, this should be done initially from the Government.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: महोदय, मैं मंत्री जी को एडमायर और एप्रीशिएट करता हूं, साथ ही छोटा सा क्लैरीफिकेशन चाहता हूं। मेरे दो-तीन छोटे-छोटे सवाल हैं कि आपने पटना एयरपोर्ट के बारे में बताया कि पटना एयरपोर्ट का विस्तार सम्भव नहीं है। हालांकि जैसा कि लालू जी ने कहा कि सबसे खतरनाक

एयरपोर्ट है। हमने भी कहा, आप भी जानते हैं और सब मानते हैं। हादसा कभी भी हो सकता है। आपने कहा कि हमें जमीन दे दो, क्योंकि जमीन की कमी है। मेरा सवाल यह है कि जब तक हमें जमीन हासिल नहीं होती है, जैसा कि लालू जी ने कहा, हम बीहटा नहीं जा पाते हैं, कोई कहीं और ले जाने की बात कह रहा है, तो क्या तब तक हम डायनामाइट के ऊपर बैठे रहें? तब तक क्या होगा? मंत्री जी या तो वहां पर बड़े- बड़े जहाजों को बंद करें, नहीं तो कोई तरीका निकालें। पटना एयरपोर्ट के बगल में बोटैनिकल गार्डन है, रेलवे लाइन है। उसका एलाइनमेंट ठीक करें, यह बहुत जरूरी है।

मंत्री जी, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि हड़ताल कब तक खत्म होगी, कैसे खत्म करेंगे? यह होना चाहिए।

जो घोटाले हुए हैं, इनके ऊपर सीबीआई जांच हे (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) \*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापित जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में इलाहाबाद में महाकुम्भ मेला लगने वाला है। देश-विदेश से वहां पर करोड़ों तीर्थ यात्री आएंगे। वहां विदेशी भी आते हैं। वहां एयरफोर्स बेस एयरपोर्ट है। इरादतगंज में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए क्या कोई योजना है?

दूसरी बात यह है कि हमारे यात्री, विदेश जाने वाले या आने वाले, सभी परेशान हैं। आज आपने कहा कि वे बिना शर्त यात्रियों को ले जाएं, ले आएं, वे स्ट्राइक समाप्त करें, हम उनकी सभी मांगें मान लेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि क्या आप इस सदन में घोषणा कर देंगे कि वे हड़ताल खत्म कर देंगे। वे मान लेंगे। आप कॉल कर दीजिए। वे हड़ताल खत्म कर देंगे। ... (व्यवधान)

SHRI AJIT SINGH: Mr. Chairman, Sir, your kindness has allowed, it seems, to make me start again. I would like to point out that besides this Parliament where I am answering the questions, there is a Civil Aviation Ministry; there are officers; and I am there. All these MPs have all the right to come with their grievances and talk to me, any time. Therefore, I know their problems about this airport or that

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

airport. My answer here is not the final word. They can always come and talk to me.

I would like to tell Shri Dara Singh Chauhan that we are not only going to name it but we are also going to install a statue of Shri Lal Bahadur Shastri at Benaras Airport.

About Patna, we or the Airports Authority can just spend the money on the existing thing. That would take years. The better thing would be to get us the land as soon as they can. But then, please do not say that it is a wasteful expenditure. Otherwise, they would complain later that we have spent so much money on this. It would take two or three years. By that time, they would say that they are giving the land. They would ask us to make it there. They have to decide about it. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

SHRI AJIT SINGH: About the strikers, I understand the sentiments of the people. I have already said that there would be no pre-conditions. Everybody knows and everybody has appealed to them to end the strike. Please ask them... (*Interruptions*) Are we going to discuss this with different trade unions in this House? Are we going to discuss that here?

MR. CHAIRMAN: Whatever you want, you tell.

SHRI AJIT SINGH: Therefore, I would appeal to all the Members to request these pilots to obey the law and worry about the passengers. We are open to any discussion with them.

MR. CHAIRMAN: We will take up Zero Hour matters now. Hon. Members, please take one minute each because we have to complete the list in the next ten to fifteen minutes. Shri Ijyaraj Singh.

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): सभापति महोदय, मैं एक ऐसी समस्या का जिक्र करना चाहता हूं, जिसकी जानकारी सब को है, पर इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे देश में कई प्राइमरी स्कूलों में,

माध्यमिक स्कूलों में एवं सैकेण्डरी स्कूलों में छात्रों के लिए खेल के मैदान नहीं हैं और जहां हैं, उन मैदानों में स्कूल की बाउंड्री नहीं है। स्कूल के परिसर में कई जगह बाउंड्री नहीं है और इस चारदीवारी नहीं होने की वजह से हमारे मुख्य रूप से देहाती इलाकों में, छोटे शहरों में एवं कुछ जगह बड़े शहरों में भी काफी समस्या है। चारदीवारी नहीं होने की वजह से मैदानों में अतिक्रमण हो रहा है और चारदीवारी नहीं होने के कारण स्कूल के परिसर में कई बार आवारा पशु घूमते रहते हैं। एक जगह पढ़ाई होती है तो दूसरी जगह उसकी बगल में पशु आते जाते रहते हैं। शाम के समय, रात के समय, खासकर कस्बों में एवं बड़े शहरों में असामाजिक तत्व वहां जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सदन में इस मांग को रख कर सरकार का ध्यान इस आकर्षित करना चाहता हूं कि स्कूल के मैदानों में चारदीवारी हो। स्कूल के मैदान हों, जहां बच्चे खेल सकें और स्कूल की सुविधा में उचित प्रकार का पेयजल और शौचालय बनाये जायें, इस पर सरकार ध्यान दे।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi is allowed to associate with the issue raised by Shri Ijyaraj Singh.

श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े - अनुपस्थित।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I would request the hon. Members to take one minute each. Otherwise it would be very difficult to complete the list. It is already 8 p.m. now. So, please take one minute each. Come straight to the point.

श्री पशुपित नाथ सिंह (धनबाद): सभापित महोदय, बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों की जमीन, जो कि बी.एस.एल. के द्वारा पचासों वर्ष से अनुपयोगी है, उस जमीन पर करीब 50 हजार लोग झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं, जो बोकारो स्टील प्लांट, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, बोकारो में काम करने वाले ठेकेदार, मजदूरी करने वाले तथा रोज रोजी-रोटी कमाने वाले गरीब तबके के लोग हैं। उन्हें हटाने के लिए बी.एस.एल. ने सार्वजिनक नोटिस दिया है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। सभी विस्थापितों को अभी तक उचित मुआवजा और नियोजन भी नहीं दिया गया है।

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि बी.एस.एल. के विस्थापितों को उचित मुआवजा एवं नियोजन अविलम्ब दिया जाये तथा झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले 50 हजार घरों को दिल्ली तथा मुम्बई के जैसे नियमित किया जाये।

MR. CHAIRMAN: Shri Ravindra Kumar Pandey is allowed to associate himself with Shri Pashupati Nath Singh on this issue.

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नरसिंहपुर जिला पिछले 10 वर्षों में देश को भारी मात्रा में गुड़ और शक्कर का उत्पादन तो दे ही रहा है, साथ ही शक्कर उद्योग के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कृषि मंत्रालय नरिसंहपुर जिले में गन्ना अनुसंधान केन्द्र स्थापित करे, जिससे अच्छे बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, गन्ने की फसल में लगने वाले रोग, शक्कर की मात्रा में कमी जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सके। गन्ना अनुसंधान केन्द्र खुलने से नरिसंहपुर जिले में गन्ना उद्योगों को स्थानीय स्तर पर विश्व स्तर का मार्गदर्शन मिलने लगेगा, जो उनकी पैदावार बढ़ाने एवं तरक्की का कारण बनेगा। इस हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, केन्द्रीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र, कोयम्बटूर को निर्देशित करने की कृपा करे, जिससे उक्त संस्थान को खुलने का मार्ग प्रशस्त हो और नरिसंहपुर जिला देश में जो शक्कर की सप्लाई कर रहा है, बेहतर दृष्टि से वह शक्कर सप्लाई करता रहे।

MR. CHAIRMAN: Shri Rao Inderjit Singh, please mention briefly what you want. RAO INDERJIT SINGH (GURGAON): Sir, I will speak if you allow me. If you do not want to allow me, I will not speak.

MR. CHAIRMAN: I am allowing you, but be brief.

RAO INDERJIT SINGH: But you are putting a condition even before I open my mouth.

MR. CHAIRMAN: During Zero Hour, always condition will be there. You only have to be very brief. That is the condition. You continue.

राव इन्द्रजीत सिंह: चेयरमैन साहब, मैं राजमार्ग नं. 8 के विषय में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो दिल्ली-जयपुर-आगरा के गोल्डन ट्रायेंगल का अहम रास्ता है।

टूरिज्म के लिहाज से उसका एक अहम हिस्सा दिल्ली और जयपुर हाईवे वाले गुड़गांव जिले में, रिवाड़ी जिले में, अलवर जिले में होते हुए जयपुर तक जाता है। जो व्यक्ति राजस्थान का नजारा देखना चाहता है, जो व्यक्ति अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ाना चाहता है, जो उदयपुर जाना चाहता हूं, जो मुम्बई जाना चाहता है, वह राजमार्ग नं. 8 से गुजरते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है।

समस्या यह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली से लेकर राजस्थान, जयपुर तक का जो बॉर्डर है, वहां का सौ किलोमीटर का नेशनल कैंपिटल रीजन का हिस्सा है, उसके अंदर इतनी ज्यादा बाधाएं हो गयी हैं कि जो दूरी डेढ़ घंटे में तय की जा सकती थी, आज उस सौ किलोमीटर के फासले को तय करने में चार-चार घंटे लग जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मुख्य रूप से दो जगह पर टोल टैक्स बैरियर है। एक तो 24 किलोमीटर के ऊपर, नेशनल हाइवे नम्बर-8 गुड़गांव (DLI) Border पर है, जहां दिल्ली शुरू होती है, वहां पर 24 किलोमीटर के ऊपर एक टोल टैक्स बैरियर लगा दिया गया है और दूसरा टोल टैक्स बैरियर 42 किलोमीटर के ऊपर इसी राजमार्ग के ऊपर लगा दिया गया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं और इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा कि 18 किलोमीटर के अंदर-अंदर आपको दो बार टैक्स देना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा विचलित कौन हो रहे हैं, किसका गला घोटा जा रहा है, जो गुड़गांव शहर है, उसका गला घोटा जा रहा है। अगर कोई दिल्ली जाना चाहता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। अगर वह जयपुर जाना चाहता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। अगर वह जयपुर जाना चाहता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। विस्ता चाहता है तो भी उसे टैक्स देना पड़ता है।

मैं श्रीमान् जी आपको बताना चाहता हूं कि इन नेशनल हाइवेज अथॉरिटी की ( नेशनल फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन ) रूल्स, 2000 के तहत साठ किलोमीटर के अंदर-अंदर दूसरा टोल टैक्स बैरियर नहीं होना चाहिए था, लेकिन गुड़गांव ही ऐसी मुर्गी है, जिसे आप हलाल करने में लगे हुए हैं। 18 किलोमीटर के अंदर दो बार इसे देना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी लिया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि कारपोरेशन गुड़गांव में बन गयी है। कानून के मुताबिक जहां पर कारपोरेशन होती है, वहां दो बार टैक्स नहीं लिया जाता है, एक बार भी नहीं लिया जाता है, लेकिन दो बार लिया जा रहा है। ...(व्यवधान)

अंत में, मैं समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो Frenchise को बीस साल की मियाद मिली थी, पचपन करोड़ टोटल इनवेस्टमेंट इस 18 किलोमीटर के ऊपर खर्च करने के बाद, वसूली करने के लिए बीस साल की जो इनको मियाद मिली थी, वह पूरी वसूली इनकी सात साल के अंदर हो गयी है। इन्होंने अगस्त, 2011 तक उस 55 करोड़ के खर्च के मुकाबले में 68 करोड़ रूपए आज के दिन तक वसूल कर लिए हैं और भारत सरकार को हिस्सा दिया भी नहीं है। ...(व्यवधान) चेयरमैन साहब, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए निर्देश दें। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Okay. You made your point. Please sit down. Shri Laxman Tudu.

SHRI LAXMAN TUDU (MAYURBHANJ): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak in this august House.

Sir, I represent the people of poor and backward tribal-dominated Parliamentary constituency of Mayurbhanj in Odisha. After several demands from the people of my constituency, an All India Radio Station with one KW transmitter has been set up by the Ministry of Information and Broadcasting at Rairangpur town in my constituency. But I am sorry to say that even though this Station has been set up some years back, it is yet to be made functional. As a result of this, the poor people of Rairangpur town and its surrounding villages are deprived of the service. Therefore, I request the hon. Minister of Information and Broadcasting, through you, Sir, to kindly take immediate steps to set up the Station soon.

खॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापित महोदय, राव इंद्रजीत सिंह साहब ठीक कह रहे थे कि भूतल परिवहन और राजमार्ग विभाग का बड़ा बुरा हाल है। हमारे यहां पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल है, यह कब टूटकर गिर जाएगा, पता नहीं। मांडवी नदी में जो पुल की दुर्घटना हुयी थी, इससे सबक लेना चाहिए। अगर ऐसा यहां हुआ तो इसमें हजारो-हजार लोग मरेंगे। यह उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की लाइफ लाइन है। 24 घंटे में यहां से 64 हजार गाड़ियां गुजरती हैं। वहां महाजाम लग जाता है। नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन वह पुल आ गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुयी, न सड़क दुरूस्त हयी, न पुल दुरूस्त हो रहा है, न जाम छूट रहा है।

महोदय, इसी तरह से मुजफ्फरपुर से बरौनी हाइवे की जो सड़क है, यह सड़क चौपट है, चलने लायक नहीं है। छपरा से रेवा मुजफ्फरपुर, जो एनएच 102 है, उसका भी बुरा हाल है। सरैया में पुल टूट गया, डायवर्जन टूटा जा रहा है और गाड़ियों की आवाजाही में भयानक रूकावट है। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का लाइफ लाइन जो एशिया का सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु है, उसे तुरंत टूटने से बचाया जाए।

## 20.00 hrs.

मुजफ्फरपुर-बरौनी सड़क को फोर लेन कर के सड़क को दुरुस्त किया जाए और एनएच-102, छपरा, रेवाघाट मुजफ्फरपुर का जो पुल टूटा हुआ है उसको दुरुस्त किया जाए।



श्रीमती जयश्रीवेन पटेल (महेसाणा): सभापित महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका एवं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। एक लेप्टोस्पाइरिस एक प्राणीजन्य रोग है। जो भारत और मध्य अमेरिका इस रोग की एनीमीसिटी के संदर्भ में एल टू में वर्गीकृत करने में आई है। इसका मतलब है कि यह संक्रमनजन रोग अन्य स्थानों में भी पाया गया है। एक लाख की बस्ती में लगभग इस रोग के 25 केस दिखाई दिए हैं। यह परिमाण अलग-अलग जगह भिन्न है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इसके चपेट में आते हैं। किन्तु यह रोग नोटिफायबल न होने के कारण जानकारी एवं निवारण के स्त्रोत मर्यादित संख्या में हैं। जो भी माहिती उपलब्ध है वह रिजस्टर और वेरिफायड केसों के आधार पर है। यह संख्या असल में पांच से बीस केस कम होगी जो वास्तविक केस हुए हैं। गुजरात में यह रोग गरीब आदिवासी लोगों में नजर आता है। जिसका परिमाण नए विस्तारों में फैलने के कारण बढ़ता नजर आ रहा है। तदुपरान्त इस रोग का निदान रोग के लक्षणों पर करना मुश्किल होने से डाक्टर को निश्चित लेबोरेट्री परीक्षणों पर अवलंबित रहना पड़ता है। इसका परीक्षण अद्यतन लेबोरेट्री में कर सकते हैं। यह रोग विविध प्रकार के प्राणियों में नजर आता है तथा इस रोग के जिम्मेदार जन्तुओं की जटिलता के कारण इस रोग की अकाट्य नियंत्रण हेतु सेन्टर ऑफ एडवांस रिसर्च की दरख्वास्त 15.02.2012 को भारत सरकार को पेश की गई थी। अगर ऐसी संस्था गुजरात में स्थापित की गई तो इसका लाभ पड़ोसी राज्यों को भी मिलेगा।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त सेन्टर जल्दी से जल्दी गुजरात में स्थापित करें। श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मैं शून्य प्रहर में बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु पर प्रकाश डालना चाहता हूं। दिनांक 4 मई, 2012 को सरकारी पैनल ने बहुत दिनों से चली आ रही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी मांग को खारिज कर दिया है। सरकारी पैनल से इस मांग को खारिज करने से सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बिहार के निवासियों गहरा झटका लगा है। उन्हें निराशा मिली है।

महोदय, इसी प्रकार पैनल ने यह भी कहा है कि बिहार में विकास की बहुत भारी कमी है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से भी कम है। बिहार का मानव विकास सूचकांक भी सब से कम है। यह भी इसी सरकारी पैनल ने कहा है। सरकारी पैनल ने बिहार के विशेष दर्जे की मांग को खारिज करते हुए यह भी कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मानक को पूरा नहीं करता है फिर भी बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में एक है। बिहार में विकास की बहुत भारी कमी है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से भी कम है। ...(व्यवधान)

महोदय, जब सब कुछ इतना है तो इसे विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार नहीं चाहती है बिहार राज्य की तरक्की हो क्योंकि वहां पर विपक्षी सरकार है। ...(व्यवधान)

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): The Rockfort Express, which was originally operated from Tiruchirappalli to Chennai... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You wanted to give special status.

... (Interruptions)

श्री कौशलेन्द्र कुमार: सभापित महोदय, आप ने उन्हें चार मिनट समय दिया है। ...(<u>व्यवधान</u>) हम लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। नए सदस्य क्या बोलेंगे? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have to cooperate and keep in mind the time factor also.

... (Interruptions)

श्री कोशलेन्द्र कुमार: बिहार सरकार के माननीय नेता श्री नीतिश कुमार ने मांग किया है कि जो पैनल सेट अप किया है, उसके द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: This is your demand. What more do you want?

... (Interruptions)

श्री कौशलेन्द्र कुमार: महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि एक नया पैनल केन्द्र सरकार द्वारा यथाशीघ्र गठन किया जाए ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। पैनल का फिर से गठन किया जाए।

MR. CHAIRMAN: Shri Bhudeo Choudhary may be allowed to associate with the matter raised by Shri Kaushalendra Kumar.

SHRI P. KUMAR: Thank you, Chairman, Sir. The Rockfort Express was originally operated from Tiruchirappalli to Chennai and Chennai to Tiruchirappalli. Due to the gauge conversion in the main line, the Rockfort Express was extended up to Tanjavur in the year 2000 and up to Kumbakonam in the year 2004. Now the gauge conversion has been completed and the train services have been resumed in the main line between Chennai-Tanjavur. After resuming the services in the main line the Rockfort Express, which was extended up to Kumbakonam, has to be resumed as per the original schedule that is from Tiruchirappalli—

Chennai-Tiruchirappalli. But till now the Rock Fort Express is being operated from Chennai-Kumbakonam-Chennai, thus creating huge problems for the train passengers as well as the public of my constituency in getting reservation. They are demanding for the restoration of Rock Fort Express from Trichirapalli-Chennai-Trichirapalli, as per the original schedule. I have already raised the same matter several times in this House, since the year 2009.

The people of my constituency and some other social welfare organizations are organizing agitations demanding to restore the service of Rock Fort Express from Trichirapalli. A signature campaign was held and a memorandum was submitted to me which was signed by more than one lakh people.

To fulfil the demand of the people of my constituency, I urge upon the Ministry of Railways through this House to take immediate action to restore the service of Rock Fort Express from Trichirapalli-Chennai-Trichirapalli.

श्री महिन्दर सिंह केपी (जालंधर): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की ओर दिलवाना चाहता हूं। भारत और पािकस्तान के दरिमयान बस सेवा की शुरुआत की गई थी जो दिल्ली और लाहौर के बीच चल रही है। उसी मित्रता को आगे बढ़ाते हुए, जब मैं पंजाब में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था तब पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर और लाहौर और अमृतसर और ननकाना सािहब में बस सर्विस शुरू की गई थी। ननकाना सािहब एक बहुत ही मुकद्दस स्थान है जहां पहले गुरू श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक लेवा लोग इसे तीर्थ स्थान मानते हैं और नानक लेवा इंसान इसके दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आम लोगों को पंजाब से पािकस्तान जाने के लिए वीजा दिल्ली से लेना पड़ता है और जो बस सर्विस चलती है, वह या तो खाली जाती है या उसमें डेली एक या दो पैसेंजर ही जाते हैं। यह सेवा लोगों के लिए शुरू की गई थी, इसलिए इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचना चािहए। साथ ही अमृतसर और लाहौर में वीजा की सहूलियत शुरू की जानी चािहए क्योंकि पंजाब से जो लोग आते हैं, उन्हें पांच सौ किलोमीटर आना पड़ता है, लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले लोगों को भी पांच सौ किलोमीटर जाना पड़ता है। जो दो मुल्कों की दोस्ती हो रही है, उसमें और बढ़ोतरी लाने के लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां कंसुलेट ऑफिस खोला जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि स्टील प्रोसैसिंग यूनिट, बेतिया को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बीएसएल की देखरेख में निर्मित किया गया है। परन्तु उत्पादन के नाम पर यह यूनिट शून्य है। इसके उद्घाटन के लिए रोज नई-नई तिथि निर्धारित की जा रही है जबिक उक्त यूनिट में भिलाई से सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त एक सौ से ज्यादा पदों पर नियुक्ति कर दी गई है जबिक यूनिट को बने लगभग दो वर्ष हो चुके हैं एवं सभी कर्मचारी और अधिकारी नियमानुसार वेतन आदि भी ले रहे हैं जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह होगा कि बेतिया स्टील प्रोसैसिंग यूनिट को यथाशीघ्र संचालित करने हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किया जाए। इस पर भारत सरकार जरूर चिंतन करे कि बिना प्लांट चालू किए हुए अभी तक जो इतनी सैलरी की पेमैंट हुई है, यह स्टील अथॉरिटी का डायरैक्ट नुकसान है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**डॉ**. संजय सिंह (सुल्तानपुर): सभापित महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रात हो या दिन, जननी केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत आशा बहुएं कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में आशा बहुओं की योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2005 से संचालित है। उत्तर प्रदेश में आशा बहुओं की संख्या लगभग 4 लाख है। जैसा आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हजारों, करोड़ो रुपये का घोटाला हुआ है। कहीं अस्पताल है तो डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर हैं तो वे प्रैक्टिस नहीं करते। गांव में कहीं भी एएनएम सैंटर नहीं हैं, एएनएम सैंटर है तो एएनएम नहीं है।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो आशा बहुएं हर समय हर गांव में, रात में, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में जहां शिशु पैदा होता है, उसकी हर सहायता में लगी रहती हैं, उन्हें केवल 600 रुपये मानदेय मिलता है। वे न राज्य कर्मचारी हैं और न ही उनका कोई सम्मान है। आज हर जिले में सीएमओज़ उनका आर्थिक शोषण करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें कम से 10 हजार रुपये मासिक वेतन मिले, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और एएनएम भर्ती प्रक्रिया में प्रथम वरीयता दी जाए। उनका जो आर्थिक शोषण हो रहा है, उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you Mr. Chairman for giving me an opportunity to raise an important matter during 'Zero Hour'.

In my Constituency, Purulia, West Bengal, out of 30 lakh population, 95 per cent people depend on agriculture but the land is not fertile there. They are



also facing irrigation problems. The farmers and cultivators who earn their livelihood through farming and agriculture, have to depend on rain water. Many schemes of irrigation submitted by the State Government of West Bengal are pending with the Central Government for a few years. Therefore, to protect the lives of the farmers and to produce more crops in the un-irrigated land, there is a need to sanction and implement those schemes immediately for the sake of the people, especially the farmers of the un-irrigated land of Purulia, West Bengal.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bansa Gopal Chowdhury, it is a State-subject, therefore, you should only submit what you want from the Central Government.

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): सभापित महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहां चर्चा करना चाहता हूं। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की तरफ से पश्चिम बंगाल के इचापुर कोल ब्लाक से वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमैंट एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन को कोयला उठाने की अनुमित दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार से लाइसेंस लेने के बाद वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमैंट एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन ने किसी दूसरी कम्पनी को कोयला उठाने का काम दे दिया है। मेरा कहना है कि यह सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही बात नहीं है। पूरे देश में रिहैबिलिटेशन पैकेज देने के लिए कोयला मंत्रालय की तरफ से कोई काम नहीं किया गया है। इचापुर कोल ब्लाक में 12 से 14 गांवों को उजाड़ दिया जायेगा, जबिक वहां ज्यादातर शैड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी लोग हैं। वहां तफसीली जाित के शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। इस कारण वहां कोई रोड कनैक्शन नहीं है, पीने के पानी की काफी दिक्कत है और बच्चों को स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान)

सभापित महोदय, मेरा कहना है कि कोयला मंत्रालय की तरफ से रिहैबिलिटेशन पैकेज देने के लिए चर्चा होनी जरूरी है और उनकी जो मांग है, ...(व्यवधान) उस पर कोयला मंत्रालय जरूर ध्यान दें। MR. CHAIRMAN: Shri Prabodh Panda is allowed to associate himself with the matter raised by Shri Bansa Gopal Chowdhury.

\*SHRI NRIPENDRA NATH ROY (COOCH BEHAR): Thank you Chairman Sir. Through you I would like to draw the kind attention of the Government to a matter of urgent public importance. My constituency is Cooch Behar where there is an airport and till the year 1995, flights used to take off from the airport. But

<sup>\*</sup> English translation of the speech originally delivered in Bengali.

suddenly the service was stopped. Cooch Behar is an important town of North Eastern India. Many members from North Bengal have raised the matter earlier in the House and I have also mentioned the need of making the airport operational. Once, in 2008-09, the Central Government spent crores of rupees and decided to revive the airport. But nothing happened after that. Only in 2011, in August and September, flights were operated for two or three days. Again that was stopped. As you are aware that North Bengal is a backward region but flights used to take off even when Cooch Behar was a kingdom. Thus the sentiments of the people are associated with this issue. So keeping that in mind, the Government should immediately restart flight operations from Cooch Behar airport as all the infrastructures are already in place. This will also lead to overall development of the entire region. I urge upon the Government to consider this demand and take necessary steps in this regard.

I once again thank you sir for allowing me to raise this matter in this august House.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हं।

में राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। बीकानेर को एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन विगत तीन वर्षों में आर्थिक मंदी के कारण वुलेन इंडस्ट्री अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। केन्द्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है, लेकिन बीकानेर को अभी तक किसी भी टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं माना है, जबिक राजस्थान की कुल कार्यरत 285 ऊनी धागा स्पिनिंग कार्डों में से 230 अकेले बीकानेर में स्थापित हैं। बीकानेर क वूल डॉमिनेटेड मल्टी-सेक्टर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए प्रयास लंबे समय से किए जा रहे हैं। दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव (लघु उद्योग एवं खादी) की अध्यक्षता में वूल डॉमिनेटेड मल्टी-सेक्टर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्री से मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार के प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर में वूल डॉमिनेटेड मल्टी-सेक्टर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना शीघ्र

की जाए, जिससे बीकानेर में अंतिम सांसें ले रहा ऊन उद्योग पुनर्जीवित हो सके और बीकानेर के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।

SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an important matter of urgent public importance. On December, 30 a cyclone called *Thane* affected my district Cuddalore. In that cyclone cashew nut and jack fruit trees spanning over a land area of 50,000 acres were uprooted and more than lakhs of huts were destroyed. The State Government has announced a compensation of Rs. 3,000 for the construction of the huts and a sum of Rs. 3000 per acre of the crops. The Government of India has given a sum of Rs. 500 crore. But this is not enough for the people who have been affected. Now, the agriculturists engaged in the farming of jack fruits and cashew nuts want crop loan from the nationalized banks. But the problem here is that these crops, namely the jack fruits and the cashew nuts starts giving yield only after seven years of their being plants. So, the bankers are hesitant to give the loans because the first repayment of the loan could come only after seven years. So, I would like to request the Government to recommend to the nationalized banks for giving crop loans to the affected farmers.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले मेरठ का आधुनिक भारत के गौरवशाली इतिहास में अहम स्थान है। मेरठ महानगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हृदय-स्थल है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार लंका पति रावण की महारानी मंदोदरी का यह मायका है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर तथा इन्द्रप्रस्थ, जो वर्तमान दिल्ली है, के मध्य में स्थित यह महानगर परंपरा से गंगा-यमुना दोआबे का सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक केन्द्र रहा है। वर्ष 1857 में प्रथम स्वातंत्रय समर को प्रारंभ करने वाली क्रान्तिभूमि का गौरव मेरठ को प्राप्त है। हिन्दी की खड़ी बोली का यह जन्म-स्थान माना जाता है। साहित्य, लोक कला, संगीत एवं रंगमंच के क्षेत्र में भी मेरठ का विशेष स्थान रहा है। परन्तु मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर आकाशवाणी व दूरदर्शन केन्द्र नहीं हैं। लंबे समय से मेरठ तथा निकटवर्ती जनपदों के नागरिक मेरठ में ऐसे केन्द्र की मांग करते रहे हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मेरठ में बरेली व रामपुर की भांति दुरदर्शन व आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना हेतु अविलंब कार्रवाई करे।

MR. CHAIRMAN: Shri Arjun Ram Meghwal may be allowed to associate with the views expressed by Shri Rajendra Agrawal.

SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an important matter of urgent public importance. Belgaum is the fastest developing city in the State of Karnataka and is considered to be the second capital of the State.

The Ministry of Defence has a small plot of land, it's a cantonment area, around 36.54 metres near Circuit House which is blocking the road in Belgaum. We have been requesting the Defence authorities for many years to remove the cantonment from that area. Alternative arrangement has been suggested by the district authorities, but in spite of that the Defence authorities have not done anything in this regard. I would like to request the Ministry of Defence to immediately remove this obstacle which is creating a problem in the area. The Defence authorities have got around 7400 acres of land and the Government of Karnataka illegally has notified this land as a firing range. The compensation to this effect has neither been given by the Government of Karnataka nor by the Central Government. The Chief Minister of Karnataka and the Chief Secretary of Karnataka have already written to the Defence Ministry to pay the compensation and also stop the firings because in the vicinity there are schools and housing colonies in the area.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman Sir, over the past few months, a kind of dengue fever is spreading fast in my district, Tirunelveli, Tamil Nadu and the people living there are in constant fear. This disease particularly affects children and old people. It is now spreading fast to other areas and neighbouring districts also. About 1000 people have been affected due to the outbreak of this disease and 16 people have lost their lives. Out of them ten are children and six are aged people.

The reasons attributed for the spread of this disease are lack of quality drinking water and mosquito bites. Hospitals and doctors are struggling hard to

control this disease. Besides, lack of medicines, medical assistance and infrastructural facilities further aggravate the situation.

In order to control this disease, adequate quantity of medicines, doctors and nursing facilities, mobile vans should be made available in all the Primary Health Centres and all hospitals in the districts particularly the villages.

Keeping in view the above situation, I humbly urge upon the Union Government to render all necessary assistance to the State of Tamil Nadu and immediately despatch a Central Team of Health Mission to Tirunelveli District of Tamil Nadu to control this peculiar dengue fever on a war-footing.

This is a very serious issue and I want the Government to take immediate action on it.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापित जी, आपने मुझे एक गम्भीर मसले पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1957 में हिन्दुस्तान-पािकस्तान जब दो मुल्क बने तो हमारे यहां पीओके के लोग, वैस्ट पािकस्तानी हिन्दुस्तान में कई जगहों पर आए और देश के कोने-कोने में आकर बस गए। कई लोग जम्मू-कश्मीर में लखनपुर आकर सैटल हो गए। वहां उन्हें जमीन मिली, उनके बच्चों को स्कूल की सुविधा मिली, बिजनेस मिला और रोजगार भी मिला। लेकिन जो लोग जम्मू और दूसरी जगहों में आकर सैटल होना चाहते थे, उन वैस्ट पािकस्तािनयों माना गया और इंडियन नहीं माना गया। उनके लिए न तो रहने का इंतजाम हुआ, न उन्हें जमीन मिली, न उन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत मकान मिले और न ही उनके बच्चों को एजुकेशन मिली। इसके साथ ही उन्हें कोई और अधिकार भी नहीं मिला, वे लोग न तो पंचायत के चुनाव में वोट डाल सकते हैं और न ही विधान सभा के चुनाव में। केवल लोक सभा चुनाव में वोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है। यह विषय इन्सािनयत का है। करीब 80,000 लोग, जिनकी तीन जेनरेशन हो चुकी हैं यहां आए हुए, उन गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ है। उन्हें जम्मू-कश्मीर से उठाकर यहां लाया जाए और सैटल किया जाए या फिर जम्मू-कश्मीर सरकार पर दबाव डाला जाए कि उन्हें वहां सैटल किया जाए और बसाया जाए तथा उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएं, उन्हें मानवीयता का दर्जा दिया जाए।

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): सभापित जी, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में यमुना नदी के कटान से गांव निनहारी, जोधेवास, कांसेपुर, ननदपुर जोड़ियों, खेडी, खेरी, कस्बागढ़, बरथाकोसी, असलमपुर, बरथा आदि दर्जनों गांवों का अस्तित्व खतरे में बना हुआ है। बरसात में यमुना नदी द्वारा कटान से कई गांवों का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। बरसात में यमुना नदी द्वारा कटान की वजह से उक्त गांव के लोग भयभीत रहते हैं। पूर्व में भी केन्द्र व राज्य सरकारें कई प्रयास कर चुकी हैं, जो असफल रहे हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बेहट विधान सभा का अधिकांष हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ है। बेहट विधान सभा क्षेत्र में सोलानी, हिण्डन, चाचाराव, मसकरा, नागादेव, ड़मौला आदि दर्जनों छोटी बड़ी निदयां बहती हैं। बरसात होने के कारण इन निदयों का बहाव बहुत तेज होता है, जिसके कारण इन निदयों के आसपास के सैंकड़ों से भी अधिक गांव कटान की चपेट में आ जाते हैं। जिससे जानमाल की हानि तो होती ही है, साथ ही साथ तैयार फसलें भी पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। पूरे के पूरे गांव पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं।

अतः मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त गांवों को बचाने के लिए अविलम्ब तत्काल प्रभाव से आर्थिक सहयोग देकर पत्थरों की ठोकर व बन्धों का निर्माण कराएं, जिससे जनहित में उपरोक्त गांवों के अस्तित्व को बचाया जा सके।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले मिट्टी का तेल एवं रसोई गैस के निर्धारित कोटे में कटौती किये जाने के बारे में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तथा इसमें 21,325 वर्ग किलोमीटर जंगल है। सरकार द्वारा जंगलों से लकड़ी काटना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह बात ठीक है कि पर्यावरण को बचाने के लिए अधिकाधिक जंगलों की आवश्यकता है। परन्तु खेद का विद्या है कि केन्द्र की सरकार ने गैस व तेल के निर्धारित कोटे की अप्रत्याशित कटौती कर प्रदेश के साथ अन्याय किया है।

सभापित महोदय, जहां प्रदेश को केन्द्र से 5275 किलोलीटर मिट्टी के तेल का कोटा मिलता था, जिसे घटाकर वर्तमान में 2025 किलोलीटर कर 62 प्रतिशत की कटौती की गई है। प्रदेश की आबादी के अनुसार प्रति माह रसोई गैस के 3300 ट्रकों की जरुरत होती है जबिक केन्द्र द्वारा वर्तमान में हिमाचल के लिये 2219 ट्रक ही निर्धारित किये गये हैं और केवल उसमें से भी 1900 ट्रक ही हर महीने राज्य को दिये जा रहे हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हमारे प्रदेश को मिट्टी तेल एवं रसोई गैस के निर्धारित कोटे को पुनः बहाल किया जाए।

सभापति महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल को श्री वीरेन्द्र कश्यप जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान कुमाऊ और गढ़वाल को जोड़ने वाली कंडी रोड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस रोड के निर्माण से कुमाऊं एवं नेपाल से उत्तराखंड की राजधानी जाने वालों को उत्तर प्रदेश से न जाकर वे सीधे अपने राज्य से ही राजधानी जा सकेंगे। कंडी मार्ग के निर्माण से ईंधन, समय की बचत तो होगी ही, साथ ही रुपये की भी बचत होगी।

इस मार्ग का लगभग एक किलोमीटर का हिस्सा जिम कार्बेट पार्क के अंतर्गत आता है, यदि वहां पुल का निर्माण कर दिया जाये तो वाहन पुल के ऊपर से निकल जायेंगे और जानवर पुल के नीचे से, इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।

अतः महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह कंडी मार्ग के शीघ्र निर्माण के लिए समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

सभापति महोदय: श्री राजेन्द्र अग्रवाल को सतपाल जी महाराज द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, thank you very much. I would like to raise a matter of public importance for withdrawal of the Higher Education and Research Bill, 2011, which was approved by the Government and introduced in the Rajya Sabha on 27<sup>th</sup> December, 2011. The same has been referred to the Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development.

The proposed Bill will directly affect the vital and basic structures of the Advocates Act, 1961 under which total autonomy and independence was given to the elected bodies, namely the Bar Council of India and State Bar Councils to regulate the legal profession and legal education.

The proposed HER Bill envisages to divest the duties and functions entrusted to the Bar Council of India and the State Bar Councils under the Advocates Act, 1961. It proposes to vest all these powers with a National Commission consisting of a few academicians.

MR. CHAIRMAN: You just tell what you want.

SHRI R. THAMARAISELVAN: The Bar Councils have strongly condemned the attempt of the Government to encroach upon the provisions of the Advocates Act, 1961 with a view to usurping the functions and duties of the elected bodies comprising more than seventeen lakh advocates of the country.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you please come to the point.

SHRI R. THAMARAISELVAN: The proposed Bill seeks to deprive the representatives of Advocates of India to have their say in the formulation and implementation of policies involving legal education at the professional and educational level, which had been recommended by the All India Bar Committee after taking into account the recommendations of the Law Commission on the subject 'Reform of Judicial Administration'. Consequently the Advocates Act, 1961 was enacted.

The Bill in question is an attack on the federal structure and *ultra vires* of the very Constitution of India. This Bill has completely overlooked the interests of our common people.

The 17 lakh advocates of the country are totally against the inclusion of institutions of legal education and of Advocates Act in this Bill.

The Bar Council of India and the State Bar Councils have already resolved to voice their concern against the proposed Bill.

Legal Wing of our DMK Party in its meeting held on 12.05.2012 has unanimously resolved to urge upon the Government to withdraw the proposed Bill forthwith.

Looking into all these issues and the concerns expressed, I would urge upon the Government to withdraw forthwith the Higher Education and Research Bill, 2011 in public interest.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, आपने मुझे शून्य काल के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में जंगली जानवरों द्वारा हो रहे कृषि के नुकसान के बारे में बोलने का अवसर दिया है, आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा एक आदिवासी, दिलत एवं आर्थिक पिछड़े लोगों का पिछड़ा क्षेत्र है। पूरा क्षेत्र पहाड़ी एवं जंगलों से भरा हुआ है। ज्यादातर लोग कृषि एवं पशुपालन आधारित जीवन-यापन कर रहे हैं। हमारी मुख्य एवं गंभीर समस्या यह है कि किसानों द्वारा उगाई गई फसल को रोज भुंड, नील गाय इत्यादि जंगली जानवर जंगल विस्तार से एक झुंड के रूप में आ जाते हैं और खेतों में घुसकर काफी अल्प समय में तैयार फसल को अपनी खुराक बना लेते हैं तथा बरबाद कर देते हैं। फसल बचाने हेतु किसान का परिवार दिन-रात चौबीस घंटे खेतों में बैठ कर चौकसी करते रहते हैं, लेकिन उसमें अगर थोड़ी-सी भी चूक हो जाए तो जानवर पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। नष्ट हुई फसल को देखकर किसान परिवार फूट-फूट कर विलाप करता है। उनकी आंखों के आंसु हमें भी पूरी तरह से हिला देते हैं।

महोदय, ऐसा पीड़ित, दुखी एवं गरीब किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। बाद में रोजी-रोटी की खोज में मजदूरी के लिए परिवार के साथ शहर की ओर पलायन करता है और शहर में बदतर हालत में जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे कई किसान बरबाद हो रहे हैं।

महोदय, किसान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि खुद अपने खेतों की सुरक्षा हेतु कंटीली तार की बाड़ का निर्माण कर सके। सरकारी जो मदद मिलती है वह भी समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ज्यादातर जंगली जानवर रिजर्व फारेस्ट क्षेत्र से आते हैं, तो उसे तार की बाड़ से सुरक्षित कर देना चाहिए ताकि जानवर खेतों में न घुस पाएं। माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी ने मुझे जवाबी पत्र में लिखा है कि मनरेगा के तहत चौकीदार नियुक्त करके कृषि को बचाया जाएगा, तो यह योजना कब तक बनेगी? जंगली जानवरों का शिकारियों द्वारा शिकार सरकार के द्वारा करवाना चाहिए या वन्य प्राणियों की नसबंदी कर देनी चाहिए अथवा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वन विभाग का सहयोग ले कर खेतों के 100 एकड़ के ब्लाक बनाकर उसे ऊंची कंटीली तार की बाड़ से सुरक्षित कर देना चाहिए।

महोदय, अंत में मेरी आपके माध्यम से सरकार से दर्दभरी प्रार्थना व विनती है कि जो भी जरूरी कदम हों, उन्हें उठा कर कृषि एवं किसान परिवार को बचा लिया जाए।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow at 11 a.m.

## **20.31 hrs**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 16, 2012/Vaisakha 26, 1934 (Saka).

